राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में
राष्ट्रपति शासन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
अप्रैल, 2016

संकलन तथा सम्पादन
(अंग्रेजी संस्करण)

संदर्भ प्रभाग,
संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस),
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

(हिन्दी संस्करण)
अनुवाद (प्रकाशन) शाखा
सम्पादन तथा अनुवाद सेवा,
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

पहला संस्करण : 1976
दूसरा संस्करण : (संशोधित एवं अद्यतन), 1985
तीसरा संस्करण : (संशोधित एवं अद्यतन), 1987
चौथा संस्करण : (संशोधित एवं अद्यतन), 1989
पांचवां संस्करण : (संशोधित एवं अद्यतन), 1991
छठा संस्करण : (संशोधित एवं अद्यतन), 1996
सातवां संस्करण : (संशोधित एवं अद्यतन), 2003
आठवां संस्करण : (संशोधित एवं अद्यतन), 2010
नौवां संस्करण : (संशोधित एवं अद्यतन), 2016

मूल्य: 150/- रुपए

©2016 लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और महाप्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110 002 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

आमुख ..... (iii)

प्रस्तावना ..... (v)

भाग एक — राज्यों में राष्ट्रपति शासन

1. आन्ध्र प्रदेश 2
2. असम 4
3. बिहार 8
4. गोवा 14
5. गुजरात 16
6. हरियाणा 20
7. हिमाचल प्रदेश 24
8. जम्मू और कश्मीर 26
9. झारखंड 28
10. कर्नाटक 30
11. केरल 38
12. मध्य प्रदेश 46
13. महाराष्ट्र 48
14. मणिपुर 50
15. मेघालय 56
16. मिजोरम 58
17. नागालैंड 60
18. ओडिशा 64
19. पंजाब 70
20. राजस्थान 76
21. सिक्किम 80
22. तमिलनाडु 82
23. तेलंगाना 88

पृष्ठ संख्या

24. त्रिपुरा 90

25. उत्तर प्रदेश 94

26. पश्चिम बंगाल 100

भाग दो–संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन

(उन पूर्व संघ राज्यक्षेत्रों सहित जो अब राज्य बन गए हैं)

1. अरुणाचल प्रदेश 108

2. दिल्ली 110

3. गोवा, दमन और दीव 112

4. मणिपुर 114

5. मिजोरम 116

6. पुडुचेरी 118

परिशिष्ट

एक. भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 का पाठ 124

दो. जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 का पाठ 126

तीन. संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 का पाठ 127

चार. राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन की सारांश-सारणी 128

आमुख

इस प्रकाशन में संविधान के अनुच्छेद 356 तथा संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अधीन जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं से संबंधित कुछ प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इन विवरणों में गणतंत्र के छह दशकों में राष्ट्रपति की उद्घोषणाएं जारी किये जाने की तारीखों, उद्घोषणाएं जारी किये जाने की परिस्थितियों, उद्घोषणाओं के समय विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के राज्यपालों/उप-राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों के नामों, विधान सभाएं भंग की गईं अथवा नहीं, उनके विवरणों तथा उद्घोषणाओं को संसद के सभा पटल पर रखे जाने की तारीखों, दोनों सदनों में उन पर हुई चर्चा की तारीखों और उद्घोषणाओं का प्रतिसंहरण करने की तारीखों के बारे में विवरण शामिल हैं।

इस पुस्तक के भाग-एक में राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी ब्यौरा है जबकि भाग-दो संघ राज्यक्षेत्रों और उन पूर्व संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन के संबंध में है, जिन्हें बाद में राज्य का दर्जा दिया गया। इनमें से कुछ पूर्व संघ राज्यक्षेत्रों का दोनों भागों में उल्लेख किया गया है क्योंकि इनके पूर्ण राज्य बन जाने के बाद भी इनमें राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने संबंधी उद्घोषणाएं जारी की गई थीं।

इस पुस्तक की सामग्री विभिन्न प्रकाशित स्रोतों, जैसे राजपत्र अधिसूचनाओं, सरकारी प्रतिवेदनों, संसदीय वाद-विवादों, आदि से ली गई है। यदि कोई पाठक इस पुस्तक में अंतर्विष्ट सामग्री का उपयोग करने का इच्छुक है तो उसे उद्धृत मूल स्रोतों पर ही निर्भर करना चाहिए और उन्हीं का उल्लेख करना चाहिए।

आशा है कि यह प्रकाशन संसद सदस्यों तथा अन्य सुधी पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

अनूप मिश्र

नई दिल्ली;
जनवरी, 2016

अनूप मिश्र
महासचिव
लोक सभा

प्रस्तावना

भारत के संविधान में यह उपबंध है कि यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अधीन इस आशय की उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है। ऐसी उद्घोषणा के अधीन, राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा; यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; तथा वह ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों। तथापि, राष्ट्रपति को यह प्राधिकार नहीं है कि वह उच्च न्यायालय में निहित किसी शक्ति को अपने हाथ में लें।

अनुच्छेद 356 के खंड(1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को वापस लिया जा सकता है अथवा उक्त अनुच्छेद के खंड(2) के अधीन पश्चात्वर्ती उद्घोषणा द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी सिवाए उसके जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा है। उद्घोषणा दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है [अनुच्छेद 356 (3)]। अनुच्छेद 356 के खंड (4) के अधीन, संविधान सभा द्वारा मूलत: अधिनियमित रूप में,संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, ''खंड (3) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले दूसरे संकल्प के पारित होने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति होने पर'', प्रवर्तन में नहीं रहेगी। मूल रूप में खंड (4) के प्रथम परन्तुक के अधीन भी उद्घोषणा को (पहले छह मास के बाद भी)प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने का प्रभाव उद्घोषणा को प्रवृत्त रखने की अवधि छह मास और आगे बढ़ाना ही था। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा अनुच्छेद 356 के खंड (4) में ''छह मास'' शब्द, जहां कहीं भी आएं के स्थान पर ''एक वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए थे। संविधान (चवालीसवां) संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यथासंशोधित अनुच्छेद 356 के खंड (4) के अधीन इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा जारी किए जाने की तारीख से छह मास के लिए प्रवृत्त रहेगी, यदि इस बीच इसे वापस न लिया गया हो। संविधान (चवालीसवां) संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा उक्त खंड में दो उल्लेखनीय परिवर्तन किये गये। पहला, खंड में जहां कहीं भी 'एक वर्ष' शब्द था उसके स्थान पर 'छह मास' कर दिया गया। दूसरा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के परिणामस्वरूप प्रवृत्त उद्घोषणा की छह मास की अवधि की गणना 'उद्घोषणा जारी किये जाने की तारीख' से की जायेगी तथा उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले दूसरे संकल्प के पारित होने की तारीख से नहीं, जैसाकि बयालीसवें संशोधन से पहले भी था।

उद्घोषणा को पहले छह मास से अधिक अवधि के लिए प्रवर्तन में रखने के लिए आवश्यक है कि उसको संसद द्वारा अपेक्षित स्वीकृति दे दी गई हो। अनुच्छेद 356(4) के प्रथम परन्तुक के अधीन यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वह उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो छह माह की और अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी। किन्तु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी।

26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के बाद से 26 राज्यों में 111 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। पंजाब ऐसा पहला राज्य था जहां, संविधान लागू होने के दो वर्ष के भीतर ही राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक हो गया था। केरल (पूर्व त्रावणकोर-कोचीन स्टेट सहित), पंजाब (पूर्व पेप्सू स्टेट सहित), और उत्तर प्रदेश 10 बार तथा मणिपुर और बिहार क्रमश: 8 बार राष्ट्रपति शासन के अधीन आए। राष्ट्रपति शासन की सबसे लम्बी अवधि जम्मू-कश्मीर में 6 वर्ष, 2 महीने और 20 दिन (18.7.90 से 9.10.96 तक) है, इसके बाद पंजाब है जहां यह अवधि 4 वर्ष, 9 महीने और 15 दिन (11.5.87 से 25.2.92) रही। सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति शासन कर्नाटक और बिहार में केवल 8 दिन क्रमश: (10.10.90 से 17.10.90 तक) और (28.3.95 से 4.4.95 तक) रहा, इसके बाद ओडिशा में केवल 14 दिन (16.12.76 से 29.12.76 तक) रहा।

राज्यों में भिन्न-भिन्न समय पर राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के कारण अलग-अलग प्रकार के रहे हैं, जैसे विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा दल-परिवर्तन, गठबन्धन सरकारों का टूटना (भागीदारों द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण तथा/अथवा दल-बदल के कारण), मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होना, विभिन्न कारणों से मुख्यमंत्रियों द्वारा त्यागपत्र दिया जाना, नवनिर्मित राज्यों में विधानमंडलों का न होना, राज्यों में जन-आंदोलन के कारण प्रशासन में अस्थिरता, आदि।

यद्यपि, 1967 के आम चुनावों के बाद से दल-परिवर्तन के कारण राष्ट्रपति शासन लागू करने की घटनायें प्राय: होने लगी थीं किन्तु सबसे पहले नवम्बर, 1954 में आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की घटना हुई। अन्य राज्य जहां विगत वर्षों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं वे हैं–बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और गोवा। सत्तारूढ़ गठबन्धन सरकारों के टूटने से राष्ट्रपति शासन लगाना जहां आवश्यक हुआ वे राज्य हैं; झारखण्ड (2010, 2013), केरल (1979, 1981 और 1982), महाराष्ट्र (2014), मणिपुर (1992), ओडिशा (1961 और 1971), पंजाब (1968), त्रिपुरा (1979), उत्तर प्रदेश (1970 और 1995), जम्मू और कश्मीर (2008) और कर्नाटक (2007)।

आन्ध्र प्रदेश और केरल के राज्य विधानमंडलों में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किये जाने के कारण वहां क्रमश: 1954 और 1964 में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा क्योंकि अन्य दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे।

गुजरात में 1976 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, क्योंकि अनुदानों की मांगों पर राज्य विधान सभा में मतदान में हारने के कारण मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था। आन्ध्र प्रदेश (2014), दिल्ली (2014), केरल (1970 तथा 1979), पंजाब (1951), सिक्किम (1979), उत्तर प्रदेश (1968 तथा 1975), और पश्चिम बंगाल (1970) में मुख्यमंत्रियों ने विभिन्न कारणों से स्वयं ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिये जिसके परिणामस्वरूप राज्यपालों को सिफारिश करनी पड़ी कि इन राज्यों का शासन राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाए। वर्ष 1973 में आन्ध्र प्रदेश में, 1979 में असम में, 1974 में गुजरात में, 1959 में केरल में तथा 1983 और 1987 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के अन्य कारणों में से एक कारण 'जन-आंदोलन' था।

नये राज्यों, केरल - 1956; पंजाब-1966; मणिपुर और त्रिपुरा-1972; के गठन के समय ऐसी स्थिति बन गयी कि केन्द्र को तब तक के लिए प्रशासन अपने हाथ में लेना पड़ा, जब तक कि वहां नई विधान सभाएं विधिवत् निर्वाचित नहीं हो गईं और लोकप्रिय सरकारें स्थापित नहीं हो गईं।

केरल में 1965 में, ओडिशा में 1971 में, राजस्थान में 1967 में तथा उत्तर प्रदेश में 1996 में और 2002 में, और बिहार में 2005 में नये चुनाव होने के पश्चात् नई विधान सभाओं का गठन हो जाने पर भी किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका अथवा कोई भी दल अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में इसी समाधान की सिफारिश की गई कि अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाये।

झारखंड में, राज्य के मुख्यमंत्री को संविधान के अनुच्छेद 164(4) के उपबंध के निबंधनों के अनुसार छह मास की अवधि के भीतर राज्य विधान सभा की सदस्यता प्राप्त करनी थी परन्तु मुख्यमंत्री चुनाव हार गए और तत्पश्चात् किसी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक ग्रुप ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया और 19 जनवरी, 2009 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

30 अप्रैल, 1977 को नौ राज्यों के संबंध में जारी की गई उद्घोषणाएं स्पष्टत: भिन्न प्रकार की थीं तथा उन्होंने एक प्रकार से नया पूर्वोदाहरण स्थापित किया। लोक सभा के मार्च 1977 के चुनावों से ''अभूतपूर्व राजनैतिक स्थिति'' सामने आई। नौ राज्यों–बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मतदाताओं ने इन राज्यों में, तथा केंद्र में भी, तत्कालीन सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों को पूरी तरह या लगभग पूरी तरह से नकार दिया। नवगठित केंद्र सरकार ने इसका अर्थ यह लगाया कि इन नौ राज्यों की सरकारों पर से मतदाताओं का विश्वास पूर्णत: उठ गया है। इन परिस्थितियों में, तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री ने इन नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुझाव दिया कि वे राज्यपालों को विधान सभाएं भंग करने और नये चुनाव कराने की सलाह दें। संबंधित राज्य सरकारों ने इन सुझावों को नहीं माना तथा उन्होंने केंद्रीय सरकार के सुझाव और तद्नुसार अनुच्छेद 356 के अधीन कार्यवाही की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।[1] उच्चतम न्यायालय ने, अपने 29 अप्रैल, 1977 के आदेश के द्वारा विवाद और राज्यों द्वारा दायर व्यादेश आवेदनों को खारिज कर दिया तथा हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। एक सप्ताह के बाद अर्थात् 6 मई, 1977 को दिए अपने निर्णय में न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ कहा:—

> उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 356(1) के अधीन दिये गये अधिकारों के प्रयोग के संबंध में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक इस उपबंध को, किसी विशेष परिस्थिति में इस प्रकार लागू नहीं किया गया कि वह इतना विकृत और अनुचित प्रतीत होता हो कि जिससे इस उपबंध का निश्चित दुरुपयोग होता हो अथवा मान्य तथ्यों पर अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो। अधिक से अधिक केवल यह कहा जा सकता है कि राज्य विधान सभा में बहुमत की इच्छा के विरुद्ध सभा का भंग किया जाना अत्यंत गंभीर बात है। शायद यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 356(1) का सहारा तभी लिया जाना चाहिए जब 'संकटपूर्ण स्थिति' उत्पन्न हो गई हो। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या जब तक ''राजनीतिक संप्रभु'' अर्थात्, जनता को नया फैसला करने का अवसर नहीं दिया जाता तब तक के लिए ''संकटपूर्ण स्थिति'' उत्पन्न हो गई है अथवा ऐसी स्थिति अवश्य उत्पन्न होने वाली है क्योंकि तत्कालीन राज्य विधान सभा और राज्य सरकार को जनता ने पूर्णत: और स्पष्टत: अस्वीकार कर दिया है ऐसे प्रश्न पर निर्णय लेना नि:संदेह कार्यपालिका के अधिकार में आता है।[2]

---

[1]गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78, पृष्ठ 9-10

[2]राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, ए॰आई॰आर॰ 1977, एस॰सी॰ 1361

इस बीच, 30 अप्रैल, 1977 को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा उपर्युक्त नौ राज्यों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणाएं जारी की गईं और साथ-साथ इन नौ राज्यों की विधान सभाएं भंग कर दी गईं; तथा निर्वाचन आयुक्त से इन राज्यों में नये चुनाव कराने के लिए कहा गया।[3]

जनवरी 1980 में हुए लोक सभा के मध्यावधि चुनावों के बाद, नौ राज्यों (अर्थात् बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश) के संबंध में 17 फरवरी, 1980 को अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणाएं जारी की गईं और साथ-साथ इन राज्यों की विधान सभाएं भंग कर दी गईं क्योंकि केन्द्र सरकार ने महसूस किया कि लोक सभा चुनावों में भारी हार के कारण इन राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टियां अब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्य के संविधान की धारा 92 में भारत के राष्ट्रपति की सहमति से राज्य में राज्यपाल के शासन का उपबंध है। तथापि, ऐसी कोई उद्घोषणा, सिवाए उसके जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली उद्घोषणा है, प्रथम बार जारी किए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने पर प्रवृत्त नहीं रहेगी।

7 सितंबर, 1986 को जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और दो महीने की अवधि समाप्त हो जाने के बाद 6 नवंबर, 1986 से यह प्रवृत्त नहीं रहा। कांग्रेस (आई) (अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) पार्टी के समर्थन से जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस की लोकप्रिय सरकार राज्य में सत्तारूढ़ हुई। राज्यपाल शासन की छह मास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद 18 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति शासन भी लागू किया गया जो 9 अक्तूबर, 1996 को समाप्त हुआ। राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रहा। इससे पहले राज्य में 27 मार्च, 1977 से 9 जुलाई, 1977 तक 3 महीने और चौदह दिन के लिए और पुन: 7 मार्च, 1986 से 6 सितंबर, 1986 तक 6 महीने के लिए, और 19 जनवरी, 1990 से 18 जुलाई, 1990 तक छह महीने के लिए राज्यपाल का शासन रहा था। जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का उपबंध संविधान (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) आदेश, 1954 द्वारा वर्ष 1954 में लागू किया गया था। आदेश के परिशिष्ट-एक के भाग-18 में कहा गया है कि ''अनुच्छेद 356 के खंड (1) में, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में इस संविधान के उपबंधों या किसी उपबंध के प्रति निर्देशों का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के संविधान के उपबंधों या उपबंध के प्रति निर्देश भी है।'' उक्त आदेश में 24 फरवरी, 1993, 19 फरवरी, 1994, 31 मई, 1995 और 6 जुलाई, 1996 को संशोधन किया गया जिसमें राष्ट्रपति शासन की अवधि को क्रमश: चार, पांच, छह और सात वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

अनुच्छेद 356(1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा में यह स्पष्ट प्रावधान हो सकता है कि उद्घोषणा जारी होने के साथ ही संबंधित राज्य की विधान सभा भंग कर दी जाए। ऐसी कार्यवाही अब तक 53 अवसरों पर की जा चुकी है। ऐसा अधिकतर अन्य मामलों में, जहां यह माना गया कि उद्घोषणा जारी होने के बाद भी स्थायी सरकार गठित होने की कोई संभावना है तो राज्य विधान सभा को भंग करने के बजाए, 'निलंबित' रखा जाता है। तथापि, गुजरात (1974), नागालैंड (1975), कर्नाटक (1973), ओडिशा (1971), पंजाब (1985), उत्तर प्रदेश (1968), पश्चिम बंगाल (1970), मणिपुर (2001), आंध्र प्रदेश (2014) और दिल्ली (2014), में राज्य विधान सभा को पहले केवल निलंबित रखा गया था, परंतु बाद में भंग कर दिया गया। कुछ अन्य मामलों में जम्मू-कश्मीर (1990), केरल (1970, 1979 तथा 1982), नागालैंड (1992), पंजाब (1971), सिक्किम (1979) तथा पश्चिम बंगाल (1971) में राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी किये जाने से पहले ही राज्यपालों ने राज्य विधान सभाओं को भंग कर दिया।

संसद के सभा पटल पर उद्घोषणा रखते समय सरकार के लिए यह कोई बाध्यता नहीं है कि वह उन मामलों में संबंधित राज्य के राज्यपाल की उस रिपोर्ट की प्रति भी सभा पटल पर रखे जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने कार्यवाही की है। आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में जारी की गई उद्घोषणा पर 19 नवंबर, 1954 को लोक सभा में चर्चा के दौरान सरकार ने यह कहा था कि राज्यपाल की रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज है और इसलिए वह सदस्यों को उपलब्ध नहीं करायी जा सकती। तथापि, 1959 में केरल राज्य के संबंध में, उद्घोषणा के मामले में राज्यपाल की रिपोर्ट का सारांश 17 अगस्त, 1959 को सभा पटल पर रखा गया था। तदुपरांत, यह प्रथा रही है कि राज्यपाल की रिपोर्ट का सारांश अथवा पूर्ण रूप में उस प्रतिवेदन को ही संसद के दोनों सदनों में सभा पटल पर रख दिया जाता है।

भारत के उच्चतम न्यायालय को 1988 में आरंभ हुए ऐसे मामलों की शृंखला में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी मामलों का समाधान करना पड़ा। नागालैंड में, केन्द्र सरकार ने 7 अगस्त, 1988 को राज्य सरकार को दो कारणों से बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। पहला कारण तो यह था कि राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता थी क्योंकि श्री वामुजो के नेतृत्व में 13 सदस्यों ने सत्तारूढ़ दल से अपना नाता तोड़ लिया था और कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। इसके अतिरिक्त, राज्य बढ़ती हुई अशांति के साथ-साथ कानून और व्यवस्था की समस्या से भी जूझ रहा था। श्री वामुजो ने इस उद्घोषणा की वैधता को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस याचिका की सुनवाई करने वाली खंडपीठ में अनुच्छेद 72(4) को लागू करने और इसके संचालन के संबंध में मतभेद हो गये और इसलिए इस मामले को तीसरे न्यायाधीश के पास भेज दिया गया। परंतु, तीसरे न्यायाधीश के समक्ष इस मामले की सुनवाई होने से पहले ही केन्द्र सरकार ने विशेष अनुमति के लिये उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दी। उच्चतम न्यायालय ने यह याचिका स्वीकार कर ली और इस मामले पर उच्च न्यायालय में आगे की कार्यवाही रोक दी गई।

---

[3]गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78 पृष्ठ 19

कर्नाटक में 21 अप्रैल, 1989 को इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था कि 16 अप्रैल, 1989 को सत्तारूढ़ जनता दल के 20 सदस्यों द्वारा दल-परिवर्तन किये जाने के कारण मुख्यमंत्री श्री एस॰ आर॰ बोम्मई का विधान सभा में बहुमत नहीं रहा था। श्री बोम्मई ने अपनी सरकार की बर्खास्तगी के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि धारा 356 इस न्यायालय के विचार योग्य नहीं है। श्री बोम्मई ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की।

मेघालय में, अध्यक्ष ने 17 अगस्त, 1991 को दल-परिवर्तन विरोधी कानून के अंतर्गत सत्तारूढ़ गठबंधन के 5 निर्दलीय सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया। इन पांच विधायकों में से चार ने 6 सितंबर, 1991 को उच्चतम न्यायालय में मामला दायर कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने अध्यक्ष के आदेशों पर रोक लगा दी तथा राज्यपाल से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि संबंधित विधायकों को विधान सभा की बैठकों में भाग लेने दिया जाए। अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश की उपेक्षा करते हुए, 8 अक्तूबर, 1991 को सरकार के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर उन चारों विधायकों के वोटों को अमान्य कर दिया। अध्यक्ष श्री बी॰ बी॰ लिंगदोह के नेतृत्व वाली सरकार की पराजय की घोषणा करते हुए सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। राज्यपाल ने 9 अक्तूबर, 1991 को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर उनसे त्यागपत्र देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के इस पत्र के विरुद्ध उसी दिन उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी और न्यायालय ने राज्यपाल से कहा कि वह इस बारे में कोई निर्णय लेने से पहले कि क्या सरकार विश्वास प्रस्ताव पर हार गई है, न्यायालय के आदेशों तथा उन चार निर्दलीय सदस्यों द्वारा दिए गए वोटों पर विचार करें। इसके बावजूद, 11 अक्तूबर, 1991 को मेघालय में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, सरकार बर्खास्त कर दी गई तथा विधान सभा को भंग कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने 12 अक्तूबर, 1991 के एक आदेश द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा 17 अगस्त, 1991 को दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। तथापि, तत्पश्चात् संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन कर दिया।

6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे के गिराये जाने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और 6 दिसंबर, 1992 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। केन्द्र सरकार ने 15 दिसंबर, 1992 को मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश (जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी) की सरकारों को बर्खास्त कर दिया और इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति की उद्घोषणा में ऐसा कदम उठाये जाने का यह कारण बताया गया कि इन राज्यों में संवैधानिक तंत्र तथा कानून और व्यवस्था के विफल होने की आशंका थी। इन राज्यों के बर्खास्त मुख्यमंत्रियों ने केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें बर्खास्त किये जाने की वैधता को अपने-अपने राज्य के उच्च न्यायालयों में चुनौती दी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने संबंधी आदेश को 2 अप्रैल, 1993 को रद्द कर दिया। अधिकांश न्यायाधीशों का यह विचार था कि कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति में केन्द्रीय हस्तक्षेप प्रभावित क्षेत्रों में सेना की तैनाती करने तक ही न्यायोचित था। किंतु इन परिस्थितियों में सीधे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना अनुच्छेद 356 की परिधि से परे था।

16 अप्रैल, 1993 को उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की अपील पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को 15 दिसंबर, 1992 के राष्ट्रपति के आदेशों को रद्द करने संबंधी निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश दे दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया कि केन्द्र सरकार की अपील को दो अन्य अपीलों, नामत: भारत संघ बनाम वामुजा और एस॰ आर॰ बोम्मई बनाम भारत संघ के साथ जोड़ दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, श्री भैरों सिंह शेखावत और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री शांता कुमार की अपने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देते हुए अपने-अपने उच्च न्यायालयों में दायर दो रिट याचिकाओं को भी अपने पास अंतरित कर लिया।

न्यायाधीश रत्नावल पांडियन की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की एक संविधान खंडपीठ ने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की वैधता को 11 मार्च, 1994 को छह अलग-अलग निर्णयों में सही ठहराया।

तथापि, अधिकांश न्यायाधीशों का मत यह था कि 7 अगस्त, 1988, 12 अप्रैल, 1989 और 11 अक्तूबर, 1991 को जारी की गई उद्घोषणाओं और क्रमश: नागालैंड, कर्नाटक और मेघालय की तत्कालीन सरकारों और विधान सभाओं को हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्यवाही असंवैधानिक थी। न्यायाधीश ने कहा कि तथापि, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से पूर्व इन राज्यों में विद्यमान सरकारों की बहाली संभव नहीं है क्योंकि तदुपरांत वहां चुनाव हो चुके हैं और नई सरकारों ने सत्ता संभाल ली है। उपर्युक्त निर्णय[4] के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:—

- संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को केवल ऐसी स्थिति में प्रयोग किए जाने हेतु शक्ति प्रदान करता है जब उसका इस बात से समाधान हो जाए कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। हमारे संविधान में यह शक्ति वास्तव में प्रधान मंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की है। अनुच्छेद में 'समाधान' की जो बात कही गई है, उसका स्वरूप व्यक्तिपरक है।
- अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति सशर्त है। यह आत्यंतिक शक्ति नहीं है। सामग्री की विद्यमानता जिसमें राज्यपाल का/के प्रतिवेदन शामिल हो सकता है/हैं—एक पूर्व-शर्त है। ''समाधान'' किसी सुसंगत सामग्री पर आधारित होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशें सभी संबंधितों द्वारा गंभीरता से विचार करने योग्य हैं।

---

[4] उच्चतम न्यायालय मामले, 15 मई 1994, पृष्ठ 296-99

- यद्यपि विधान सभा भंग करने की शक्ति अनुच्छेद 356 के खंड (1) में सन्निहित कही जा सकती है फिर भी समग्र संवैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग खंड (3) के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बाद ही करेगा, न कि उससे पहले। ऐसा अनुमोदन किए जाने तक, राष्ट्रपति खंड (1) के उप-खंड (ग) के अंतर्गत विधान सभा से संबंधित संविधान के उपबंधों को निलंबित करके विधान सभा को केवल निलंबित कर सकता है। विधान सभा का भंग किया जाना एक सामान्य बात नहीं है। ऐसा केवल तभी किया जाना चाहिए जब उद्घोषणा का प्रयोजन पूरा करने के लिए यह करना आवश्यक है।

- खंड (1) के अंतर्गत उद्घोषणा केवल तभी जारी की जा सकती है जब इस खंड के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थिति उत्पन्न हो जाये। ऐसी स्थिति में सरकार को जाना पड़ेगा। यहां इस बात को उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार को बरकरार रखते हुए उसके कुछ कृत्यों और शक्तियों को अपने हाथ में ले ले। एक ही क्षेत्र में दो सरकारें नहीं हो सकती।

  > अनुच्छेद 356 के खंड (3) की परिकल्पना राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण रखने तथा इसके दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में की गई है। यदि संसद के दोनों सदन उद्घोषणा का निरनुमोदन कर दें अथवा उसका अनुमोदन न करें तो उद्घोषणा दो महीने की अवधि समाप्त होने पर व्यपगत हो जाती है। ऐसी स्थिति में, बर्खास्त की गई सरकार बहाल हो जाती है और विधान सभा, जिसे निलंबित रखा गया हो, पुन: अस्तित्व में आ जाती है। चूंकि उद्घोषणा व्यपगत हो जाती है और इसे पूर्व प्रभाव से अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया है— दो महीने की अवधि के दौरान किये गये कार्य, दिए गए आदेश और पारित किये गये कानून अवैध या शून्य नहीं होंगे। तथापि, सरकार/विधान सभा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी संवीक्षा की जा सकती है, इन्हें निरस्त किया जा सकता है या इनमें संशोधन किया जा सकता है।

  > तथापि, यदि उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदित कर दिया जाता है तो सरकार (जिसे बर्खास्त किया गया था) उद्घोषणा की अवधि समाप्त होने या इसे वापस लेने पर बहाल नहीं होगी। इसी प्रकार, यदि विधान सभा को खंड (3) के अंतर्गत अनुमोदन के पश्चात् भंग कर दिया गया है तो विधान सभा उद्घोषणा की अवधि समाप्त होने या इसे वापस लेने पर बहाल नहीं होगी।

- अनुच्छेद 74(2) केवल इस प्रश्न की कोई जांच करने पर रोक लगाता है कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या दी है। इससे, न्यायालय द्वारा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् (भारत संघ) से उस सामग्री, जिसके आधार पर राष्ट्रपति का अपेक्षित समाधान हुआ था, के प्रकटन के लिए कहने पर रोक नहीं है। वह सामग्री जिसके आधार पर सलाह दी गई है, सलाह का भाग नहीं बनती है। यदि राष्ट्रपति ने सामग्री का अवलोकन किया है या उन्हें यह सामग्री दिखाई गई है, तो भी यह सलाह का स्वरूप नहीं ले सकती है। अनुच्छेद 74(2) और साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पर लागू होती है। ऐसा हो सकता है कि उद्घोषणा का समर्थन करते हुए संबंधित मंत्री या अधिकारी धारा 123 के अंतर्गत विशेषाधिकार का दावा करें। उस स्थिति में इसका निर्णय धारा 123 के उपबंधों के अनुसार इसके गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।

- अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत की गई उद्घोषणा न्यायिक संवीक्षा से मुक्त नहीं है। यदि यह पाया जाता है कि उद्घोषणा दुर्भावनापूर्ण या पूर्णत: असंगत या असंबद्ध कारणों पर आधारित है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उस उद्घोषणा को अभिखंडित कर सकते हैं। संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम द्वारा खंड (5), [जिसे 38वें (संशोधन) अधिनियम द्वारा पुर:स्थापित किया गया था] का लोप करने से इस कार्यवाही की संवीक्षा संबंधी संदेह को दूर कर दिया गया है। मांगे जाने पर भारत संघ द्वारा वह सामग्री प्रस्तुत करनी पड़ती है, जिसके आधार पर वह कार्यवाही की गई थी। यदि वह कार्यवाही को उचित ठहराने की मांग करता है, तो वह सामग्री प्रस्तुत करने से इंकार नहीं कर सकता है। न्यायालय सामग्री के सही होने या उसकी पर्याप्तता पर विचार नहीं करेगा। उसकी जांच केवल इस बात तक ही सीमित है कि क्या वह सामग्री की-गई-कार्यवाही के लिए संगत है या नहीं। यदि कुछ सामग्री असंगत भी है, तो जब तक की-गई-कार्यवाही से संबंधित कुछ सामग्री संगत है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

- यदि न्यायालय उद्घोषणा को अभिखंडित कर देता है तो उसे बर्खास्त की गई सरकार को बहाल करने और जहां विधान सभा को भंग अथवा निलंबित कर दिया गया हो, वहां उसे बहाल करके पुन: सक्रिय करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, न्यायालय को यह घोषित करने का अधिकार है कि उद्घोषणा के प्रवृत्त रहने की अवधि के दौरान किये गये कार्य, दिये गये आदेश और बनाये गये कानूनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उन्हें वैध माना जायेगा। तथापि, ऐसी घोषणा सरकार/विधान सभा या अन्य सक्षम प्राधिकारी को ऐसे कार्यों, आदेशों या कानूनों की संवीक्षा करने, उनका निरसन करने या उनमें संशोधन करने से नहीं रोक पायेगी।

- भारत के संविधान ने एक परिसंघ का सृजन किया परन्तु उसका झुकाव केंद्र के पक्ष में है। राज्यों को आवंटित क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च है।

- पंथनिरपेक्षता संविधान की मूल-भूत विशेषताओं में से एक है। भारत के सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, परन्तु राज्य की दृष्टि से किसी व्यक्ति के धर्म, आस्था अथवा विश्वास का कोई महत्व नहीं है। राज्य के समक्ष सभी समान हैं और समान माने जाने के

अधिकारी हैं। राज्य के मामलों में धर्म का कोई स्थान नहीं है। कोई भी राजनैतिक दल साथ-साथ कोई धार्मिक दल नहीं हो सकता है। राजनीतिक और धर्म को मिलाया नहीं जा सकता है। कोई भी राज्य सरकार जो पंथनिरपेक्षता के विपरीत नीतियां अपनाती है अथवा पंथनिरपेक्षता से हट कर कार्य करती है वह संवैधानिक भावना के विपरीत आचरण करती है और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

बिहार में, 15 मार्च, 1995 को विधान सभा के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व चुनाव सम्पन्न नहीं किये जा सके। संवैधानिक संकट से बचने तथा संसद द्वारा 31 मार्च, 1995 तक लेखानुदान पारित कर देने हेतु राज्य में 28 मार्च, 1995 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

बिहार में 12 फरवरी, 1999 को लागू किया गया राष्ट्रपति शासन अभूतपूर्व ढंग से समाप्त किया गया। यद्यपि, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प 26 फरवरी, 1999 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, 8 मार्च, 1999 को मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त करने की सिफारिश कर दी। राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद श्रीमती राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल सरकार 9 मार्च, 1999 को बहाल कर दी गई।

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अंतर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक से रिपोर्ट मिलने पर राष्ट्रपति आदेश, इस अधिनियम के सभी उपबन्धों का या उनमें से किसी का प्रवर्तन ऐसी किसी भी अवधि के लिए जैसा वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगा और ऐसे आनुषंगिक तथा पारिणामिक उपबन्ध कर सकेगा, जो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबन्धों के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। (अधिनियम के पाठ के लिए, **देखिए** परिशिष्ट-तीन)

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के प्रवृत्त होने के बाद से, राष्ट्रपति का शासन छह संघ राज्यक्षेत्रों में 14 बार लागू किया गया है। पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन 6 बार तथा पूर्व संघ राज्यक्षेत्र मणिपुर, मिजोरम और गोवा प्रत्येक में दो बार और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश तथा दिल्ली में एक-एक बार लागू किया गया है।

भाग एक

राज्यों में राष्ट्रपति शासन

1. आन्ध्र प्रदेश*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सी॰एम॰त्रिवेदी (1)	श्री टी॰ प्रकाशम (कांग्रेस तथा आंध्र प्रजा पार्टी का मिला-जुला मंत्रिमंडल) (1)	15-11-54 (2)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (2)	राज्य विधान सभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद श्री टी॰ प्रकाशम के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया जो 15-11-54 को स्वीकार कर लिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर सत्तारूढ़ मिली-जुली पार्टियों के कुछ सदस्यों द्वारा विपक्ष के साथ मतदान किए जाने के कारण सरकार हार गई। (3)
2.	श्री खण्डूभाई के॰ देसाई (9)	श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव (कांग्रेस) (9)	18-1-73 (10)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (11)	राज्य में मुल्की नियम आंदोलन के कारण मुख्यमंत्री ने 17-1-73 को अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया जबकि 288 सदस्यों के सदन में कांग्रेस विधान सभा पार्टी का 217 सदस्यों से पूर्ण बहुमत था। (12)
3.	श्री ई॰ एस॰ एल॰ नरसिंहन (21)	श्री एन॰ किरन कुमार रेड्डी (भारतीय राष्ट्रीय (कांग्रेस) (22)	01-03-14 (23) 28-04-14 (24) 01-06-14 (25)	निलंबित कर दी गई (26) भंग कर दी गई 28-04-14 (27)	लोक सभा में आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित होने के कारण मुख्यमंत्री श्री किरन कुमार रेड्डी ने 19-2-2014 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। (28)

* संसद द्वारा पारित आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्तूबर, 1953 को किया गया था। नवम्बर, 1956 को राज्यों का पुनर्गठन होने पर इस विशाल और पुनर्गठित राज्य को आंध्र प्रदेश नाम दिया गया।

1. आंध्र राज्य, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1954-55, पृष्ठ-1
2. एम॰ आर॰ ओ॰ 3418, भारत का राजपत्र, असाधारण, (भाग-2, खंड 3) दिनांक 15-11-1954
3. आंध्र राज्य एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1954-55, पृष्ठ 2 तथा दल-बदल संबंधी समिति की रिपोर्ट गृह मंत्रालय, भारत सरकार, भाग 2, 1969, पृ॰ 47
4. लोक सभा वाद-विवाद-भाग 2, 16-11-54, कॉलम 5
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 26-11-54, कॉलम 5
6. लोक सभा वाद-विवाद-भाग 2, 19-11-54, कॉलम 409-516
7. राज्य सभा वाद-विवाद 29-11-54, कॉलम 192-276 तथा 30-11-54 कॉलम 352-392
8. एम॰आर॰ओ॰ 664, भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-2, खंड 3) दिनांक 28-3-55
9. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 17-1-73
10. सा॰ का॰ नि॰ 13 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)] दिनांक 18-1-73

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
16-11-54 (4)	26-11-54 (5)	19-11-54 (6)	29-11-54 30-11-54 (7)	–	–	28-3-55 (8)	फरवरी, 1955 में राज्य में सामान्य निर्वाचन के पश्चात् 28-3-55 को श्री बी॰ गोपाल रेड्डी (युनाइटेड कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी) के नेतृत्व में नया मंत्रिमडंल बनाया गया (3)
20-02-73 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 17-1-73 की एक प्रति के साथ) (13)	19-2-73 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 17-1-73 की एक प्रति के साथ) (14)	28-2-73 1-3-73 (15)	1-3-73 (16)	16-8-73 17-1-73 (17)	9-8-73 (18)	10-12-73 (19)	श्री जे॰ वेंगल राव ने 10-12-73 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इनका आंध्र प्रदेश कांग्रेस विधान सभा पार्टी के नेता के रूप में पहले चुनाव हो चुका था (20)
09-06-14 (29)	10-06-14 (30)	–	–	–	–	08-06-14 (31)	राज्य विधान सभा के चुनाव मई, 2014 में हुए। चुनावों के बाद तेलुगु देशम पार्टी (टीडीवी) के नेता श्री एन॰ चन्द्रबाबू नायडू ने 8-06-2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। (32)

11. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट,1973-74 पृष्ठ 4
12. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 17-1-73 तथा लोक सभा वाद-विवाद, 28-2-73, कालम 230-31
13. लोक सभा वाद-विवाद, 20-3-73, कॉलम 245-46
14. राज्य सभा वाद-विवाद,19-3-73, कॉलम 26
15. लोक सभा वाद-विवाद, 28-2-73, कॉलम 230-74 तथा 1-3-73, कॉलम 244–310
16. राज्य सभा वाद-विवाद, 1-3-73, कॉलम 221–324
17. लोक सभा वाद-विवाद, 16-8-73, कॉलम 228–35 तथा 17-8-73, कॉलम 233–78
18. राज्य सभा वाद-विवाद, 9-8-73, कॉलम 141–211
19. सा॰का॰नि॰ 518 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 10-12-73
20. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1973-74, पृष्ठ 4
21. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 20-02-2014
22. दि टाइम्स ऑफ इंडिया (नई दिल्ली), 01 मार्च, 2014
23. सा॰का॰नि॰ 132 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)] दिनांक 10-03-2014
24. सा॰का॰नि॰ 298 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)] दिनांक 28-04-2014
25. सा॰का॰नि॰ 373 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)] दिनांक 01-06-2014
26. दि टाइम्स ऑफ इंडिया (नई दिल्ली), 01 मार्च, 2014
27. सा॰का॰नि॰ 298 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)] दिनांक 28-04-2014
28. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 20-02-2014
29. लोक सभा समाचार भाग-एक, 09-06-2014
30. राज्य सभा वाद-विवाद, 10-06-2014, पृष्ठ-4
31. सा॰का॰नि॰ 385 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)] दिनांक 06-06-2014
32. दि इण्डियन एक्सप्रेस (नई दिल्ली), 09 जून, 2014

2. असम

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एल॰पी॰ सिंह (1)	श्री जे॰एन॰ हजारिका (असम जनता दल) कांग्रेस (उ), कांग्रेस (आई) तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित (1)	12-12-79 (2)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (1 और 2)	राष्ट्रपति को भेजे गए अपने 11-12-79 के प्रतिवेदन में राज्यपाल ने कहा कि श्री हजारिका को केवल 8 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और अब वे असम जनता विधायनी दल के नेता भी नहीं हैं तथा सभी राजनीतिक दलों के जिन नेताओं से राज्यपाल सलाह कर सके हैं उन सभी का यह मत है कि राज्य को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन के अधीन कर दिया जाये जिससे वह आपस में सलाह कर सकें और स्थाई मंत्रिमंडल बनाने के संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकें। अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी करने की सिफारिश करते हुए उन्होंने आगे कहा कि विधान सभा को निलंबित रखा जाये। (1)
2.	श्री एल॰पी॰ सिंह (11)	श्रीमती अनवरा तैमूर [कांग्रेस (आई)] (11)	30-6-81 (12)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (11 और 12)	राष्ट्रपति को भेजे गए अपने 29-6-81 के प्रतिवेदन में राज्यपाल ने कहा कि श्रीमती अनवरा तैमूर ने 28-6-81 को अपना त्यागपत्र दे दिया है तथा अन्य कोई दल स्थाई मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति में नहीं है। (11)

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 11-12-79
2. सा॰का॰नि॰ 688 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)] दिनांक 12-12-79
3. लोक सभा वाद-विवाद, 23-1-80, कॉलम 38–40
4. राज्य सभा वाद-विवाद, 23-1-80, कॉलम 26
5. लोक सभा वाद-विवाद, 2-2-80, कॉलम 171-87
6. राज्य सभा वाद-विवाद, 5-2-80, कॉलम 33–124
7. लोक सभा वाद-विवाद, 10-6-80, कॉलम 305–45
8. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-6-80, कॉलम 164–223
9. सा॰का॰नि॰ 684 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)] दिनांक 6-12-80
10. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1980-81, पृष्ठ 63

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
23-1-80 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 11-12-79 की एक प्रति के साथ) (3)	23-1-80 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 11-12-79 की एक प्रति के साथ) (4)	2-2-80 (5)	5-2-80 (6)	10-6-80 (7)	11-6-80 (8)	6-12-80 (9)	श्रीमती अनवरा तैमूर के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) की सरकार ने 6-12-80 को पद भार संभाला। (10)
17-8-81 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 29-6-81 की एक प्रति के साथ) (13)	18-8-81 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 29-6-81 की एक प्रति के साथ) (14)	20-8-81 21-8-81 24-8-81 (15)	25-8-81 (16)	21-12-81 (17)	24-12-81 (18)	13-1-82 (19)	श्री केशव चन्द्र गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) की सरकार ने 13-1-82 को पद भार संभाला। (19)

11. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 29-6-81
12. सा॰का॰नि॰ 419 (ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3(एक)] दिनांक 30-6-81
13. लोक सभा वाद-विवाद, 17-8-81, कॉलम 333
14. राज्य सभा वाद-विवाद, 18-8-81, कॉलम 318-19
15. लोक सभा वाद-विवाद, 20-8-81, कॉलम 295-354, 21-8-81, कॉलम 369-85, और 24-8-81, कॉलम 412-441
16. राज्य सभा वाद-विवाद, 25-8-81, कॉलम 317-63
17. लोक सभा वाद-विवाद, 21-12-81, कॉलम 420-499
18. राज्य सभा वाद-विवाद, 24-12-81, कॉलम 262-354
19. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1981-82, पृष्ठ 55-56

असम — जारी

1	2	3	4	5	6
3.	श्री प्रकाश मेहरोत्रा (20)	श्री केशव चन्द्र गोगोई (20)	19-3-82 (21)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (21)	विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले ही श्री गोगोई के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने 18-3-82 को त्यागपत्र दे दिया। (20)
4.	श्री डी॰ डी॰ ठाकुर (29)	श्री प्रफुल्ल कुमार महंत (अ॰गण॰) (29)	27-11-90 (30)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (30)	कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति ने महसूस किया कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती। (29)

20. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 18-3-82

21. सा॰का॰नि॰ 256(ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)] दिनांक 19-3-82

7	8	9	10	11	12	13	14
19-3-82 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 18-3-82 की एक प्रति के साथ) (22)	22-3-82 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 18-3-82 की एक प्रति के साथ) (23)	27-3-82 (24)	29-3-82 (25)	5-8-32 (26)	9-8-82 (27)	27-2-83 (28)	फरवरी, 1983 में विधान सभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस (आई) के श्री हितेश्वर सैकिया ने 27-2-83 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (28)
27-12-90 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 26-11-90 की एक प्रति के साथ) (31)	27-12-90 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 26-11-90 की एक प्रति के साथ) (32)	10-1-91 (33)	8-1-91 9-1-91 (34)	–	–	30-6-91 (35)	जून, 1991 में चुनाव होने के बाद, 30-6-91 को कांग्रेस (आई) विधायी दल के नेता श्री हितेश्वर सैकिया ने मंत्रिमंडल का गठन किया। (35)

22. लोक सभा वाद-विवाद, 19-3-82, कॉलम 413
23. राज्य सभा वाद-विवाद, 22-3-82, कॉलम 182-194
24. लोक सभा वाद-विवाद, 27-3-82, कॉलम 10-22 और 156-228
25. राज्य सभा वाद-विवाद, 29-3-82, कॉलम 174-206
26. लोक सभा वाद-विवाद, 5-8-82, कॉलम 292
27. राज्य सभा वाद-विवाद, 9-8-82 कॉलम 285-412
28. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1982-83, पृष्ठ 54
29. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 26-11-90
30. सा॰का॰नि॰ 925 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)] दिनांक 27-11-90
31. लोक सभा वाद-विवाद, 27-12-90
32. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-12-90
33. लोक सभा वाद-विवाद, 10-1-91
34. राज्य सभा वाद-विवाद, 8-1-91 और 9-1-91
35. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 1-7-91

3. बिहार

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	नित्यानन्द कानूनगो (1)	श्री भोला पासवान शास्त्री (संयुक्त विधायक दल) (2)	29-6-68 (3)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई	श्री भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल ने दिनांक 25-6-68 को त्यागपत्र दे दिया। बहुत से विधायकों द्वारा बार-बार दल-बदल करने के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट हो गया कि बिहार विधान सभा में तत्कालीन सदस्यों की स्थायी सरकार बनाना असम्भव है। (1) और (2)
2.	श्री नित्यानन्द कानूनगो (12)	श्री भोला पासवान शास्त्री (लोकतांत्रिक दल) जिन्होंने अन्य दलों के समर्थन से मिला-जुला मंत्रिमंडल बनाया था, ने केवल 9 दिन तक पद पर रहने के पश्चात् 1-7-69 को त्याग पत्र दे दिया। (13)	4-7-69 (14)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (13) और (15)	विधायकों द्वारा लगातार दल-बदल करते रहने के कारण स्थायी सरकार बनाने के बारे में अनिश्चितता रही। (15)

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 26-6-68
2. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1968-69, पृष्ठ 70
3. सा॰का॰नि॰ 1228, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 29-6-68
4. लोक सभा वाद-विवाद, 22-7-68 कॉलम 310
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 22-7-68 कॉलम 106
6. लोक सभा वाद-विवाद, 25-7-68 कॉलम 1533-1666
7. राज्य सभा वाद-विवाद, 22-7-68 कॉलम 114-188
8. लोक सभा वाद-विवाद, 19-2-68 कॉलम 270–313
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 10-12-68 कॉलम 3482-3509
10. सा॰का॰नि॰ 504, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 26-02-69

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
22-7-68 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 26-6-68 की एक प्रति के साथ) (4)	22-7-68 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 26-6-68 की एक प्रति के साथ) (5)	25-7-68 (6)	22-7-68 (7)	19-12-68 (8)	10-12-68 (9)	26-2-69 (10)	फरवरी, 1969 में राज्य में नये चुनाव होने के बाद 26-2-69 को कांग्रेस विधानमंडल दल के नये नेता श्री हरिहर सिंह ने नए मंत्रिमंडल (मिला-जुला) का गठन किया। (11)
21-7-69 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 1-7-69 की एक प्रति के साथ) (16)	21-7-69 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 1-7-69 की एक प्रति के साथ) (17)	30-8-69 (18)	21-8-69 (19)	–	–	16-2-70 (20)	कांग्रेस विधान-मंडल दल में एक ग्रुप के नेता श्री दारोगा प्रसाद राय, ने 16-2-70 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (21)

11. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1968-69, पृष्ठ 71
12. भारत, 1969, पृष्ठ 442
13. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1969-70, पृष्ठ 79
14. सा॰का॰नि॰ 1600, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 4-7-69
15. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 1-7-69
16. लोक सभा वाद-विवाद, 21-7-69, कॉलम 244-45
17. राज्य सभा वाद-विवाद, 21-7-69 कॉलम 134
18. लोक सभा वाद-विवाद, 30-8-69 कॉलम 127-72
19. राज्य सभा वाद-विवाद, 21-8-69 कॉलम 5112-5142
20. सा॰का॰नि॰ 236, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 16-2-70
21. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1969-70, पृष्ठ 81

बिहार — जारी

1	2	3	4	5	6
3.	श्री डी॰के॰ बरुआ (22)	श्री भोला पासवान शास्त्री (मिला-जुला मंत्रिमंडल) ने 27-12-71 को त्याग-पत्र दे दिया (22)	9-1-72 (दिनांक 9-1-72 की उद्घोषणा 2 महीने के लिए लागू रही तत्पश्चात् इसका समय समाप्त हो गया, 9-3-72 को नई उद्घोषणा जारी की गई) (23)	29-12-71 को विधान सभा भंग कर दी गई (24)	राज्य में स्थायी सरकार के गठन के लिये मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया। (22)

22. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 27-12-71

23. सा॰का॰नि॰ 19 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 9-1-72 तथा जी॰एस॰आर॰ 97 (ई), भारत का राजपत्र [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 9-3-72

24. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1971-72, पृष्ठ 35

7	8	9	10	11	12	13	14
13-3-72 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 27-12-71 की एक प्रति के साथ) (25)	13-3-72 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 27-12-71 की एक प्रति के साथ) (26)	-	-	-	-	19-3-72 (27)	मार्च, 1972 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। श्री केदार पांडे को कांग्रेस विधान मंडल दल का नेता चुना गया और उन्होंने 19-3-72 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (24)

25. लोक सभा वाद-विवाद, 13-3-72 कॉलम 35-36

26. राज्य सभा वाद-विवाद, 13-3-72 कॉलम 26-27

27. सा॰का॰नि॰ 197 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 19-3-72

बिहार — जारी

1	2	3	4	5	6
4.	श्री जगन्नाथ कौशल (28)	डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र (कांग्रेस) (28)	30-4-77 (29)	साथ-ही-साथ विधान सभा भंग कर दी गई (29)	मार्च, 1977 के लोक सभा चुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस बिहार से कोई भी सीट नहीं जीत सकी। केन्द्रीय सरकार ने इसका अर्थ लगाया कि राज्य सरकार में निर्वाचकों का विश्वास पूर्णत: समाप्त हो गया है। (30)
5.	श्री ए॰आर॰ किदवई (35)	श्री रामसुन्दर दास (जनता) (35)	17-2-80 (36)	साथ-ही-साथ विधान सभा भंग कर दी गई (36)	केन्द्र सरकार ने यह महसूस किया कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा चुनावों में भारी हार के कारण राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी अब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। (37)
6.	श्री ए॰आर॰ किदवई (44)	श्री लालू प्रसाद यादव (44)	28-3-95 (44)	राज्य विधान सभा की अवधि 15-3-95 को पूरी हो गई (44)	31 मार्च, 1995 तक राज्य विधान सभा का चुनाव पूरा नहीं हो सकने के कारण राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की ताकि संसद लेखानुदान पारित कर सके। (44)
7.	श्री सुन्दर सिंह भंडारी (48)	श्रीमती राबड़ी देवी (राजद) (48)	12-2-99 (49)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (48)	राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1998 में लगभग 500 घटनाएं घटित हुई थीं जिसमें 600 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। 25 जनवरी, 1999 को जहानाबाद जिले के शंकरबीघा गांव में अनुसूचित जाति के 22 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 1 फरवरी, 1999 को पुन: जहानाबाद जिले के खोजा नारायणपुर गांव के 11 दलितों की हत्या कर दी गई थी। (50)
8.	सरदार बूटा सिंह (57)	श्रीमती राबड़ी देवी (राजद) कार्यवाहक मुख्यमंत्री क्योंकि विधान सभा का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया था। (58)	7-3-2005 (59)	विधान सभा निलंबित कर दी गई, बाद में 23-5-05 को भंग कर दी गयी (60)	चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक दल या दलों अथवा समूहों का गठबंधन विधान सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। (61)

28. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 3-5-77

29. सा॰का॰नि॰ 217 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 30-4-77

30. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 9-10 और दि जनरल ऑफ पार्लियामेंटरी इन्फार्मेशन, अप्रैल-जून, 1977, पृ॰ 24, 369

7	8	9	10	11	12	13	14
11-6-76 (31)	11-6-77 (32)	–	–	–	–	24-6-77 (33)	जून, 1977 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव हुए। चुनाव परिणामों की घोषणा के आधार पर श्री कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने 24-6-77 को पदभार संभाला। (34)
11-3-80 (38)	11-3-80 (39)	25-3-80 26-3-80 (40)	27-3-80 (41)	–	–	8-6-80 (42)	मई, 1980 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव हुए। डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र के नेतृत्व में कांग्रेस (ई) सरकार ने 8-6-80 को पदभार संभाला। (43)
29-3-95 (45)	29-3-95 (46)	–	–	–	–	4-4-95 (47)	श्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में निर्वाचित जनता दल सरकार ने 4-4-95 को शपथ ग्रहण की। (47)
22-2-99 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 18-9-98 और 11-2-99 की एक प्रति के साथ) (51)	22-2-99 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 18-9-98 और 11-2-99 की एक प्रति के साथ) (52)	25-2-99 26-2-99 (53)	बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन के आशय संबंधी सांविधिक संकल्प राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया था (54)	–	–	8-3-99 (55)	8-3-99 को कैबिनेट ने राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त करने की सिफारिश की। श्रीमती राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल सरकार को 9-3-99 को पुन: बहाल किया गया था। (54) और (56)
15-3-05 (62)	16-3-05 (63)	19-3-05 (64)	21-3-05 (65)	–	–	24-11-05 (66)	विधान सभा चुनाव में जद (यू) और भाजपा गठबंधन को बहुमत मिला और श्री नीतिश कुमार ने 24-11-05 को मुख्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। (67)

31. लोक सभा वाद-विवाद, 11-6-77 कॉलम 7
32. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-6-77 कॉलम 5
33. सा॰का॰नि॰ 406 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 24-6-77
34. गृह मंत्रालय का वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 10
35. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 19-2-80
36. सा॰का॰नि॰ 52 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 17-2-80
37. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80 कॉलम 199-200 (देखिए केन्द्रीय गृह मंत्री का भाषण)
38. लोक सभा वाद-विवाद, 11-3-80 कॉलम 197-201
39. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-3-80 कॉलम 121-172
40. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80 कॉलम 196-306 और 26-3-80, कॉलम 321-410
41. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-3-80 कॉलम 196-392
42. सा॰का॰नि॰ 303 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 8-6-80
43. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 9-6-80
44. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 29-3-95
45. लोक सभा वाद-विवाद, 29-3-95
46. राज्य सभा वाद-विवाद, 29-3-95
47. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 4-4-95
48. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली दिनांक 13-2-99
49. सा॰का॰नि॰ 107 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 12-9-99
50. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 11-2-99
51. लोक सभा वाद-विवाद, 22-2-99 कॉलम 17-18
52. राज्य सभा वाद-विवाद, 22-2-99 कॉलम 40-41
53. लोक सभा वाद-विवाद, 25-2-99 कॉलम 385-476 और 26-2-99, कॉलम 457-626
54. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 9-3-99
55. सा॰का॰नि॰ 198 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 8-3-99
56. लोक सभा वाद-विवाद, 8-3-99 कॉलम 624
57. राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 6-3-2005
58. राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 6-3-2005
59. सा॰का॰नि॰ 162 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 7-3-2005
60. राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 6-3-2005
61. राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 6-3-2005
62. लोक सभा वाद-विवाद, 15-3-2005
63. राज्य सभा वाद-विवाद, 16-3-2005
64. लोक सभा वाद-विवाद, 19-3-2005, कॉलम 12-142
65. राज्य सभा वाद-विवाद, 21-3-2005, कॉलम 205-266
66. सा॰का॰नि॰ 685 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 24-11-2005
67. नेशनल हेराल्ड, नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर, 2005

4. गोवा*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री खुर्शीद आलम खान (1)	डॉ॰ लुईस प्रोटो बारबोसा (पीडीएफ) (1)	14-12-90 (2)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (2)	डा॰ बारबोसा के निरर्हता संबंधी आदेश का उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन किये जाने पर डा॰ बारबोसा के नेतृत्व वाले शासक दल पी॰डी॰एफ॰ से एम॰जी॰पी॰ द्वारा समर्थन वापस ले लिए जाने पर कोई अन्य दल स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। (1)
2.	लेफ्टि॰ जनरल जे॰एफ॰आर॰ (जैकब) (8)	श्री लुईजिनहो फेलिरियो (कांग्रेस) (8)	10-2-99 (9)	विधान सभा भंग कर दी गई (9)	दिनांक 3-2-99 को दो कैबिनेट मंत्रियों द्वारा समर्थन वापस ले लिए जाने के बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी। मुख्य मंत्री ने विश्वास-प्रस्ताव लाने के पहले ही 8-2-99 को त्यागपत्र दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नयी सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनैतिक दल को समर्थन देने के लिए इंकार कर दिया। विधायकों के बहुमत (40 में से 36) ने राष्ट्रपति शासन लागू करने और यथाशीघ्र चुनाव कराने की मांग की। (10)
3.	श्री एस॰ सी॰ जमीर (17)	श्री प्रतापसिंह राणे (कांग्रेस) (18)	4-3-2005 (19)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (20)	मुख्यमंत्री को अपनी ही पार्टी में समर्थन का अभाव और विश्वास-प्रस्ताव पर मतदान करने से विपक्ष के एक सदस्य को रोकने में अस्थायी अध्यक्ष की भूमिका। (21)

* संसद के एक अधिनियम गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 के द्वारा 30-5-1987 से गोवा एक अलग राज्य बन गया। राज्य बनने से पहले राष्ट्रपति शासन से संबंधित जानकारी के लिए देखिए संघ राज्यक्षेत्र (भाग-दो)।

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 11-12-90

2. सा॰का॰नि॰ 949 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 14-12-90

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
27-12-90 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 11-12-90 की एक प्रति के साथ) (3)	27-12-90 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 11-12-90 की एक प्रति के साथ) (4)	2-1-91 (5)	7-1-91 8-1-91 (6)	-	-	25-1-91 (7)	एम॰जी॰पी॰ विभाजित दल के श्री रवि नायक ने 25-1-91 को मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। (7)
22-2-99 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 3-2-99 और 8-2-99 की एक प्रति के साथ) (11)	27-12-90 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 3-2-99 और 8-2-99 की एक प्रति के साथ) (12)	24-2-99 (13)	10-3-99 (14)	-	-	9-6-99 (15)	राज्य विधान सभा के लिए चुनाव 4 जून, 1999 को हुए थे। श्री लुईजिनहो फेलिरियो के नेतृत्व में 9-6-99 को कांग्रेस (आई॰) सरकार ने कार्यभार संभाला। (16)
9-3-05 (22)	9-3-05 (23)	18-3-05 (24)	19-3-05 (25)	-	-	7-6-05 (26)	उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को विधान सभा की पांच में से तीन सीटें मिली और सभा में उसे बहुमत मिला तथा श्री प्रताप सिंह राणें के नेतृत्व में 7-6-05 को सरकार बनी। (27)

3. लोक सभा वाद-विवाद, 27-12-90
4. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-12-90
5. लोक सभा वाद-विवाद, 2-1-91
6. राज्य सभा वाद-विवाद, 7-1-91 और 8-1-91
7. सा॰का॰नि॰ 48 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 25-1-91
8. दि इंडियन एक्सप्रैस, नई दिल्ली, 11-2-99
9. सा॰का॰नि॰ 94 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 10-2-99
10. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 8-2-99
11. लोक सभा वाद-विवाद, 22-12-99, कॉलम 17
12. राज्य सभा वाद-विवाद, 22-2-99, कॉलम 40
13. लोक सभा वाद-विवाद, 24-2-99, कॉलम 231-283
14. राज्य सभा वाद-विवाद, 21-3-2005, कॉलम 258-296
15. सा॰का॰नि॰ 419 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 9-6-99
16. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 10-6-99
17. इंडिया 2005, रेफरेंस ऐनुअल
18. डेक्कन हेराल्ड (बैंगलूर) 5-3-2005
19. लोक सभा वाद-विवाद, 9-3-2005
20. डेक्कन हेराल्ड (बैंगलूर) 5-3-2005
21. इंडियन एक्सप्रैस, नई दिल्ली, 5-3-2005
22. लोक सभा वाद-विवाद, 9-3-2005,
23. राज्य सभा वाद-विवाद, 9-3-2005
24. लोक सभा वाद-विवाद, 18-3-2005, कॉलम 408-473
25. राज्य सभा वाद-विवाद, 19-3-2005, कॉलम 8-48
26. सा॰का॰नि॰ 355 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 7-6-2005
27. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 8-6-2005

5. गुजरात*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री श्रीमन नारायण (1)	श्री हितेन्द्र देसाई [कांग्रेस (ओ॰)] (1)	13-5-71 (2)	साथ-ही-साथ विधान सभा भंग कर दी गई (2)	विधायकों द्वारा बार-बार दल बदल से अनिश्चितता के कारण स्थायी सरकार नहीं बन सकती थी। 11 मई, 1971 को मंत्रिपरिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई जिसमें एक संकल्प पारित करके राज्यपाल को परामर्श दिया गया कि वह विधान सभा को भंग करें।
2.	श्री के॰के॰ विश्वनाथन (11)	श्री चिमनभाई जे॰ पटेल (कांग्रेस) (11)	9-2-74 (12)	विधान सभा निलंबित की गई तथा 15-3-74 को बाद में भंग कर दी गई। (13)	राज्य में लगातार आंदोलनों के कारण मुख्यमंत्री ने 9-2-74 को अपना त्यागपत्र दे दिया जबकि सभा में कुल सदस्य संख्या 168 में से 140 सदस्य कांग्रेस के थे और उसका पूर्ण बहुमत था। (11) और (13)

* बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 के अधीन बम्बई राज्य का विभाजन दो राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में, 1 मई 1960 को किया गया।

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, 12-5-70
2. सा॰का॰नि॰ 691, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 13-5-71
3. लोक सभा वाद-विवाद, 24-5-71, कॉलम 159
4. राज्य सभा वाद-विवाद, 24-5-71, कॉलम 155
5. लोक सभा वाद-विवाद, 21-6-71, कॉलम 110-146
6. राज्य सभा वाद-विवाद, 31-5-71, कॉलम 190-254
7. लोक सभा वाद-विवाद, 4-12-71, कॉलम 136-146
8. राज्य सभा वाद-विवाद, 31-11-71, कॉलम 143-164
9. सा॰का॰नि॰ 108 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 17-3-1972
10. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1971-72, पृष्ठ 32

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
24-5-71 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 12-5-71 की एक प्रति के साथ) (3)	24-5-71 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 12-5-71 की एक प्रति के साथ) (4)	21-6-71 (5)	31-5-71 (6)	4-12-71 (7)	30-11-71 (8)	17-3-72 (9)	मार्च, 1972 में गुजरात विधान सभा के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। श्री घनश्याम भाई सी॰ ओझा, नव- निर्वाचित कांग्रेस विधायक दल के नेता ने 17-3-72 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (10)
19-2-74 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 9-2-74 की एक प्रति के साथ) (14)	18-2-74 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 9-2-74 की एक प्रति के साथ) (15)	11-3-74 (16)	7-3-74 11-3-74 (17)	6-9-74 7-9-74 27-2-75 (18)	24-8-74 3-3-75 (19)	18-6-75 (20)	जून, 1975 में गुजरात विधान सभा के लिए चुनावों के बाद जनता फ्रन्ट के श्री बाबू भाई पटेल ने 18-6-75 को नये मंत्रिमंडल का गठन किया। (21)

11. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 9-2-74
12. सा.का.नि. 34 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2,खण्ड 2 (एक)], दिनांक 9-2-74
13. गृह मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन, 1974-75, पृष्ठ 2
14. लोक सभा वाद-विवाद, 19-2-74, कॉलम 227
15. राज्य सभा वाद-विवाद, 18-2-74, कॉलम 28
16. लोक सभा वाद-विवाद, 11-3-74, कॉलम 228-386
17. राज्य सभा वाद-विवाद, 7-3-74, कॉलम 120-220 और 11-3-74, कॉलम 131-156
18. लोक सभा वाद-विवाद, 6-9-74, कॉलम 99-150; 7-9-74, कॉलम 82-109 और 27-2-75, कॉलम 285-362
19. राज्य सभा वाद-विवाद, 24-8-74, कॉलम 52-135 और 3-3-75, कॉलम 147-221
20. सा.का.नि. 336 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2,खण्ड 3 (एक)], दिनांक 18-6-75
21. इण्डियन एण्ड फारेन रिव्यू, कॉलम 12, नं॰ 18, दिनांक 1-7-75, पृष्ठ 10

गुजरात — जारी

1	2	3	4	5	6
3.	श्री के॰के॰ विश्वनाथन (22)	श्री बाबू भाई जशभाई पटेल (जनता फ्रंट) 1 जून 1975 में राज्य में हुए मध्यावधि चुनावों के बाद पांच पार्टियों कांग्रेस (ओ॰), भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रीय मजदूर पक्ष और 77 निर्दलीय सदस्यों ने 181 सदस्यों वाली विधान सभा में 86 सदस्यों से जनता फ्रंट लेजिस्लेचर पार्टी बनाई। फ्रंट ने 5 निर्दलीय तथा किसान मजदूर लोक पक्ष के 12 सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त कर लिया। (22)	12-3-76 (23)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (22) और (23)	जनता फ्रंट सरकार का समर्थन करने वाली किसान मजदूर लोक पक्ष पार्टी 11-2-76 को तब भंग हो गई जब विधान सभा में खाद्य तथा नागरिक पूर्ति विभाग की अनुदानों की मांगों पर विधान सभा में मतदान होने वाला था, मंत्रिमंडल की हार हुई और मुख्यमंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया। चूंकि कोई भी पार्टी अथवा पार्टियों का समूह स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। अत: राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। (22)
4.	श्रीमती शारदा मुखर्जी (31)	श्री बाबू भाई पटेल (जनता) (32)	17-2-80 (33)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (33)	जनवरी, 1980 में लोक सभा चुनावों में भारी हार होने के कारण केन्द्र सरकार ने महसूस किया कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी अब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। (34)
5.	श्री कृष्ण पाल सिंह (41)	श्री सुरेश मेहता (भाजपा) (41)	19-9-96 (42)	विधान सभा निलंबित कर दी गई और बाद में 23-10-96 को पुन: बहाल कर दी गई (43)	दिनांक 18-8-96 को राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया कि विद्रोही गुट एक नए दल का गठन कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गयी थी। 3-9-96 को उपाध्यक्ष ने विद्रोही गुट के नवगठित दल को मान्यता प्रदान की। 9-9-96 को अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के विभाजित ग्रुप को एक पृथक दल के रूप में मान्यता प्रदान करने संबंधी अध्यक्ष के विनिर्णय को प्रारंभ से ही असंवैधानिक तथा अकृत और शून्य घोषित किया। (44)

22. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 12-3-76

23. सा.का.नि. 123 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2,खण्ड 3 (एक)], दिनांक 12-3-76

7	8	9	10	11	12	13	14
15-3-76 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 12-3-76 की एक प्रति के साथ) (24)	15-3-76 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 12-3-76 की एक प्रति के साथ) (25)	24-3-76 (26	22-3-76 (27)	31-8-76 1-9-76 (28)	31-8-76 (29)	24-12-76 (30)	कांग्रेस पार्टी के श्री माधव सिंह सोलंकी ने 24-12-76 को नये मंत्रिमंडल का गठन किया। (30)
11-3-80 (35)	11-3-80 (36)	25-3-80 26-3-80 (37)	27-3-80 (38)	-	-	7-6-80 (39)	मई, 1980 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव हुए। श्री माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस (आई०)की सरकार ने 7-6-80 को पदभार संभाला। (40)
21-11-96 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 13-9-96 और 18-9-96 की एक प्रति के साथ) (45)	26-11-96 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 13-9-96 और 18-9-96 की एक प्रति के साथ) (46)	-	-	-	-	23-10-96 (47)	दिनांक 23-10-96 को राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक विघटित ग्रुप, महा गुजरात जनता पार्टी के श्री शंकर सिंह वाघेला ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। (48)

24. लोक सभा वाद-विवाद, 15-3-76, कॉलम 165
25. राज्य सभा वाद-विवाद, 15-3-76, कॉलम 80
26. लोक सभा वाद-विवाद, 24-3-76, कॉलम 235-265
27. राज्य सभा वाद-विवाद, 22-3-76, कॉलम 108-195
28. लोक सभा वाद-विवाद, 31-8-76, कॉलम 253-262 और 1-9-76, कॉलम 101-162
29. राज्य सभा वाद-विवाद, 31-8-76, कॉलम 180-222
30. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1987-77, पृष्ठ 7
31. दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 15-3-80
32. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 18-2-80
33. सा०का०नि० 50 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2,खण्ड 3 (एक)], दिनांक 17-2-80
34. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 199-200 (देखिए केन्द्रीय गृह मंत्री का भाषण)
35. लोक सभा वाद-विवाद, 11-3-81, कॉलम 197-201
36. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 121-172
37. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 196-306 और 26-3-80, कॉलम 321-410
38. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-3-80, कॉलम 195-392
39. सा०का०नि० 292 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2,खण्ड 3 (एक)], दिनांक 7-6-80
40. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 11-6-80
41. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 20-9-96
42. सा०का०नि० 429 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2,खण्ड 3 (एक)], दिनांक 19-9-96
43. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 30-10-96
44. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 13-9-96
45. लोक सभा वाद-विवाद, 21-11-96, कॉलम 206
46. राज्य सभा वाद-विवाद, 26-11-96, कॉलम 226
47. सा०का०नि० 489 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2,खण्ड 3 (एक)], दिनांक 23-10-96
48. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 24-10-96

6. हरियाणा*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बी॰एन॰ चक्रवर्ती (1)	श्री बीरेन्द्र सिंह (संयुक्त दल) (1)	21-11-67 (2)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (2)	हरियाणा में दल-बदल आम बात हो गई थी जिससे संविधान और लोकतंत्र उपहास का विषय बन गया था। (1)
2.	श्री जयसुखलाल हाथी (9)	श्री बनारसी दास गुप्त (कांग्रेस) (10)	30-4-77 (11)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (18)	मार्च, 1977 में हुए लोक सभा चुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस हरियाणा से एक भी सीट नहीं जीत सकी। केन्द्र सरकार ने इसका यह अर्थ लगाया कि राज्य सरकार पर से निर्वाचकों को विश्वास पूर्णतया समाप्त हो गया है। (12)

*पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1996 के अधीन पुराने पंजाब राज्य का 1-11-1966 को दो राज्यों पंजाब और हरियाणा तथा एक नये चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में पुनर्गठन किया गया।

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 17-11-67

2. सा॰का॰नि॰ 1753 भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-12,खण्ड 3 (एक)], दिनांक 21-11-67

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(यें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(यें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
21-11-67 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 17-11-67 की एक प्रति के साथ) (3)	21-11-67 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 17-11-67 की एक प्रति के साथ) (4)	21-11-67 (5)	22-11-67 23-11-67 27-11-67 (6)	–	–	21-5-68 (7)	हरियाणा विधान सभा के लिए मई, 1968 में चुनाव कराये गए। कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। श्री बंसीलाल को नेता चुना गया और उनको 21-5-68 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई। (8)
11-6-77 (13)	11-6-77 (14)	–	–	–	–	21-6-77 (15)	जून, 1977 में राज्य सभा के लिए चुनाव कराए गए। श्री देवीलाल के नेतृत्व में 21-6-77 को जनता पार्टी की सरकार ने पदभार संभाला। (16)

3. लोक सभा वाद-विवाद, 21-11-67, कॉलम 1699-1700
4. राज्य सभा वाद-विवाद, 21-11-67, कॉलम 385-396
5. लोक सभा वाद-विवाद, 21-11-67, कॉलम 1727-1838
6. राज्य सभा वाद-विवाद, 21-11-67, कॉलम 607-700; 23-11-67, कॉलम 860-943 और 27-11-67, कॉलम 1293-1406
7. सा॰का॰नि॰ 949 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2,खण्ड 3 (एक)], दिनांक 21-5-68
8. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1968-69, पृष्ठ 3
9. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 2-5-77 को 'इन्फा का हूज हू' 1978-79, पृष्ठ 144
10. पैट्रियट, दिनांक 30-4-77
11. सा॰का॰नि॰ 201 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2,खण्ड 3 (एक)], दिनांक 30-4-77
12. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 9-10 देखिये 'प्रस्तावना', पृष्ठ 1
13. लोक सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 4
14. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 3
15. सा॰का॰नि॰ 390 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2,खण्ड 3 (एक)], दिनांक 21-6-77
16. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 10

हरियाणा — जारी

1	2	3	4	5	6
3.	श्री धनिक लाल मंडल (17)	श्री ओम प्रकाश चौटाला (जनता दल-एस) (17)	6-4-91 (18)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (18)	विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा तीन विधायकों को निरर्हित कर दिये जाने के बाद श्री चौटाला की सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से 3-4-91 से पहले विधान सभा में बहुतम सिद्ध करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के निर्देशों को मानने से इंकार कर दिया चूंकि उन्होंने पहले ही विधान सभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी। निश्चित अवधि के बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। (17)

17. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन 2-4-91

18. सा॰का॰नि॰ 208 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2,खण्ड 3 (एक)], दिनांक 6-4-91

7	8	9	10	11	12	13	14
11-7-91 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 2-4-91 की एक प्रति के साथ) (19)	3-6-91 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 2-4-91 की एक प्रति के साथ) (20)	-	4-6-91 (21)	-	-	23-6-91 (22)	जून, 1991 में विधान सभा के चुनावों के बाद 23-6-91 को कांग्रेस (ई) दल के श्री भजनलाल के मुख्यमंत्रित्व के नये मंत्रिमंडल का गठन किया गया। (22)

19. लोक सभा वाद-विवाद, 11-7-91
20. राज्य सभा वाद-विवाद, 3-6-91
21. राज्य सभा वाद-विवाद, 4-6-91
22. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 24-6-91

7. हिमाचल प्रदेश*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अमीनुद्दीन अहमद खां (1)	श्री राम लाल (कांग्रेस) (2)	30-4-77 (3)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (3)	मार्च, 1977 में हुए लोक सभा चुनावों में कांग्रेस-राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी-हिमाचल प्रदेश से कोई भी सीट नहीं जीत सकी। केन्द्र सरकार ने इसका यह अर्थ लगाया कि राज्य सरकार पर से निर्वाचकों का विश्वास पूर्णतया समाप्त हो गया है। (4)
2.	श्री वीरेन्द्र वर्मा (9)	श्री शांता कुमार (भा॰ज॰पा॰) (10)	15-12-92 (11)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (12)	6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या स्थित विवादित ढ़ांचे को कार सेवकों द्वारा गिरा दिया गया। संघीय सरकार का विचार था कि प्रतिबन्धित संगठनों के सदस्यों द्वारा संचालित सरकार को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, राष्ट्रपति ने सरकार बर्खास्त कर दी और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। (13)

*संसद के एक अधिनियम ''हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970'' के द्वारा 25-1-1971 को हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना।

1. दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 24-4-77 तथा इन्फा का 'इंडिया हूज हू' 1977 -78 पृ॰ 141
2. दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 28-7-77
3. सा॰का॰नि॰ 203, (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 30-4-77
4. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृ॰ 9-10

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
11-6-77 (5)	11-6-77 (6)	–	–	–	–	22-6-77 (7)	जून, 1977 में राज्य विधान सभा के लिये चुनाव हुए। श्री शान्ता कुमार के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने 22-6-1977 को पदभार संभाला। (8)
18-12-92 (13)	18-12-92 (14)	22-12-92 23-12-92 (15)	19-12-92 (16)	12-5-93 (17)	13-5-93 (18)	3-12-93 (19)	विधान सभा चुनाव 9-11-1993 को हुए। श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को 3-12-1993 को शपथ ग्रहण करायी गई। (20)

5. लोक सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 4-5
6. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 4
7. सा॰का॰नि॰ 391 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 22-6-77
8. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 10
9. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 16-12-1992
10. इंडिया हूज हू, 1993
11. सा॰का॰नि॰ 1928 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 15-12-92
12. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 16-12-1992
13. लोक सभा वाद-विवाद, 18-12-1992
14. राज्य सभा वाद-विवाद, 18-12-1992
15. लोक सभा वाद-विवाद, 22-12-1992 और 23-12-1992
16. राज्य सभा वाद-विवाद, 19-12-1992
17. लोक सभा वाद-विवाद, 12-5-1993
18. राज्य सभा वाद-विवाद, 13-5-1993
19. सा॰का॰नि॰ 727 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 3-12-93
20. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 4-12-1993

8. जम्मू और कश्मीर

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगमोहन (1)	राज्यपाल के शासन* के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया (1)	7-9-86 (2)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (3)	राष्ट्रपति ने राज्यपाल के प्रतिवेदन और दूसरी सूचनाएं मिलने पर विचार करके यह महसूस किया कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य सरकार उस राज्य में लागू भारतीय संविधान के उपबंधों और जम्मू और कश्मीर संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है। (3)
2.	श्री गिरीश सक्सेना (7)	राज्यपाल के शासन के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया	18-7-90 (8)	विधान सभा 19-2-90 को राज्यपाल शासन के दौरान भंग कर दी गई। (7)	राज्य के व्यापक स्तर पर चल रही आतंकवादी गतिविधियों के फलस्वरूप बिगड़ते सुरक्षा और राजनीतिक हालात को देखते हुए राष्ट्रपति ने महसूस किया कि राज्य सरकार उस राज्य में लागू भारतीय संविधान के उपबंधों तथा जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है। (7)
3.	श्री एन॰एन॰ वोहरा (16)	श्री गुलाम नबी आजाद [कांग्रेस (आई) और पीडीपी गठबंधन] (17)	10-7-2008 (18)	विधान सभा भंग कर दी गई (19)	पी॰डी॰पी॰ द्वारा गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद, मुख्यमंत्री ने विधान सभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व त्याग पत्र दे दिया। (20)

* राज्य में, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्यपाल का शासन 27-3-77 को पहली बार लागू किया गया था, जब कांग्रेस पार्टी ने शेख मोहम्मद अब्बदुला के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेस से अपना समर्थन वापस ले लिया और राज्यपाल श्री एल॰के॰ झा ने इसके साथ ही विधान सभा भंग कर दी थी। राज्य विधान सभा के चुनाव के पश्चात् नेशनल कांफ्रेस के नेता शेख अब्दुल्ला ने 9-7-77 को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया; दूसरी बार 7-3-86 को जब गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेस (खालिदा ग्रुप) को कांग्रेस आई॰ पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं रहा, राज्यपाल श्री जगमोहन ने जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अंतर्गत राज्यपाल का शासन लागू कर दिया, जो 6-9-86 को समाप्त हो गया और उसके बाद राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया। नेशनल कांफ्रेस के डॉ॰ फारूख अब्दुल्ला द्वारा त्यागपत्र देने के बाद तीसरी बार 19-1-90 को राज्यपाल श्री जगमोहन ने राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर दिया। विधान सभा निलम्बित कर दी गई और बाद में 19-2-90 को भंग कर दी गई।

1. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), दिनांक 8-9-1986
2. सा॰का॰नि॰ 1061 (ङ) और 1062 (ई) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 7-9-1986
3. पी॰आई॰बी॰ विज्ञप्ति, दिनांक 7-9-86

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
4-11-86 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 3-9-86 की एक प्रति के साथ) (4)	4-11-86 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 3-9-86 की एक प्रति के साथ) (5)	–	–	–	–	6-11-86 (दो महीने की अवधि के बाद उद्घोषणा लागू नहीं रही।) (6)	राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद नेशनल कांफ्रेस के डॉ॰ फारूख अब्दुल्ला के मुख्यमंत्रित्व में दिनांक 7-11-86 को राज्य में सरकार बनी। (6)
7-8-90 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 3-7-90 की एक प्रति के साथ) (9)	7-8-90 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 3-7-90 की एक प्रति के साथ) (10)	16-8-90 20-8-90 21-8-90 (11)	23-8-90 24-8-90 29-8-90 30-8-90 3-9-90 (12)	27-2-91 26-8-91 26-2-92 27-2-92 11-8-92 25-2-93 26-8-93 28-8-93 2-3-94 9-8-94 14-2-95 3-6-95 14-12-95 10-7-96 11-7-96 12-7-96 (13)	26-2-91 26-8-91 27-8-91 25-2-92 26-2-92 27-2-92 18-8-92 25-2-93 1-3-93 25-8-93 26-8-93 28-2-94 10-8-94 14-2-95 1-6-95 15-12-95 15-7-96 16-7-96 (14)	9-10-96 (15)	राज्य विधानसभा के लिए चुनाव सितम्बर 1996 में हुए थे। चुनाव परिणामों के आधार पर डॉ॰ फारूख अब्दुल्ला के मुख्यमंत्रित्व में दिनांक 9-10-96 को राज्य में सरकार का गठन हुआ। (15)
21-7-08 (21)	17-12-08 (22)	–	–	–	–	05-01-09 (23)	वर्ष 2008 के दौरान हुए विधान सभा चुनावों के पश्चात् नेशनल कांफ्रेस के श्री उमर अब्दुल्ला को दिनांक 05-01-2009 को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। (24)

4. लोक सभा वाद-विवाद, 4-11-86, कॉलम 293-94
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 4-11-86, कॉलम 212-15
6. गृह मंत्रालय, भारत सरकार
7. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 3-7-90
8. सा॰का॰नि॰ 647 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 18-7-90
9. लोक सभा वाद-विवाद, 7-8-90
10. राज्य सभा वाद-विवाद, 7-8-90
11. लोक सभा वाद-विवाद, 16-8-90, 20-8-90 और 21-8-90
12. राज्य सभा वाद-विवाद, 23-8-90, 24-8-90, 29-8-90, 30-8-90 और 3-9-90
13. लोक सभा वाद-विवाद, 27-2-91, 26-8-91, 26-2-92, 27-2-92, 11-8-92, 25-2-93, 26-8-93, 28-8-93, 2-3-94, 9-8-94, 14-2-95, 3-6-95, 14-12-95, 10-7-96, 11-7-96 और 12-7-96
14. राज्य सभा वाद-विवाद, 26-2-91, 26-8-91, 27-8-91, 25-2-92, 26-2-92, 27-2-92, 18-8-92, 25-2-93, 1-3-93, 25-8-93, 26-8-93, 28-2-94, 10-8-94, 14-2-95, 1-6-95, 15-12-95, 15-7-96 और 16-7-96
15. गृह मंत्रालय की वर्ष 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट, पृ॰ 4
16. पी-1/08 जम्मू और कश्मीर सरकार राजपत्र, असाधारण, भाग 1-ख, दिनांक 10-7-08
17. दि एशियन एज, नई दिल्ली, दिनांक 8-7-2008
18. लोक सभा वाद-विवाद, 21-07-2008
19. पी-1/08 जम्मू और कश्मीर सरकार राजपत्र, असाधारण, भाग 1-ख, दिनांक 10-7-08
20. दि एशियन एज, नई दिल्ली, दिनांक 8-7-2008
21. लोक सभा वाद-विवाद, 21-7-2008
22. राज्य सभा वाद-विवाद, 17-12-2008
23. दि एशियन एज, नई दिल्ली, दिनांक 6-1-2009
24. दि हिन्दू, नई दिल्ली, दिनांक 6-1-2009

9. झारखंड*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सैयद सिब्ते रज़ी (1)	श्री शिबू सोरेन झा॰मु॰मो॰ (2)	19-1-2009 (3)	विधान सभा निलम्बित कर दी गई (4)	श्री शिबू सोरेन विधान सभा उप-चुनाव हार गए और राज्य विधान सभा की सदस्यता नहीं प्राप्त कर सके तथा बाद में पद से त्यागपत्र दे दिया। किसी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक समूह ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया (5)
2.	श्री एम॰ओ॰एच॰ फारूख (14)	श्री शिबू सोरेन झा॰मु॰मो॰ (14)	01-06-10 (15)	निलम्बित कर दी गई (16)	श्री शिबू सोरेन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झा॰मु॰मो॰) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठबंधन ने बहुमत खो दिया, जसके परिणामस्वरूप भाजपा विधान सभा पार्टी ने 24-05-2010 को समर्थन वापस ले लिया।
3.	डॉ॰ सैयद अहमद (25)	श्री अर्जुन मुण्डा (भारतीय जनता पार्टी) (25)	18-01-13 (26)	निलम्बित कर दी गई (27)	श्री अर्जुन मुण्डा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झा॰मु॰मो॰) के गठबंधन ने (झा॰मु॰मो॰) विधान सभा पार्टी द्वारा 8-1-2013 को समर्थन वापस ले लेने के कारण त्यागपत्र दे दिया।

*बिहार राज्य में से निर्मित झारखंड, 15 नवंबर 2000 को संघ के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 16-1-09
2. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 16-1-09
3. सा॰का॰नि॰ 10 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 19-1-09
4. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 16-1-09
5. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 16-1-09
6. लोक सभा वाद-विवाद, 13-02-09
7. राज्य सभा वाद-विवाद, 13-2-09
8. लोक सभा वाद-विवाद, 19-02-09
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 25-2-09 और 26-02-09
10. लोक सभा वाद-विवाद, 14-07-09
11. राज्य सभा वाद-विवाद, 17-07-09
12. सा॰का॰नि॰ 930 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 19-01-09
13. दि इंडियन एक्सप्रेस (नई दिल्ली), 31-12-09
14. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 31-05-2010
15. सा॰का॰नि॰ 460 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 01-06-2010
16. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 02-06-2010
17. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 31-05-2010

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
13-2-09 (6)	13-2-09 (7)	19-2-09 (8)	25-2-09 26-2-09 (9)	14-7-09 (10)	17-7-09 (11)	30-12-09 (12)	राज्य विधान सभा के लिए चुनाव हुए और शिबू सोरेन के नेतृत्व में 30 दिसम्बर, 2009 को साझा सरकार का गठन हुआ। (13)
27-07-10 (18)	27-07-10 (19)	28-07-10 (20) 29-07-10 (21)	29-07-10 (22)	-	-	11-09-10 (23)	भाजपा के श्री अर्जुन मुण्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झा॰मु॰मो॰) गठबंधन सरकार ने 11-09-2010 को शपथ ग्रहण की (24)
22-02-13 (29)	21-02-13 (30)	13-03-13 (31)	26-02-13 (32)	-	-	13-07-13 (33)	श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झा॰मु॰मो॰) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (भा॰रा॰कां॰) और राष्ट्रीय जनता दल (रा॰ज॰द॰) के गठबंधन वाली सरकार ने 13-07-2013 को शपथ ग्रहण की। (34)

18. लोक सभा वाद विवाद, 27-07-2010, कॉ. 581-582
19. राज्य सभा वाद विवाद, 27-07-2010, पृष्ठ 523-524
20. लोक सभा वाद विवाद, 28-07-2010, कॉ. 462
21. लोक सभा वाद विवाद, 29-07-2010, कॉ. 444
22. राज्य सभा वाद विवाद, 29-07-2010, पृष्ठ 228
23. सा॰का॰नि॰ 750(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण, [भाग-2, खण्ड 3(एक)] दिनांक 11-09-2010
24. दि इण्डियन एक्सप्रेस (नई दिल्ली), 12-09-2010
25. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 12-01-2013
26. सा॰का॰नि॰ 27(ड) भारत का राजपत्र, असाधारण, [भाग-2, खण्ड 3(एक)] दिनांक 18-01-2013
27. दि हिन्दुस्तान टाइमस (नई दिल्ली), 19-01-2013
28. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 12-01-2013
29. लोक सभा वाद विवाद, 22-02-2013, कॉ. 951
30. राज्य सभा वाद विवाद, 21-02-2013, पृष्ठ 41
31. लोक सभा वाद विवाद, 13-03-2013, कॉ. 805-829
32. राज्य सभा वाद विवाद, 26-02-2013, पृष्ठ 380-403
33. सा॰का॰नि॰ 486(ड.), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3(एक)] दिनांक 13-07-2013
34. दि स्टेट्समैन (नई दिल्ली), 14-07-2013

10. कर्नाटक*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री धर्मवीर (1)	श्री वीरेन्द्र पाटिल (कांग्रेस-ओ॰) (1)	27-3-71 (2)	विधान सभा निलंबित कर दी गई लेकिन बाद में 14-4-71 को भंग कर दी गई (3)	18 मार्च, 1971 को मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल ने राज्यपाल को अपने पद से त्याग पत्र सौंपते हुए कहा कि "अप्रत्याशित एवं अचानक हुए परिवर्तनों, प्रत्यक्षत: सत्तारूढ़ दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन तथा कुछ सदस्यों द्वारा अपनी वफादारी बदलने, जो कि बहुत ही अशोभनीय है, के कारण मैं समझता हूं कि मेरे लिए मुख्यमंत्री पद पर बने रहना उचित नहीं है।" राज्यपाल ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया तथा वैकल्पिक मंत्रिमंडल के गठन की सम्भावनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट दी कि राज्य में वर्तमान अनिश्चित स्थिति बनाये रखना राज्य के हित में नहीं है। (1)

*1 नवम्बर, 1973 से मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया।

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 26-3-71
2. सा॰का॰नि॰ 457, भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-2, खंड 3 (एक)) दिनांक 27-3-71
3. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1970-71, पृष्ठ 32
4. लोक सभा वाद-विवाद, 27-3-71, कॉलम 46
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-3-71, कॉलम 150-151

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
27-3-71 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 26-3-71 की एक प्रति के साथ) (4)	27-3-71 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 26-3-71 की एक प्रति के साथ) (5)	24-5-71 (6)	25-5-71 (7)	18-11-71 (8)	22-11-71 (9)	20-3-72 (10)	मार्च, 1972 में आम चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और श्री देवराज अर्स के मुख्यमंत्रित्व में 20-3-72 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (11)

6. लोक सभा वाद-विवाद, 24-5-71, कॉलम 182-184 तथा 189-206
7. राज्य सभा वाद-विवाद, 25-5-71, कॉलम 131-153
8. लोक सभा वाद-विवाद, 18-11-71, कॉलम 238-275
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 22-11-71, कॉलम 163-203
10. सा॰का॰नि॰ 200(ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 20-3-72
11. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1971-72, पृष्ठ 30-31

कर्नाटक — जारी

1	2	3	4	5	6
2.	श्री गोविन्द नारायण (12)	श्री डी॰ देवराज अर्स (कांग्रेस) (12)	31-12-77 (13)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई	आन्तरिक मतभेदों के कारण कांग्रेस विधान दल के बहुत से सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से अपने इस निर्णय की दिसम्बर, 1977 में घोषणा की कि वह मुख्यमंत्री को दिया गया अपना समर्थन वापस लेते हैं। घटनाओं पर पुनर्विचार के बाद सरकार ने निर्णय किया कि मंत्रिमंडल को विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है अथवा नहीं, इस प्रश्न पर विधान सभा निर्णय करेगी। बाद में राज्यपाल ने रिपोर्ट दी कि इस बात में संदेह है कि क्या विधान सभा जिसकी बैठक 3-1-78 को होनी है, की कार्यवाही निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ढंग से होगी। उन्होंने इस गंभीर अनियमितता के बारे में प्रश्न चिह्न लगाया कि क्या ऐसे मंत्रिमंडल, जिसने विधान सभा में बहुमत का विश्वास खो दिया है, द्वारा उनके लिए तैयार किया गया अभिभाषण उनके द्वारा पढ़ना उचित होगा। अत: उन्होंने राष्ट्रपति से सिफारिश की कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी करें। (14)

12. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 31-12-77
13. सा॰का॰नि॰ 798 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 21-12-77
14. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 12

7	8	9	10	11	12	13	14
20-2-78 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 31-12-77 की एक प्रति के साथ) (15)	20-2-78 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 31-12-77 की एक प्रति के साथ) (16)	-	-	-	-	27-2-78 (उद्घोषणा 27-2-78 को व्यपगत हो गई) (14)	फरवरी, 1978 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव हुए। परिणामों के आधार पर श्री देवराज अर्स के नेतृत्व में कांग्रेस (आई०) सरकार को 28-2-78 को शपथ दिलाई गई। (14)

15. लोक सभा वाद-विवाद, 20-2-78, कॉलम 30

16. राज्य सभा वाद-विवाद, 20-2-78, कॉलम 29

कर्नाटक — जारी

1	2	3	4	5	6
3.	श्री पी॰ वैंकटसुबैय्या (17)	श्री एस॰आर॰ बोम्मई (जनता दल) (17)	21-4-89 (18)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (18)	राज्य में सत्तारूढ़ जनता पार्टी में कुछ मतभेद हो गए थे जो उस समय स्पष्ट हो गए जब जनता दल बनने के कारण 139 सदस्यों में से केवल 27 सदस्य जनता पार्टी में रह गए। नवगठित जनता दल 7 निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से शासक दल बन गया। मंत्रिमंडल के विस्तार के शीघ्र बाद 18 सदस्यों ने अपना समर्थन वापिस ले लिया तथा सरकार को अल्पमत में ले आए जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। (17)

17. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 19-4-89

18. सा॰का॰नि॰ 460 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 21-4-89

7	8	9	10	11	12	13	14
21-4-89 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 19-4-89 की एक प्रति के साथ) (19)	24-4-89 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 19-4-89 की एक प्रति के साथ) (20)	24-4-89 26-4-89 26-4-89 (21)	25-4-89 26-4-89 (22)	12-10-89 (23)	12-10-89 (24)	30-11-89 (25)	नवम्बर, 1989 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस (आई०) पूर्ण बहुमत में आयी तथा 30-11-89 को श्री वीरेन्द्र पाटिल के मुख्यमंत्रित्व में नए मंत्रिमंडल का गठन किया। (25)

19. लोक सभा वाद-विवाद, 21-4-89, कॉलम 538–42
20. राज्य सभा वाद-विवाद, 24-4-89, कॉलम, 229
21. लोक सभा वाद-विवाद, 24-4-89, कॉलम 293–346, 25-4-89,कॉलम 492–638 और 26-4-89, कॉलम 343–92
22. लोक सभा वाद-विवाद, 24-4-89, कॉलम 293–346, 25-4-89, कॉलम 492-638 और 26-4-89, कॉलम 343-92
23. राज्य सभा वाद-विवाद, 25-4-89, कॉलम 119–21 और 26-4-89, कॉलम 3-39 और 68-100
24. लोक सभा वाद-विवाद, 12-10-89, कॉलम 15–32
25. राज्य सभा वाद-विवाद, 12-10-89, कॉलम 15–32

कर्नाटक — जारी

1	2	3	4	5	6
4.	श्री भानु प्रताप सिंह (26)	श्री वीरेन्द्र पाटिल कांग्रेस (आई॰) (26)	10-10-90 (27)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (27)	अकस्मात् साम्प्रदायिक हिंसा के कारण सत्तारूढ़ कांग्रेस (आई॰) विधायी दल में असंतुष्टों ने एक अलग गुट बनाया तथा नेतृत्व परिवर्तन की मांग की। उनमें से कुछ मंत्रियों ने दोनों दलों की बैठकों में भाग लिया। इस प्रकार मंत्रिमंडल की सामूहिक दायित्व की भावना पूरी तरह से समाप्त हो गई जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। (26)
5.	श्री रामेश्वर ठाकुर (31)	श्री एच॰डी॰ कुमारस्वामी भाजपा और जनता दल (एस) गठबंधन (32)	9-10-2007 (33)	विधान सभा निलम्बित कर दी गई (34)	जनता दल (एस॰) भाजपा को मुख्यमंत्री पद देने के करार को पूरा नहीं कर पाया। (35)
6.	श्री रामेश्वर ठाकुर (40)	श्री बी॰एस॰ येदुरप्पा [भाजपा और जनता दल (एस) गठबंधन] (41)	20-11-2007 (42)	विधान सभा निलम्बित कर दी गई परन्तु बाद में 28-11-07 को भंग कर दी गई (43)	गठबंधन के सहयोगी दल जनता दल (एस॰) ने विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध व्हिप जारी कर दिया और मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया। राज्य में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। (44)

26. गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा, राज्यों तथा गृह विभागों की वर्ष 1989-90 की वार्षिक रिपोर्ट, पृष्ठ 28
27. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 10-10-90
28. सा॰का॰नि॰ 833 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 10-10-90
29. लोक सभा वाद-विवाद, 7-11-90
30. राज्य सभा वाद विवाद, 7-11-90
31. सा॰का॰नि॰ 843 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 17-10-90
32. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, 8-10-2007
33. सा॰का॰नि॰ 653 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 9-10-2007
34. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, 8-10-2007
35. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, 8-10-2007
36. लोक सभा वाद-विवाद, 19-11-2007
37. राज्य सभा वाद-विवाद, 19-11-2007
38. सा॰का॰नि॰ 700 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 12-11-2007
39. दि एशियन एज़ (नई दिल्ली), 13 नवम्बर, 2007

7	8	9	10	11	12	13	14
7-11-90 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 10-10-90 की एक प्रति के साथ) (28)	7-11-90 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 10-10-90 की एक प्रति के साथ) (29)	-	-	-	-	17-10-90 (30)	कांग्रेस विधान मंडल दल ने एकमत से 13-10-90 को श्री एस॰ बंगरप्पा को अपना नया नेता चुना, जिन्होंने 17-10-90 को मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। (30)
19-11-2007 (राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 8-10-2007 की एक प्रति के साथ) (36)	19-11-2007 (राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 8-10-2007 की एक प्रति के साथ) (37)	-	-	-	-	12-11-2007 (38)	भाजपा और जनता दल (एस॰) की गठबंधन सरकार बनी और श्री बी॰एस॰ येदुरप्पा को 12-11-2007 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। (39)
21-11-2007 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 19-11-2007 की एक प्रति के साथ) (45)	21-11-2007 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 19-11-2007 की एक प्रति के साथ) (46)	26-11-07 (47)	26-11-07 (48)	29-04-08 (49)	29-04-08 (50)	30-05-08 (51)	मई 2008 के दौरान हुए विधान सभा चुनावों के बाद भाजपा के श्री बी.एस. येदुरप्पा को 30-05-08 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। (52)

40. राज्यपाल का प्रतिवेदन, 19-11-2007
41. राज्यपाल का प्रतिवेदन, 19-11-2007
42. सा॰का॰नि॰ 723(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 20-11-2007
43. राज्यपाल का प्रतिवेदन, 19-11-2007
44. राज्यपाल का प्रतिवेदन, 19-11-2007
45. लोक सभा वाद विवाद, 21-11-2007
46. राज्य सभा वाद विवाद, 21-11-2007
47. लोक सभा वाद विवाद, 26-11-2007
48. राज्य सभा वाद विवाद, 26-11-2007
49. लोक सभा वाद विवाद, 29-04-2008
50. राज्य सभा वाद विवाद, 29-04-2008
51. सा॰का॰नि॰ 415(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 30-05-2008
52. डेक्कन हेराल्ड (बंगलौर), दिनांक 31-05-2008

11. केरल*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राम वर्मा (राजप्रमुख) (1)	श्री पनमपल्ली गोविन्द मेनन, त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मुख्यमंत्री (कांग्रेस) (2)	23-3-56 (3)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (3)	कांग्रेस पार्टी के छह सदस्यों द्वारा पार्टी से त्यागपत्र दे देने के कारण 11-3-56 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि इसके फलस्वरूप विधान सभा में कांग्रेस का बहुमत समाप्त हो गया था। तत्पश्चात् राजप्रमुख ने, यह देख लेने पर कि कोई अन्य दल भी वहां पर स्थायी सरकार का गठन नहीं कर सकता, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। (1) और (6)
2.	श्री पी॰एस॰ राव (कार्यवाहक राज्यपाल) 1-11-56 से 21-11-56 और डॉ॰ बी॰ रामकृष्णराव 22-11-56 से) (10)		1-11-56 (11)	–	1-11-56 को राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् नया राज्य 'केरल' बनने पर त्रावणकोर-कोचीन में राष्ट्रपति शासन का 1-11-56 को औपचारिक रूप से प्रतिसंहरण कर दिया गया किन्तु उसी दिन केरल राज्य में राष्ट्रपति शासन पुनः लागू कर दिया गया क्योंकि नये राज्य में विधान सभा नहीं थी। (12)

* 1-11-56 को राज्यों का पुनर्गठन होने पर नया राज्य केरल बना। उससे पहले यह राज्य त्रावणकोर-कोचीन राज्य कहलाता था।

1. इंडिया, 1956, रेफरेंस एनुअल, पृष्ठ 474
2. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1955-56, पृष्ठ 141
3. एस॰आर॰ओ॰ 731, भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-2, खंड 3), दिनांक 23-3-56
4. लोक सभा वाद-विवाद (भाग-2), 28-3-56, कॉलम 3596
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 23-4-56, कॉलम 41

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
28-3-56 (4)	23-4-56 (5)	29-3-56 (6)	23-4-56 24-4-56 (7)	31-8-56 1-9-56 (9)	4-9-56 7-9-56 (8)	1-11-56 (देखिए पिछले पृष्ठ पर कॉलम 6 में मद संख्या 2)	–
14-11-56 (13)	19-11-56 (14)	3-12-56 (15)	5-12-56 (16)	–	–	5-4-57 (17)	1957 के आम चुनाव के बाद पांच निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से श्री ई॰एम॰एस॰ नम्बूदरीपाद (साम्यवादी) ने 5-4-57 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (18)

6. लोक सभा वाद-विवाद भाग-2, 29-3-56, कॉलम 3776-3854
7. राज्य सभा वाद-विवाद, 23-4-56, कॉलम 43-116 और 24-4-56, कॉलम 140-91
8. लोक सभा वाद-विवाद भाग-2, 31-8-56, कॉलम 5046-5114 और 1-9-56, कॉलम 5189-5211
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 4-9-56, कॉलम 3352 और 7-9-56, कॉलम 3697-3728
10. केरल राज्य एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1956-57, पृष्ठ 13
11. एस॰आर॰ओ॰ 2529, भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-2, खंड 3), दिनांक 1-11-56
12. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1956-57, पृष्ठ 15-16
13. लोक सभा वाद-विवाद, भाग 2, 14-11-56, कॉलम 10
14. राज्य सभा वाद-विवाद, 19-11-56, कॉलम 30
15. लोक सभा वाद-विवाद, भाग 2, 3-12-56, कॉलम 1661-1786
16. राज्य सभा वाद-विवाद, 5-12-56, कॉलम 1672-1714
17. एस॰आर॰ओ॰ 1121, भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-2, खंड 3), दिनांक 5-4-57
18. केरल की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को केरल के राज्यपाल के प्रतिवेदन का सारांश लोक सभा वाद-विवाद, 17-8-59, कॉलम 2854, राज्य सभा वाद-विवाद, 18-8-59, कॉलम 972

केरल — जारी

1	2	3	4	5	6
3.	श्री बी॰ रामाकृष्ण राव (18)	श्री ई॰एम॰एस॰ नम्बूदरीपाद (साम्यवादी) (18)	31-7-59 (19)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (19)	राष्ट्रपति को अपने प्रतिवेदन में राज्यपाल द्वारा सरकार पर करणीयकरण- अकरणीयकरण के आरोप लगाये गये, जैसे (क) बड़ी संख्या में कैदियों तथा अवांछित तत्वों की रिहाई; (ख) कर्मचारियों की सुरक्षा समाप्त करने वाली नई पुलिस नीति इत्यादि; (ग) 'जनाक्रोश' तथा जन-आंदोलन जिससे सरकार के विरुद्ध जनता में निश्चित मत परिवर्तन का आभास मिलता है। (18)
4.	श्री वी॰वी॰ गिरि (26)	श्री आर॰ शंकर (कांग्रेस) (26)	10-9-64 12-1-65 (27)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (27)	मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को 10-9-64 को त्यागपत्र दे दिया क्योंकि 8-9-64 को विधान सभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। (28)
5.	श्री वी॰वी॰ गिरि श्री ए॰पी॰ जैन (2-4-65 से) 6-2-66) श्री भगवान सहाय (6-2-66 से) (34)	—	24-3-65 (35)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (35)	केरल विधान सभा के लिए आम चुनाव के परिणामों की 4 मार्च, 1965 को घोषणा के पश्चात् भी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इसीलिए कोई भी एक पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नही थी। पार्टियों की मिली-जुली सरकार बनाना भी संभव नहीं था। (36)

19. सा॰का॰नि॰ 900, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 31-07-59
20. लोक सभा वाद-विवाद, 3-8-59, कॉलम 121-22
21. राज्य सभा वाद-विवाद, 10-8-59, कॉलम 69

7	8	9	10	11	12	13	14
3-8-59 (राष्ट्रपति को प्रस्तुत केरल के राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 17-8-59 का सारांश पटल पर रखा गया) (20)	10-8-59 (राष्ट्रपति को प्रस्तुत केरल के राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 18-8-59 का सारांश पटल पर रखा गया) (21)	17-8-59 19-8-89 20-8-59 (22)	24-8-59 25-8-59 (23)	-	-	22-2-60 (24)	मध्यावधि चुनाव के पश्चात् कांग्रेस और प्र॰स॰द॰ का मिलाजुला मंत्रिमंडल 22-2-60 को गठित किया गया। श्री पट्टम ए॰ थानु पिल्लै (प्र॰स॰द॰) मुख्यमंत्री बने। (25)
11-9-64 17-2-65 (29)	11-9-64 17-2-65 (30)	22-9-64 23-9-64 (31)	30-9-64 (32)	-	-	24-3-65 (33)	राज्य में 24-3-65 को राष्ट्रपति शासन पुन: लागू कर दिया गया क्योंकि नये चुनाव होने पर कोई भी राजनीतिक दल मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति मे नहीं था। (28)
24-3-65 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 18-3-65 के सारांश की प्रति के साथ) (37)	24-3-65 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 18-3-65 के सारांश की प्रति के साथ) (38)	6-5-65 7-5-65 (39)	11-5-65 (40)	3-11-65 4-11-65 5-11-65 8-11-65 6-5-66 9-5-66 7-11-66 8-11-66 (41)	8-11-65 3-5-66 5-5-66 7-11-66 (42)	6-3-67 (43)	फरवरी, 1967 में केरल विधान सभा के लिये आम चुनाव होने के बाद श्री ई॰एम॰एस॰ नम्बूदरीपाद, [सी॰पी॰आई॰(एम॰)] संयुक्त मोर्चे के नेता ने 6-3-67 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (44)

22. लोक सभा वाद-विवाद, 17-8-59, कॉलम 2814-2926; 19-8-59 कॉलम 3046-3206 और 20-8-59; कॉलम 3327-3424
23. राज्य सभा वाद-विवाद, 24-8-59, कॉलम 1542-1698; और 25-8-59, कॉलम 1759-1861
24. सा॰का॰नि॰ 202, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 22-2-60
25. केरल राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, 1959-60, पृष्ठ 10
26. केरल राज्य , एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, 1964-65, पृष्ठ 16
27. सा॰का॰नि॰ 1316, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 10-9-64, बाद में उद्घोषणा को, सा॰का॰नि॰ 119, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 12-1-65 के द्वारा बदल दिया गया
28. केरल राज्य, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1964-65, पृष्ठ 19
29. लोक सभा पाद-विवाद, 11-9-64, कॉलम 1210 और 17-2-65, कॉलम 28
30. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-9-64, कॉलम 974 और 17-2-65, कॉलम 23
31. लोक सभा वाद-विवाद, 22-9-64, कॉलम 3127 और 3168 और 23-9-64, कॉलम 3291-3390
32. राज्य सभा वाद-विवाद, 30-9-64, कॉलम 3716-3841
33. सा॰का॰नि॰ 489, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 24-3-65
34. केरल राज्य, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1965-66, पृष्ठ 14
35. सा॰का॰नि॰ 490, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 24-3-65
36. लोक सभा वाद-विवाद, 24-3-65, कॉलम 5686-5698
37. लोक सभा वाद-विवाद, 24-3-65, कॉलम 5698
38. राज्य सभा वाद-विवाद, 24-3-65, कॉलम 4429
39. लोक सभा वाद-विवाद, 6-5-65, कॉलम 13514-13638 और 7-5-65, कॉलम 13827-13843
40. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-5-65, कॉलम 1654-1756 तथा 1768
41. लोक सभा वाद-विवाद, 3-11-65, कॉलम 250-252; 4-11-65; कॉलम 354-476; 5-11-65, कॉलम 618-664; 8-11-65, कॉलम 892-937; 6-5-66, कॉलम 15105-15136; 9-5-66, कॉलम 15348-15427; 7-11-66, कॉलम 1617-1669 और 8-11-66, कॉलम 1894-1914
42. राज्य सभा वाद-विवाद, 8-11-65, कॉलम 601-623, और 628-684; 3-5-66, कॉलम 81-152, 5-5-66, कॉलम 270-282; 7-11-66, कॉलम 147-164, 167-174, और 187-217
43. सा॰का॰नि॰ 298, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 6-3-67
44. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1966-67, पृष्ठ 56

केरल — जारी

1	2	3	4	5	6
6.	श्री॰ वी॰ विश्वनाथन (45)	श्री जी॰ अच्युत मेनन (सी॰पी॰आई॰) (45)	4-8-70 (46)	विधान सभा 26-6-70 को भंग कर दी गई (45)	मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल ने 26-6-70 को विधान सभा भंग कर दी। जब नये चुनाव कराने के प्रबन्ध किये जा रहे थे, मुख्यमंत्री ने 1-8-70 को अपना त्यागपत्र दे दिया और इस कारण राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। (45)

45. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन 1-8-70

46. सा॰का॰नि॰ 1124, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 4-8-70

7	8	9	10	11	12	13	14
4-8-70 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 1-8-70 की एक प्रति के साथ) (47)	4-8-70 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 1-8-70 की एक प्रति के साथ) (48)	–	–	–	–	4-8-70 की उद्घोषणा 3-10-70 तक लागू रही (49)	सितम्बर, 1970 में राज्य में आम चुनाव होने के बाद श्री सी॰ अच्युत मेनन ने 4-10-70 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (49)

47. लोक सभा वाद विवाद, 4-8-70, कॉलम 351-352

48. राज्य सभा वाद-विवाद, 4-8-70, कॉलम 234

49. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1970-71, पृष्ठ 29

केरल — जारी

1	2	3	4	5	6
7.	श्रीमती ज्योति वेंकट चलम (50)	श्री सी॰एम॰ मोहम्मद कोया (मिली-जुली सरकार)	5-12-79 (51)	30-11-79 को विधान सभा भंग कर दी गई (51)	श्री मोहम्मद कोया के नेतृत्व में मुस्लिम लीग तथा अन्य ग्रुपों ने मिला-जुला मंत्रिमंडल बनाया किंतु 1-12-79 को श्री कोया ने तब त्यागपत्र दे दिया जब उन्होंने अपने को अल्पमत में पाया। उन्होंने राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सिफारिश की। (50) और (51)
8.	श्रीमती ज्योति वेंकट चलम (56)	श्री ई॰के॰ नयनार (मिली-जुली सरकार) (56)	21-10-81 (57)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (56) और (57)	कांग्रेस (एस) लेजिस्लेचर पार्टी तथा उसके बाद केरल कांग्रेस (मणि-ग्रुप) द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण सत्तारूढ़ मिले-जुले ''लेफ्ट फ्रंट'' का बहुमत समाप्त हो गया। (56)
9.	श्रीमती ज्योति वेंकट चलम (64)	श्री के॰ करुणाकरण (यू॰डी॰एफ॰) (63)	17-3-82 (63)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई	140 सदस्यों वाली विधान सभा में सत्तारूढ़ यू॰डी॰एफ॰ पार्टी की सदस्य संख्या 69 रह गई तथा मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के बाद राज्य में स्थायी वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना बहुत कम हो गई। (64)

50. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 2-12-79
51. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1979-80, पृष्ठ 64-65
52. लोक सभा वाद-विवाद, 23-1-80, कॉलम 38-40
53. राज्य सभा वाद-विवाद, 23-1-80, कॉलम 25-26
54. सा॰का॰नि॰ 17 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 25-1-80
55. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1979-80, पृष्ठ 65
56. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 20-10-81
57. सा॰का॰नि॰ 546 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 21-10-81
58. लोक सभा वाद-विवाद, 23-11-81, कॉलम 341
59. राज्य सभा वाद-विवाद, 23-11-81, कॉलम 226-230
60. लोक सभा वाद-विवाद, 17-12-81, कॉलम 332-429

7	8	9	10	11	12	13	14
23-1-80 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 2-12-79 की एक प्रति के साथ) (52)	23-1-80 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 2-12-79 की एक प्रति के साथ) (53)	-	-	-	-	25-1-80 (54)	जनवरी, 1980 में राज्य में मध्यावधि चुनाव के बाद श्री ई॰के॰ नायनार ने डेमोक्रेटिक मंत्रिमंडल लेफ्ट फ्रंट 25-1-80 में बनाया। (55)
23-11-81 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 20-10-81 की एक प्रति के साथ) (58)	23-11-81 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 20-10-81 की एक प्रति के साथ) (59)	17-12-81 (60)	16-12-81 (61)	-	-	28-12-81 (62)	श्री के॰ करुणाकरण के नेतृत्व में कांग्रेस (आई॰) के नेतृत्व वाले यूडीएफ मंत्रिमंडल ने 28-12-81 को पदभार संभाला (62)
18-3-82 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 17-3-82 की एक प्रति के साथ) (65)	18-3-82 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 17-3-82 की एक प्रति के साथ) (66)	27-3-82 (67)	29-3-82 (68)	-	-	24-5-82 (69)	19-5-82 को हुए आम चुनाव के बाद 24-5-82 को श्री के॰ करुणाकरण ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला और कांग्रेस (आई॰) के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रं ट मंत्रिमंडल का गठन हुआ। (69)

61. राज्य सभा वाद-विवाद 16-12-81, कॉलम 187-268
62. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1981-82, पृष्ठ 55
63. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1982-83, पृष्ठ 54
64. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 17-3-82
65. लोक सभा वाद-विवाद, 18-3-82, कॉलम 263-264
66. राज्य सभा वाद-विवाद, 18-3-82, कॉलम 197-98
67. लोक सभा वाद-विवाद, 27-3-82, कॉलम 10-22 और 36-152
68. राज्य सभा वाद-विवाद, 29-3-82, कॉलम 64-124
69. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1982-83, पृष्ठ 54

12. मध्य प्रदेश

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एस॰एन॰ सिन्हा (1)	श्री एस॰सी॰ शुक्ला (कांग्रेस) (1)	30-4-77 (2)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (2)	मार्च, 1977 में हुए लोक सभा चुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस, मध्य प्रदेश में केवल एक सीट जीत सकी। केन्द्र सरकार ने इसका यह अर्थ लगाया कि निर्वाचकों का राज्य सरकार पर से विश्वास समाप्त हो गया है। (3)
2.	श्री सी॰एम॰ पनाचा (8)	श्री सुन्दर लाल पटवा (जनता) (9)	17-2-80 (10)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (10)	जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा चुनावों में भारी हार होने के कारण केन्द्र सरकार ने यह महसूस किया कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी अब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। (11)
3.	श्री वी॰बी॰एल॰ माथुर (18)	श्री सुन्दर लाल पटवा (भा॰ज॰पा॰) (18)	15-12-92 (19)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (20)	कार सेवकों ने 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या स्थित विवादित ढ़ांचा तोड़ दिया। केन्द्रीय सरकार के विचार से, प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों के नेतृत्व में सरकार को बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति ने सरकार बर्खास्त कर दी और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। (20)

1. दि मध्य प्रदेश क्रोनिकल (भोपाल), 3-5-77
2. सा॰का॰नि॰ 205 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 30-4-77
3. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 9-10
4. लोक सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 5
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 4
6. सा॰का॰नि॰ 397 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 23-6-77
7. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 10
8. दि स्टेट्समैन (नई दिल्ली), दिनांक 19-2-80

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
11-6-77 (4)	11-6-77 (5)	–	–	–	–	23-6-77 (6)	जून, 1977 में राज्य में विधान सभा के लिए चुनाव हुए। श्री कैलाश जोशी के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार ने 23-6-77 को पदभार संभाला। (7)
11-3-80 (12)	11-3-80 (13)	25-3-80 26-3-80 (14)	27-3-80 (15)	–	–	9-6-80 (16)	मई, 1980 में विधान सभा के लिए चुनाव हुए। श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) सरकार ने 9-6-80 को पदभार संभाला। (17)
18-12-92 (21)	18-12-92 (22)	22-12-92 23-12-92 (23)	19-12-92 (24)	12-5-93 (25)	13-5-93 (26)	7-12-93 (27)	नवम्बर, 1993 में मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस नेता श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सरकार ने 7-12-93 को पदभार संभाला। (28)

9. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), दिनांक 18-2-80
10. सा॰का॰नि॰ 48 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3, खंड (एक)], दिनांक 17-2-80
11. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 199-220
(**देखिए**, केन्द्रीय गृह मंत्री की स्पीच)
12. लोक सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 197-201
13. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 121-172
14. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 196-306 और 26-3-80, कॉलम 321-410
15. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-3-80, कॉलम 196-392
16. सा॰का॰नि॰ 305(ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 9-6-80
17. दि इंडियन एक्सप्रेस, (नई दिल्ली), दिनांक 10-6-80
18. इंडिया हूज हू 1993
19. सा॰का॰नि॰ 926(ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 15-12-92
20. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), दिनांक 16-12-1992
21. लोक सभा वाद-विवाद, 18-12-92
22. राज्य सभा वाद-विवाद, 18-12-1992
23. लोक सभा वाद-विवाद, 22-12-1992 और 23-12-1992
24. राज्य सभा वाद-विवाद, 19-12-1992
25. लोक सभा वाद-विवाद, 12-5-1993
26. राज्य सभा वाद-विवाद, 13-5-1993
27. सा॰का॰नि॰ 734(ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 7-12-93
28. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 8-12-93

13. महाराष्ट्र

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सादिक अली (1)	श्री शरद पवार (पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट) (1)	17-2-80 (2)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (2)	जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा चुनावों में करारी हार होने के कारण केन्द्र सरकार ने यह महसूस किया कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी अब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। (3)
2.	श्री चौ॰ विद्यासागर राव (10)	श्री पृथ्वीराज चव्हाण (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) (10)	28-09-14 (11)	निलम्बित कर दी गई (12)	श्री पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांगेस (भा॰रा॰कां॰) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (रा॰कां॰पा॰) के गठबंधन वाली सरकार ने बहुमत खो दिया जिसके परिणामस्वरूप रा॰कां॰पा॰ विधान सभा पार्टी ने 25-09-2014 को समर्थन वापस ले लिया। (12)

1. फ्री प्रेस जनरल (बम्बई), दिनांक 19-2-80.
2. सा॰का॰नि॰ 46(ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 17-2-80
3. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 199-200 (**देखिए** केन्द्रीय गृह मंत्री का भाषण)

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
11-3-80 (4)	11-3-80 (5)	25-3-80 26-3-80 (6)	27-3-80 (7)	-	-	9-6-80 (8)	मई, 1980 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव हुए। श्री ए॰आर॰अंतुले के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) सरकार ने 9-6-80 को पदभार संभाला। (9)
25-11-14 (13)	26-11-14 (14)	-	-	-	-	31-10-14 (15)	राज्य विधान सभा के चुनाव अक्तूबर, 2014 में हुए थे। चुनाव के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता श्री देवेन्द्र फड़नवीस ने 31-10-2014 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। (16)

4. लोक सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 197-201
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 121-172
6. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 196-306 और 26-3-80, कॉलम 321-410
7. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-3-80, कॉलम 196-392
8. सा॰का॰नि॰ 306(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 9-6-80
9. फ्री प्रेस जनरल (बम्बई), 10-6-80
10. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, 27-09-2014
11. सा॰का॰नि॰ 698(ड.), भारत का राजपत्र, असाधारण, [भाग-2,खण्ड-3(एक)], दिनांक 28-09-2014
12. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 27-09-2014
13. लोक सभा समाचार, भाग-एक, 25-11-2014
14. राज्य सभा समाचार, भाग-एक, 25-11-2014
15. सा॰का॰नि॰ 763(ड.) भारत का राजपत्र, असाधारण, [भाग-2, खण्ड-3(एक)], दिनांक 30-10-2014
16. दि पायनियर (नई दिल्ली), 01 नवम्बर, 2014

14. मणिपुर*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बी॰के॰नेहरू (1)	–	21-1-72 (2)	–	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अधीन 21-1-72 को नये राज्य मणिपुर का गठन किया गया। इस राज्य की विधान सभा के लिए चुनाव होने तथा निर्वाचित सरकार बनने तक संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य का प्रशासन चलाना संभव नहीं था। इसलिये राज्य के अस्तित्व में आने पर उसी दिन से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। (3)
2.	श्री बी॰के॰नेहरू (9)	श्री मोहम्मद अलीमुद्दीन (यूनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी) (9)	28-3-73 (10)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (10)	बार-बार दल-परिवर्तन तथा यूनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी में कई ग्रुप बन जाने के कारण सरकार का स्थाई बना रहना असंभव हो गया। मुख्यमंत्री श्री मोहम्मद अलीमुद्दीन ने अपना त्यागपत्र 26-3-73 को पेश कर दिया। (9)
3.	श्री एल॰पी॰सिंह (19)	श्री आर॰के॰ दोरेन्द्र सिंह (कांग्रेस) (19)	16-5-77 (20)	विधान सभा निलम्बित कर दी गई (20 और 21)	दल-परिवर्तन के कारण, मंत्रालय ने राज्य विधान सभा में सदस्यों के बहुमत का समर्थन खो दिया और तदनुसार त्यागपत्र दे दिया। बाद में, राज्यपाल ने दूसरे मंत्रालय के गठन की संभावना की तलाश की परन्तु वह सफल नहीं हुए क्योंकि राज्य में राजनीतिक स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी और कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। (21)

*पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, के द्वारा मणिपुर 21-1-72 से राज्य बन गया। इससे पूर्व की अवधि में राष्ट्रपति शासन से संबंधित जानकारी के लिए **देखिए** संघ राज्यक्षेत्र (भाग-दो)

1. इंडिया, 1973, रेफरेंस एनुअल, पृष्ठ 390
2. सा॰का॰नि॰ 51(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 21-1-72
3. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1971-72, पृष्ठ 35-36
4. लोक सभा वाद-विवाद, 13-3-72, कॉलम 36
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 13-3-72, कॉलम 27
6. लोक सभा वाद-विवाद, 20-3-72, कॉलम 223
7. राज्य सभा वाद-विवाद, 18-3-72, कॉलम 114-115
8. सा॰का॰नि॰ 198(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 20-3-72
9. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 27-3-73
10. सा॰का॰नि॰ 18(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 28-3-73
11. लोक सभा वाद-विवाद, 28-3-73, कॉलम 222-223
12. राज्य सभा वाद-विवाद, 28-3-73, कॉलम 218-219

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
13-3-72 (4)	13-3-72 (5)	20-3-72 (6)	18-3-72 (7)	–	–	20-3-72 (8)	मार्च, 1972 में मणिपुर विधान सभा के लिए चुनाव कराये गये। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तथापि श्री मोहम्मद अलीमुद्दीन को यूनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी का नेता चुना गया और उन्होंने 20-3-72 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (3)
28-3-73 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 27-3-73 की एक प्रति के साथ) (11)	28-3-73 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 27-3-73 की एक प्रति के साथ) (12)	11-5-73 14-5-73 (13)	31-3-73 (14)	20-8-73 (15)	9-8-73 (16)	4-3-74 (17)	फरवरी, 1974 में राज्य में चुनाव के बाद श्री मोहम्मद अलीमुद्दीन ने 4-3-74 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (18)
11-6-77 (राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उप-राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 15-5-77 की एक प्रति के साथ) (22)	11-6-77 (राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उप-राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 15-5-77 की एक प्रति के साथ) (23)	–	–	–	–	26-6-77 (21)	श्री यंगमाशा शैजा, जिनको सर्व-सम्मति से जनता पार्टी का नेता चुना गया और जिनको विधान सभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त था, ने 29-6-77 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (21)

13. लोक सभा वाद-विवाद, 11-5-73, कॉलम 196-219 और 14-5-73, कॉलम 37, 53
14. राज्य सभा वाद-विवाद, 31-3-73, कॉलम 36-61
15. लोक सभा वाद-विवाद, 20-8-73, कॉलम 328-366
16. राज्य सभा वाद-विवाद, 9-8-73, कॉलम 212-236
17. सा॰का॰नि॰ 117 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 4-3-74
18. इंडिया-1975, रेफरेंस एनुअल पृष्ठ 330
19. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 15-5-77
20. सा॰का॰नि॰ 241(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 16-5-77
21. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृ॰11
22. लोक सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 7,8
23. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 5,6

मणिपुर — जारी

1	2	3	4	5	6
4.	श्री एल॰ पी॰ सिंह (24)	श्री यंगमाशा शैजा (जनता पार्टी) (24)	14-11-79 (25)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (25)	राज्यपाल ने दिनांक 16-10-79 को अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि "मुझे ऐसी किसी सरकार की जानकारी नहीं है जो मेरे विचार में इतनी भ्रष्ट, सत्यनिष्ठाहीन और सिद्धांतविहीन हो और जो कानूनों का अनादर करके अथवा न्याय तथा उचित तरीकों का कोई ध्यान किए बिना लगातार इतने समय तक कार्यरत रही हो"। (24)
5.	श्री एल॰ पी॰ सिंह (29)	श्री रिशांग किशिंग (कांग्रेस) (आई॰) (29)	28-2-81 (30)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (30)	पार्टी के दस सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देने से सत्तारूढ़ कांग्रेस (आई॰) पार्टी अल्पमत में आ गई। तद्नुसार राज्यपाल ने यह आकलन किया कि कोई भी पार्टी स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। (29)

24. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 16-10-79
25. सा॰का॰नि॰ 624 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 14-11-79
26. लोक सभा वाद-विवाद, 23-1-80, कॉलम 38-40
27. राज्य सभा वाद-विवाद, 23-1-80, कॉलम 26

7	8	9	10	11	12	13	14
23-1-80 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 16-10-79 की एक प्रति के साथ) (26)	23-1-80 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 27-2-81 की एक प्रति के साथ) (27)	–	–	–	–	13-1-80 (28)	जनवरी, 1980 में राज्य सभा में विधान सभा के लिए चुनाव कराये गये। श्री आर॰के॰ दोरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मिले-जुले मंत्रिमंडल ने 14-1-80 को पदभार संभाला। (28)
2-3-81 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 27-2-81 की एक प्रति के साथ) (31)	2-3-81 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 27-2-81 की एक प्रति के साथ) (32)	19-3-81 (33)	26-3-81 (34)	–	–	19-6-81 (35)	श्री रिशांग किशिंग के नेतृत्व में कांग्रेस (आई॰) सरकार ने 19-6-81 को पदभार संभाला। (35)

28. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1979-80, पृ॰ 64
29. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 27-2-81
30. सा॰का॰नि॰ 85 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)] , दिनांक 28-2-81 और [इसके अतिरिक्त **देखिए** गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1980-81, पृ॰ 16]
31. लोक सभा वाद-विवाद, 2-3-81, कॉलम 290–291
32. राज्य सभा वाद-विवाद, 2-3-81, कॉलम 153–179
33. लोक सभा वाद-विवाद, 19-3-81, कॉलम 332–333
34. राज्य सभा वाद-विवाद, 26-3-81, कॉलम 115–202
35. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1981-82, पृ॰ 9

मणिपुर — जारी

1	2	3	4	5	6
6.	श्री चिंतामणि पाणिग्रही (36)	श्री आर॰ के॰ रणबीर सिंह (यूनाइटेड लेजिस्लेचर फ्रंट) (36)	7-1-92 (37)	विधान सभा निलंबित की गई (38)	यूनाइटेड लेजिस्लेचर फ्रंट-मंत्रिमंडल ने जनता दल विधायकों द्वारा पार्टी से त्यागपत्र दिए जाने के कारण बहुमत खो दिया। (38)
7.	श्री वी॰के॰ नायर (45)	श्री आर॰ के॰ दोरेन्द्र सिंह [भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई॰)] के नेतृत्व में मिली-जुली सरकार बनी (45)	31-12-93 (46)	विधान सभा निलंबित की गई (47)	नगा कुकी लोगों के बीच हुए संघर्ष में लगभग 1000 लोगों के मारे जाने के परिणामस्वरूप राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। (47)
8.	श्री वेद प्रकाश मरवाह (54)	श्री राधा विनोद कोइजाम (पीपल्स फ्रंट) (55)	2-6-2001 (56)	विधान सभा निलंबित कर दी गई और 7-9-2001 को भंग कर दी गई (54) और (59)	34 विधायकों द्वारा विद्रोह कर दिए जाने से श्री राधा विनोद कोइजाम के नेतृत्व वाला पीपल्स फ्रंट मंत्रिमंडल अल्पमत में आ गया। 21-5-2001 को बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान 17 विधायकों द्वारा पक्ष में और 39 विधायकों द्वारा विपक्ष में मतदान करने से विश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। अन्य राजनैतिक दलों ने वैकल्पिक सरकार बनाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। (55)

36. इंडिया, हूज हू, 1993
37. सा॰का॰नि॰ 31 (ई॰), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 7-1-1992
38. दि हिन्दुस्तान टाइम्स [नई दिल्ली] 8-1-1992
39. लोक सभा वाद-विवाद, 24-2-1992
40. राज्य सभा वाद-विवाद, 24-2-1992
41. लोक सभा वाद-विवाद, 28-2-1992 और 3-3-1992
42. राज्य सभा वाद-विवाद, 25-2-1992
43. सा॰का॰नि॰ 414 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 8-4-1992
44. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 9-4-1992
45. स्टेट्समैन (नई दिल्ली), 1-1-1994
46. सा॰का॰नि॰ 502 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 31-12-1993
47. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 1-1-1994

7	8	9	10	11	12	13	14
24-2-92 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 25-1-92 की एक प्रति के साथ) (39)	24-2-92 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 25-1-92 की एक प्रति के साथ) (40)	28-2-92 3-3-92 (41)	25-2-92 (42)	–	–	8-4-92 (43)	श्री आर॰के॰ दोरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस (आई॰) की मिली-जुली सरकार को शपथ दिलाई गई। (44)
21-2-94 (48)	21-2-94 (49)	11-5-94 (50)	10-5-94 (51)	–	–	13-12-94 (52)	13-12-94 श्री रिशांग किशिंग (कांग्रेस पार्टी) को शपथ दिलाई गई और राज्य में 346 दिन से लागू राष्ट्रपति शासन का अंत हुआ। (53)
24-7-01 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 31-5-01 की एक प्रति के साथ) (57)	24-7-01 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 31-05-01 की एक प्रति के साथ) (58)	30-7-01 (59)	27-7-01 (60)	20-11-01 (61)	27-11-01 (62)	5-3-02 (63)	फरवरी, 2002 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधानमंडल दल और सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट के नेता श्री ओ॰ इबोबी सिंह ने 7 मार्च, 2002 का मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। (64)

48. लोक सभा वाद-विवाद, 21-2-1994
49. राज्य सभा वाद-विवाद, 21-2-1994
50. लोक सभा वाद-विवाद, 11-5-1994
51. राज्य सभा वाद-विवाद, 10-5-1994
52. सा॰का॰नि॰ 623 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 13-12-1994
53. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 14-12-1994
54. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 3-6-2001
55. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 31-05-2001
56. सा॰का॰नि॰ 410 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 2-6-2001
57. लोक सभा वाद-विवाद, 24-7-01 कॉलम 821
58. राज्य सभा वाद-विवाद, 24-7-01, कॉलम 820
59. लोक सभा वाद-विवाद, 30-7-01, कॉलम 2655–2743
60. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-7-01, कॉलम 939–1007
61. लोक सभा वाद-विवाद, 20-11-01, कॉलम 883–944
62. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-11-01, कॉलम 385–411
63. सा॰का॰नि॰ 168 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 5-3-2002
64. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 8-3-2002

15. मेघालय

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मधुकर दिघे (1)	श्री बी॰बी॰ लिंगदोह (एस॰यू॰पी॰पी॰) (1)	11-10-91 (2)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (3)	दो महीने पुराने संकट और सदन में उत्पन्न संकट को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। (3)
2.	श्री आर॰एस॰ मुशाहारी (10)	डॉ॰ डी॰ डोनकूपर रॉय मेघालय प्रोग्रेसिव एलायंस (एम॰पी॰ए॰) (11)	19-03-2009 (12)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (13)	राजनैतिक अस्थिरता और दल परिवर्तन/त्यागपत्रों के कारण राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया। (14)

1. इंडिया हूज हू, 1992
2. सा॰का॰नि॰ 623 (ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 11-10-1991
3. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 12-10-1991

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
20-11-91 (4)	20-11-91 (5)	9-12-91 10-12-91 (6)	26-11-91 27-11-91 28-11-91 (7)	–	–	5-2-92 (8)	कांग्रेस (आई॰) के नेतृत्व वाले 20 सदस्यीय युनाइटेड मेघालय फ्रंट को श्री डी॰डी॰ लापांग की अध्यक्षता में 5-2-1992 को शपथ दिलाई गई। (9)
4-6-2009 (15)	4-6-2009 (16)	–	–	–	–	13-5-2009 (17)	श्री डी॰डी॰ लापांग को 13-5-2009 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। (18)

4. लोक सभा वाद-विवाद, 27-2-1991
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-2-1991
6. लोक सभा वाद-विवाद, 9-12-1991 और 10-12-1991
7. राज्य सभा वाद-विवाद, 26-11-1991, 27-11-1991 और 28-11-1991
8. सा॰का॰नि॰ 85 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 5-2-1992
9. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली) 6-2-1992
10. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन दिनांक 17-3-2009
11. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन दिनांक 17-3-2009
12. सा॰का॰नि॰ 178 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 19-3-2009
13. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन दिनांक 17-3-2009
14. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन दिनांक 17-3-2009
15. लोक सभा वाद-विवाद, 4-6-2009
16. राज्य सभा वाद-विवाद, 4-6-2009
17. सा॰का॰नि॰ 318 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 13-5-2009
18. दि हिन्दू (नई दिल्ली) 13-5-2009

16. मिजोरम*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हितेश्वर सैकिया (1)	श्री लाल डेंगा (एम एन एफ) (1)	7-9-88 (2)	साथ ही साथ विधान सभा भी भंग कर दी गई। (2)	शासक दल, मिजो नेशनल फ्रंट के नौ विधायकों ने नया एमएनएफ (डी) दल बनाया जिसके कारण 40 सदस्यों वाले सदन में शासक दल के सदस्यों की संख्या घटकर 16 रह गई। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा 8 सदस्यों को उनके विधान सभा सदस्य बने रहने से निरर्ह करने की प्रक्रिया के दौरान निलम्बित किए जाने के कारण संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। इस प्रकार की गतिविधियों के कारण, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। (1)

* मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 के लागू होने से 20.2.87 से मिजोरम राज्य बन गया। संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत भी देखिए।

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन दिनांक 6-9-88 और 7-9-88

2. सा॰का॰नि॰ 905 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], दिनांक 7-9-88

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
2-11-88 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 7-9-88 की एक प्रति के साथ) (3)	2-11-88 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 7-9-88 की एक प्रति के साथ) (4)	2-11-88 (3)	2-11-88 (4)	–	–	24-1-89 (5)	21-1-89 को राज्य विधान सभा के चुनावों के बाद कांग्रेस (आई॰) के श्री लालथनवाला के नेतृत्व में कांग्रेस (आई॰), एमएनएफ (डी) संयुक्त मत्रिमंडल ने 25-1-89 को कार्यभार संभाला। (5)

3. लोक सभा वाद-विवाद 2-11-88, कॉलम 189 और 203-274

4. राज्य सभा वाद-विवाद 2-11-88, कॉलम 1521-53 और 181-231

5. गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा, राज्य और गृह विभाग की वर्ष 1988-89 की वार्षिक रिपोर्ट, पृष्ठ 26 और 27

17. नागालैंड*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एल॰पी॰ सिंह (1)	श्री जे॰बी॰ जोजेसोकी (नागालैंड नेशनलिस्ट आर्गेनाइजेशन) (1)	22-3-75 (2)	विधान सभा निलंबित की गई तथा बाद में 20-5-75 को भंग कर दी गई (3)	पदलोलुपता के कारण सिद्धान्तविहीन दल-परिवर्तन से मंत्रिमंडल का बना रहना कठिन हो गया। एक ही वर्ष में आठ सदस्यों ने एक बार तथा दूसरे आठ सदस्यों ने दो बार तथा अन्य दो सदस्यों ने तीन बार दल परिवर्तन किया। (1)

* संसद के एक अधिनियम नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 द्वारा नागालैंड 1-12-1963 को राज्य बना।

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन दिनांक 20-3-75
2. सा॰का॰नि॰ 157 (ङ॰), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 22-3-75
3. राज्य सभा वाद-विवाद, 22-3-75, कॉलम 1 और 22-7-75, कॉलम 128
4. लोक सभा वाद-विवाद, 21-3-75, कॉलम 1 और 227-28

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
24-3-75 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 20-3-75 की एक प्रति के साथ) (4)	22-3-75 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 20-3-75 की एक प्रति के साथ) (5)	25-3-75 (6)	26-3-75 (7)	28-7-75 (8) 11-3-76, 20-8-76, 5-4-77 (10)	22-7-75 (9) 9-3-76 17-8-76, 1-3-77 (11)	25-11-77 (12)	नवम्बर, 1977 में राज्य सभा के लिए चुनाव हुए जिसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को पूर्ण बहुमत मिला। श्री विजोल अंगामी के नेतृत्व में यूडीएफ मंत्रिमंडल को 25-11-77 को शपथ दिलाई गई। (12)

5. राज्य सभा वाद-विवाद, 22-3-75, कॉलम 1
6. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-75, कॉलम 232-334
7. राज्य सभा वाद-विवाद, 26-3-75, कॉलम 35–100
8. लोक सभा वाद-विवाद, 28-7-75, कॉलम 165-176
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 22-7-75, कॉलम 127-149
10. लोक सभा वाद-विवाद, 11-3-76, कॉलम 237-258, 20-8-76, कॉलम 186-194 और 5-4-77, कॉलम 228-229
11. राज्य सभा वाद-विवाद, 9-3-76, कॉलम 184-202, 17-8-76, कॉलम 203-226 और 1-3-77, कॉलम 41-69
12. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृ॰ 13

नागालैंड — जारी

1	2	3	4	5	6
2.	जनरल के॰ वी॰ कृष्णाराव (13)	श्री होकीशेसेमा (कांग्रेस-आई॰) (13)	7-8-88 (14)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई। (14)	शासक दल कांग्रेस (आई॰) के 13 विधायकों के दल परिवर्तन से 60 सदस्यों के सदन में सरकार अल्पमत में आ गई। जिस प्रकार असंतुष्ट दल ने रातों-रात नया दल बना लिया तथा इस दल का अन्य विपक्षी दलों के साथ बिना किसी विचारधारा अथवा जनता की सेवा की भावना के विलय हुआ, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। (13)
3.	श्री एम॰एम॰ थामस (20)	श्री वामुजो (नेशनल पीपुल्स काउंसिल) (20)	2-4-92 (21)	राज्यपाल द्वारा विधान सभा पहले ही 27-3-1992 को भंग कर दी गई थी। (21)	राज्य के दलों की अनिश्चित स्थिति और कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। (20)
4.	श्री के॰ शंकरनारायण (30)	श्री निफियू रियो डेमोक्रेटिक एलायंस ऑफ नागालैंड (डी ए एन) (31)	3-1-2008 (32)	विधान सभा निलंबित कर दी गई किंतु उसके बाद 12-3-2008 को भंग कर दी गई। (33)	सत्तारूढ़ डीएएन एलायंस अल्पमत में आ गई। (34)

13. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 6-8-88

14. सा॰का॰नि॰ 839 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 7-8-88

7	8	9	10	11	12	13	14
8-8-88 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 6-8-88 की एक प्रति के साथ) (15)	8-8-88 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 6-8-88 की एक प्रति के साथ) (16)	8-8-88 9-8-88 (17)	8-8-88 9-8-88 (17)	–	–	25-1-89 (19)	21-1-89 को विधान सभा के चुनावों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के बाद 25-1-89 को कांग्रेस (आई॰) दल के श्री एस॰ सी॰ जमीर ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। (19)
3-4-92 (22)	3-4-92 (23)	3-4-92 6-4-92 21-4-92 23-4-92 (24)	28-4-92 (25)	12-8-92 (26)	11-8-92 (27)	22-2-93 (28)	15 फरवरी, 1993 को राज्य विधान सभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस (आई॰) को पूर्ण बहुमत मिला और एस॰सी॰जमीर की अध्यक्षता में 22-2-93 को कांग्रेस मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। (29)
26-2-2008 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 17-2-2008 की एक प्रति के साथ) (35)	26-2-2008 (36)	26-2-2008 (37)	26-2-2008 27-2-2008 (38)	–	–	12-3-2008 (39)	विधान सभा चुनावों के बाद श्री निफियू रियो को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। (40)

15. लोक सभा वाद-विवाद, 8-8-88, कॉलम 375-378
16. राज्य सभा वाद-विवाद, 8-8-88, कॉलम 223-326
17. लोक सभा वाद-विवाद, 8-8-88, कॉलम 315-386 और 9-8-88 कॉलम 416-948
18. राज्य सभा वाद-विवाद, 8-8-88, कॉलम 297-378 और 9-8-88, कॉलम 260-283
19. गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, राज्य और गृह विभाग की वर्ष 1988-89 की वार्षिक रिपोर्ट पृ॰ 26
20. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली) दिनांक 4-4-1992
21. सा॰का॰नि॰ 400 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 2-4-92
22. लोक सभा वाद-विवाद, 3-4-92
23. राज्य सभा वाद-विवाद, 3-4-92
24. लोक सभा वाद-विवाद, 3, 6, 21 और 23-4-92
25. राज्य सभा वाद-विवाद, 28-4-92
26. लोक सभा वाद-विवाद, 12-8-92
27. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-8-92
28. सा॰का॰नि॰ 79 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 22-2-93
29. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली) दिनांक 23-2-1993
30. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 14-12-2007
31. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 14-12-2007
32. सा॰का॰नि॰ 10 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 3-1-2008
33. सा॰का॰नि॰ 176 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 12-3-2008
34. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 14-12-2007
35. लोक सभा वाद-विवाद, 26-2-2008
36. राज्य सभा वाद-विवाद, 26-2-2008
37. लोक सभा वाद-विवाद, 26-2-2008
38. राज्य सभा वाद-विवाद, 26-2-2008 और 27-2-2008
39. सा॰का॰नि॰ 117 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 12-3-2008
40. दि हिंदू (नई दिल्ली), 13 मार्च, 2008

18. ओडिशा

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री वाई॰ एन॰ सुखथानकर (1)	डॉ॰ हरेकृष्ण मेहताब (कांग्रेस और गणतंत्र परिषद् मिला-जुला मंत्रिमंडल) (2)	25-2-61 (3)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई। (3)	कांग्रेस पार्टी तथा गणतंत्र परिषद् ने मिला-जुला मंत्रिमंडल बनाया, जो 21-2-61 को डॉ॰ मेहताब के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने पर समाप्त हो गया। (2)
2.	डॉ॰एस॰एस॰ अंसारी (10)	श्री आर॰एन॰सिंह देव (स्वतंत्र जन कांग्रेस मिला-जुला मंत्रिमंडल) (11)	11-1-71 (12) 23-1-71 (13) 23-3-71 (14)	विधान सभा निलंबित की गई तथा बाद में 23-1-71 को भंग कर दी गई। (11)	उड़ीसा में जन कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद श्री आर॰एन॰ सिंह देव के नेतृत्व वाले मिले-जुले मत्रिमंडल ने राज्य विधान सभा में अपना बहुमत खो दिया। बाद में मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। 11-1-71 को जारी की गई उद्घोषणा का प्रतिसंहार कर दिया गया तथा 23-1-71 को नयी उद्घोषणा जारी की गयी जिसके द्वारा राज्य की विधान सभा को भंग कर दिया गया। (11)

1. इंडिया–1961, रेफरेंस एनुअल पृष्ठ 457
2. लोक सभा वाद-विवाद, 8-3-61, कॉलम 3662-3663
3. अधिसूचना संख्या 21/1/61-पौल-II (आर॰), दिनांक 25-2-61, भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-1, खंड 1), दिनांक 25-2-61
4. लोक सभा वाद-विवाद, 28-2-61, कॉलम 2180-2181
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-2-61, कॉलम 1202
6. लोक सभा वाद-विवाद, 8-3-61, कॉलम 3655-3720 और 9-3-61, कॉलम 3850-3863 और 3865-3909
7. राज्य सभा वाद-विवाद, 15-3-61, कॉलम 2927-3048 और 16-3-61, कॉलम 3154-3173
8. सा॰का॰नि॰ 828 भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 23-6-61

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
28-2-61 (राष्ट्रपति को प्रस्तुत राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 8-3-61 के सारांश की प्रति सभा पटल पर रखी गई) (4)	27-2-61 (5)	8-3-61 9-3-61 (6)	15-3-61 16-3-61 (7)	–	–	23-6-61 (8)	जून, 1961 में उड़ीसा में मध्यावधि चुनाव हुए और श्री विजयनन्द पटनायक (कांग्रेस) ने 23-6-61 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (9)
23-3-71 (एक) राष्ट्रपति को राज्यपाल का 'बेतार' द्वारा संदेश दिनांक 11-1-71 (दो) राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 20-1-71	23-3-71 (एक) राष्ट्रपति को राज्यपाल का 'बेतार' द्वारा संदेश दिनांक 11-1-71 (दो) राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 20-1-71	–	–	–	–	23-1-71 (17) 3-4-71 (18)	नवगठित उड़ीसा संयुक्त मोर्चे के विधानमंडल दल के नेता श्री विश्वनाथ दास ने 3-4-71 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (11)

9. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1961-62, पृष्ठ 19 और 'इंडिया'-1962 रेफरेंस एनुअल पृष्ठ 452
10. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 20-1-71
11. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1970-71, पृष्ठ 30-31
12. सा॰का॰नि॰ 67, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 11-1-71
13. सा॰का॰नि॰ 120, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 23-1-71
14. सा॰का॰नि॰ 398, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 23-3-71
15. लोक सभा वाद-विवाद, 23-3-71, कॉलम 39-41
16. राज्य सभा वाद-विवाद, 23-3-71, कॉलम 27-29
17. सा॰का॰नि॰ 119, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 23-1-71
18. सा॰का॰नि॰ 495, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 3-4-71

ओडिशा — जारी

1	2	3	4	5	6
					23-1-71 को जारी की गई उद्घोषणा 22-3-71 को समाप्त हो गई। चूंकि 5 मार्च, 1971 को राज्य में हुए आम चुनावों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 23-3-71 को नई उद्घोषणा जारी की गई परन्तु नयी विधान सभा को निलंबित रखा गया। (11)
3. श्री बी॰डी॰ जत्ती (19)	श्रीमती नन्दिनी सत्पथी (कांग्रेस) (19)	3-3-73 (20)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई। (20)		विधायकों द्वारा बार-बार राजनैतिक दल परिवर्तन करने तथा मुख्यमंत्री द्वारा 1-3-73 को त्यागपत्र देने के कारण किसी भी पार्टी द्वारा स्थायी सरकार बनाना सम्भव न होने पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। (19)

19. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 1-3-73
20. सा॰का॰नि॰ 155 (ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 3-3-73
21. लोक सभा वाद-विवाद, 5-3-73, कॉलम 262-263
22. राज्य सभा वाद-विवाद, 5-3-73, कॉलम 151-152
23. लोक सभा वाद-विवाद, 22-3-73, कॉलम 304-364; 23-3-73, कॉलम 213-254 और 26-3-73, कॉलम 231-278

7	8	9	10	11	12	13	14
तथा (तीन) (राष्ट्रपति को राज्यपाल का टेलीफोन द्वारा संदेश दिनांक 22-3-71 की एक-एक प्रति के साथ) (15)	तथा (तीन) (राष्ट्रपति को राज्यपाल का टेलीफोन द्वारा संदेश दिनांक 23-3-71 की एक-एक प्रति के साथ) (16)						
5-3-73 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 1-3-73 की एक प्रति के साथ) (21)	5-3-73 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 1-3-73 की एक प्रति के साथ) (22)	22-3-73 23-3-73 26-3-73 (23)	20-3-73 21-3-73 (24)	20-8-73 22-8-73 (25)	13-8-73 (26)	6-3-74 (27)	श्रीमती नन्दिनी सत्पथी जिन्हें कांग्रेस दल का नेता निर्वाचित किया गया था, ने 6-3-74 को मंत्रिमंडल का गठन किया (28)

24. राज्य सभा वाद-विवाद, 20-3-73, कॉलम 162-220; 21-3-73, कॉलम 158-177 और 207-232
25. लोक सभा वाद-विवाद, 20-8-73, कॉलम 366-392; 22-8-73, कॉलम 235-236 और 242-291
26. राज्य सभा वाद-विवाद, 13-8-73, कॉलम 105-169
27. सा॰का॰नि॰ 120 (ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 6-3-74
28. इंडिया-1975, रेफरेंस एनुअल, पृष्ठ-334

ओडिशा — जारी

1	2	3	4	5	6
4.	श्री एस॰एन॰ शंकर (29)	श्रीमती नन्दिनी सत्पथी (कांग्रेस) (29)	16-12-76 (30)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (29) और (30)	सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में दल-परिवर्तन तथा मंत्रिमंडल में तीव्र मतभेदों के कारण राज्य में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, जिसका प्रभाव प्रशासन तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति पर पड़ा। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपने प्रतिवेदन में 'असाधारण स्थिति' से निपटने के लिये राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की सिफारिश की। (29)
5.	श्री हरचरण सिंह बराड़ (34)	श्री विनायक आचार्य (कांग्रेस) (35)	30-4-77 (36)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (36)	मार्च, 1977 में हुए लोक सभा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस उड़ीसा से केवल 4 सीटें जीत सकी। इसका केन्द्र सरकार ने यह अर्थ लगाया कि राज्य सरकार पर से निर्वाचकों का विश्वास समाप्त हो गया है। (37)
6.	श्री बी॰डी॰ शर्मा (41)	श्री नीलमणि राउतराय (लोक दल) (42)	17-2-80 (43)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (43)	केन्द्र सरकार ने महसूस किया कि जनवरी, 1980 के लोक सभा चुनावों में हार के कारण राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी अब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। (44)

29. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 13.12.76
30. सा॰का॰नि॰ 923,(ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 16.12.76
31. लोक सभा वाद-विवाद, 29.3.77, कॉलम 3
32. राज्य सभा वाद-विवाद, 1.3.77, कॉलम 1
33. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1976-77, पृष्ठ 7
34. आई एन ई ए का 'इंडिया हूज हू' 1978-79 पृष्ठ 144
35. दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 1.5.77
36. सा॰का॰नि॰ 207,(ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 30.4.77

7	8	9	10	11	12	13	14
29-3-77 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन, दिनांक 13-12-76 की एक प्रति के साथ) (31)	1-3-77 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन, दिनांक 13-12-76 की एक प्रति के साथ) (32)	–	–	–	–	29-12-76 (33)	राज्यपाल ने कांग्रेस विधायक दल के नये नेता श्री विनायक आचार्य को 29-12-76 को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया। (33)
1-6-77 (38)	11-6-77 (39)	–	–	–	–	26-6-77 (40)	जून, 1977 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव हुए। श्री नीलमणि राउतराय के नेतृत्व में जनता पार्टी मंत्रिमंडल ने 26-6-77 को पदभार संभाला। (40)
11-3-80 (45)	13-3-80 (46)	26-3-80 (47)	27-3-80 (48)	–	–	9-6-80 (49)	मई, 1980 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव हुए। श्री जे॰ बी॰ पटनायक के नेतृत्व में कांग्रेस (आई॰) सरकार ने 9-6-80 को पदभार संभाला। (50)

37. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 9-10
38. लोक सभा वाद-विवाद, 1-6-77, कॉलम 5
39. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 4
40. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 101
41. दि स्टेट्समैन (नई दिल्ली), दिनांक 19-2-80
42. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 18-2-80
43. सा॰ का॰ नि॰ 40,(ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 17-2-80
44. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 199-200 (**देखिए** केन्द्रीय गृह मंत्री का भाषण)
45. लोक सभा वाद-विवाद, 11-3-1980, कॉलम 197-201
46. राज्य सभा वाद-विवाद, 13-3-1980, कॉलम 121-172
47. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-1980, कॉलम 196-306 और 26-3-80, कॉलम 321-410
48. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-3-80, कॉलम 196-392
49. सा॰का॰नि॰ 307,(ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 9-6-80
50. दि इंडियन एक्सप्रेस, (नई दिल्ली), दिनांक 10-6-1980

19. पंजाब

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सी॰ एम॰ त्रिवेदी (1)	डॉ॰ गोपीचन्द भार्गव (कांग्रेस) (2)	20-6-51 (3)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (4)	कांग्रेस पार्टी में अन्दरूनी फूट पैदा हो गई तथा डॉ॰ गोपीचन्द ने 16-6-51 को अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। (5)
2.	श्री यादवेन्द्र सिंह, पेप्सु* के राजप्रमुख (10)	श्री ज्ञान सिंह राड़ेवाला (संयुक्त दल) (11)	4-3-53 (12)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (12)	विधायकों द्वारा बार-बार अपना समर्थन बदलने तथा चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा याचिकाओं के बारे में मुख्यमंत्री सहित चार मंत्रियों के खिलाफ निर्णय दिये जाने के कारण मुख्यमंत्री ने अपना तथा अपने सहयोगियों का त्यागपत्र राजप्रमुख को दे दिया। (13)

*राज्यों का पुनर्गठन होने पर 1-11-1956 को 'पेप्सु' का पंजाब में विलय कर दिया गया।

1. दि स्टेट्समैन ईयर बुक, 1951, पृष्ठ 180
2. संसदीय वाद-विवाद (भाग 2), 9-8-51 कॉलम 193
3. एस॰आर॰ओ॰ 925, भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-2, खण्ड 3), दिनांक 20-6-51
4. संसदीय वाद-विवाद (भाग 2), 9-8-51, कॉलम 253
5. संसदीय वाद-विवाद (भाग 2), 9-8-51 कॉलम 193 और 195
6. संसदीय वाद-विवाद (भाग 2), 7-8-51, कॉलम 32 यह उद्घोषणा अस्थाई संसद, जो कि एक सदनीय थी, के समक्ष रखी गई तथा स्वीकृत की गई। प्रथम आम चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों का गठन हुआ तथा प्रथम सत्र मई, 1952 को करने का आह्वान किया गया। **देखिए** संविधान का अनुच्छेद 379
7. संसदीय वाद-विवाद (भाग 2), 9-8-51 कॉलम 193-255 **देखिए** टिप्पण 6
8. अधिसूचना संख्या 60/2/52 पब्लिक, भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-1, खंड 1), दिनांक 17-4-52
9. दि हिन्दू, (नई दिल्ली), दिनांक 18-4-52
10. इंडिया-1953, रेफरेंस एनुअल, पृष्ठ 169
11. राज्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1952-53, पृष्ठ 1 और 14
12. अधिसूचना संख्या एफ॰ 3(10) पी॰ए॰/53, भारत का राजपत्र, असाधारण, (भाग-1, खंड 1), दिनांक 4-3-53
13. संसदीय वाद-विवाद, हाऊस ऑफ दि पीपुल (लोक सभा) (भाग 2), 5-3-53, कॉलम 1482-1484
14. संसदीय वाद-विवाद, हाऊस ऑफ दि पीपुल (लोक सभा) (भाग 2), 5-3-53, कॉलम 1481-1484
15. संसदीय वाद-विवाद, कौंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्य सभा) (भाग 2), 5-3-53, कॉलम 1835-1839

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
7-8-51 (अंतरिम संसद) (6)	–	9-8-51 (7)	–	–	–	17-4-52 (8)	आम चुनावों के साथ 1952 में नये चुनाव होने के बाद श्री भीम सेन सच्चर (कांग्रेस) ने 17-4-52 को नये मंत्रिमंडल का गठन किया। (9)
5-3-53 (गृह तथा राज्य मंत्री ने भी इस आशय का एक वक्तव्य दिया) (14)	5-3-53 (राज्य सभा के नेता ने भी इस आशय का एक वक्तव्य दिया) (15)	12-3-53 (16)	25-3-53 26-3-53 (17)	16-9-53 (18)	14-9-53 15-9-53 (19)	7-3-54 (20)	18 फरवरी तथा 4 मार्च, 1954 के दौरान राज्य में आम चुनावों के बाद 8-3-54 को कांग्रेस विधायी दल के नेता श्री रघुवीर सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। (21)

16. संसदीय वाद-विवाद, हाउस ऑफ दि पीपुल (लोक सभा) (भाग दो), 12-3-53, कॉलम 1889-1978
17. संसदीय वाद-विवाद, कौंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्य सभा), 25-3-53, कॉलम 2147-2212 और 26-3-53, कॉलम 2259-2322
18. संसदीय वाद-विवाद, हाउस ऑफ दि पीपुल (लोक सभा) (भाग दो), 16-9-53, कॉलम 3804-3905 और 3936-3963
19. संसदीय वाद-विवाद, कौंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्य सभा), 14-9-53, कॉलम 2198-2290 और 15-9-53, कॉलम 2348-2438
20. एस॰आर॰ओ॰ 812, भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग-2, खण्ड 3), दिनांक 7-3-54
21. मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स की वार्षिक रिपोर्ट, 1953-54, पृष्ठ 14

पंजाब — जारी

1	2	3	4	5	6
3	श्री धर्मवीर (22)	श्री रामकिशन (कांग्रेस) (23)	5-7-66 (24)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (25)	राज्य का पुनर्गठन किये जाने का निर्णय हो जाने पर मंत्रिमंडल ने 22-6-66 को त्यागपत्र दे दिया। (26)
4.	डॉ॰ डी॰सी॰ पावटे (33)	श्री लक्ष्मण सिंह गिल (पंजाब जनता पार्टी) (33)	23-8-68 (34)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (34)	श्री लक्ष्मण सिंह गिल ने राज्य कांग्रेस विधायी पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिए जाने पर 21-8-68 को त्यागपत्र दे दिया। कोई भी अन्य दल मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर सका। (33)
5.	डॉ॰ डी॰सी॰ पावटे (41)	श्री प्रकाश सिंह बादल (अकाली दल) (41)	15-6-71 (42)	13-6-71 को विधान सभा भंग कर दी गई (42)	सत्तारूढ़ अकाली दल पार्टी में दल परिवर्तन के कारण मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने 13-6-71 को अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया। (41)

22. इंडिया-1966 रेफरेंस एनुअल, पृष्ठ 451
23. लोक सभा वाद-विवाद, 31-8-66, कॉलम 8148-8149
24. सा॰का॰नि॰ 1069, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 5-7-66
25. लोक सभा वाद-विवाद, 31-8-66, कॉलम 8241
26. लोक सभा वाद-विवाद, 31-8-66, कॉलम 8148 और 8241
27. लोक सभा वाद-विवाद, 25-7-66, कॉलम 164
28. राज्य सभा वाद-विवाद, 25-7-66, कॉलम 82
29. लोक सभा वाद-विवाद, 31-8-66, कॉलम 8142-8244
30. राज्य सभा वाद-विवाद, 3-9-66, कॉलम 5491-5561
31. सा॰का॰नि॰ 1677, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 1-11-66

7	8	9	10	11	12	13	14
25-7-66 (27)	25-7-66 (28)	31-8-66 (29)	3-9-66 (30)	–	–	1-11-66 (31)	1-11-66 को श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर (कांग्रेस) ने पुनर्गठित पंजाब में और श्री भगवत दयाल शर्मा ने नवगठित हरियाणा में मंत्रिमंडल का गठन किया। (32)
23-8-68 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 21-8-68 की एक प्रति के साथ) (35)	23-8-68 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 21-8-68 की एक प्रति के साथ) (36)	29-8-68 (37)	27-8-68 (38)	–	–	17-2-69 (39)	9-2-69 को पंजाब में मध्यावधि चुनाव के बाद 17-2-69 को अकाली दल के नेता श्री गुरनाम सिंह ने ''अकाली-जनसंघ'' की मिली-जुली सरकार बनाई। (40)
16-6-71 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 13-6-71 की एक प्रति के साथ) (44)	16-6-71 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 13-6-71 की एक प्रति के साथ) (44)	2-8-71 5-8-71 (45)	21-6-71 22-6-71 (46)	4-12-71 (47)	25-11-71 (48)	17-3-72 (49)	मार्च, 1972 में आम चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। ज्ञानी जैल सिंह को 17-3-72 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। (50)

32. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 2-11-66
33. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 21-8-68
34. सा॰का॰नि॰ 1548, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 23-8-68
35. लोक सभा वाद-विवाद, 23-8-68, कॉलम 1000
36. राज्य सभा वाद-विवाद, 23-8-68, कॉलम 4373-4374
37. लोक सभा वाद-विवाद, 29-8-68, कॉलम 2989-3076
38. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-8-68, कॉलम 4771-4825
39. सा॰का॰नि॰ 301, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 17-2-69
40. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1968-69, पृष्ठ 69
41. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 13-6-71
42. सा॰का॰नि॰ 914, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 15-6-71
43. लोक सभा वाद-विवाद, 16-6-71, कॉलम 146-147
44. राज्य सभा वाद-विवाद, 16-6-71, कॉलम 129
45. लोक सभा वाद-विवाद, 2-8-71, कॉलम 225-237 और 5-8-71, कॉलम 202-260
46. राज्य सभा वाद-विवाद, 21-6-71, कॉलम 97-148 और 22-6-71, कॉलम 19-42
47. लोक सभा वाद-विवाद, 4-12-71, कॉलम 146-160
48. राज्य सभा वाद-विवाद, 25-11-71, कॉलम 184-245
49. सा॰का॰नि॰ 102 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 17-3-72
50. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1971-72, पृष्ठ 33

पंजाब — जारी

1	2	3	4	5	6
6.	श्री एम॰एम॰ चौधरी (51)	ज्ञानी जैल सिंह (कांग्रेस) (52)	30-4-77 (53)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (53)	मार्च 1977 में हुए लोक सभा चुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पंजाब में कोई सीट नहीं जीत सकी। केन्द्र सरकार ने इसका यह अर्थ लगाया कि राज्य सरकार में निर्वाचकों का विश्वास समाप्त हो गया है। (54)
7.	श्री जयसुखलाल हाथी (59)	श्री प्रकाश सिंह बादल (अकाली दल) (60)	17-2-80 (61)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (61)	केन्द्र सरकार ने महसूस किया कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा चुनावों में भारी हार के कारण राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी अब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। (62)
8.	श्री ए॰पी॰ शर्मा (69)	श्री दरबारा सिंह (69)	6-10-83 (70)	विधान सभा निलम्बित कर दी गई (69) और 26-6-85 को विधान सभा भंग कर दी गई। (77)	शिरोमणि अकाली दल के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति तथा राज्य में आतंकवादियों की कार्यवाही। (70)
9.	श्री एस॰एस॰ राय (78)	श्री सुरजीत सिंह बरनाला (अकाली दल) (78)	11-5-87 (79)	विधान सभा निलम्बित कर दी गई (79) और बाद में 6-3-88 को भंग कर दी गई (80)	राष्ट्रपति को अपने प्रतिवेदन में राज्यपाल ने बताया कि राज्य सरकार आतंकवादियों की अनियंत्रित गतिविधियों के कारण कानून और व्यवस्था की अत्यधिक बिगड़ी हुई स्थिति में संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती थी। (78)

51. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), 2-5-77 और 'इन्फा' का इण्डिया हूज हू, 1976-77, पृष्ठ 146
52. पैट्रियट (नई दिल्ली), दिनांक 30-4-77
53. सा॰का॰नि॰ 209 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 30-4-77
54. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 9-10, देखिए प्रस्तावना पूर्व पृष्ठ-1
55. लोक सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 5, 6
56. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 4
57. सा॰का॰नि॰ 384 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 20-6-77
58. गृह मंत्रालय की वाषिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 10
59. दि स्टेट्समैन, (नई दिल्ली), दिनांक 15-3-80
60. दि ट्रिब्यून (चण्डीगढ़), दिनांक 19-2-80
61. सा॰का॰नि॰ 44 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 17-2-80
62. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 199-200
63. लोक सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 197-201
64. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 121-172
65. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 196-306 और 26-3-80, कॉलम 321-410
66. लोक सभा वाद-विवाद, 27-3-80, कॉलम 196-392
67. सा॰का॰नि॰ 293 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 7-6-80
68. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), 9-6-80

7	8	9	10	11	12	13	14
11-6-77 (55)	11-6-77 (56)	–	–	–	–	20-6-77 (57)	जून, 1977 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव हुए। श्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली-जनता सरकार के गठबंधन ने 20-6-77 को पदभार संभाला। (58)
11-3-80 (63)	11-3-80	25-3-80 26-3-80 (65)	27-3-80 (66)	–	–	7-6-80 (67)	मई, 1980 में राज्य विधान सभा के लिये चुनाव हुए। श्री दरबारा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) सरकार ने 7-6-80 को पदभार संभाला। (68)
15-11-83 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 6-10-83 की एक प्रति के साथ) (71)	15-11-83 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 6-10-83 की एक प्रति के साथ) (72)	15-11-83 16-11-83 (73)	16-11-83 (74)	19-3-84 17-8-84 23-8-84 27-8-84 (75)	21-3-84 25-8-84 28-8-84 (76)	29-9-85 (77)	25-9-85 को हुए राज्य विधान सभा के चुनाव के पश्चात् शिरोमणि अकाली दल के श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने 29-9-85 को सरकार बनाई। (77)
12-5-87 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 11-5-87 की एक प्रति के साथ) (81)	12-5-87 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 11-5-87 की एक प्रति के साथ) (82)	12-5-87 (81)	12-5-87 (82)	6-11-87 9-11-87 2-5-88 6-5-88 2-11-88 3-11-88 9-5-89 12-10-89 2-5-90 5-10-90 12-3-91 (83)	9-11-87 10-11-87 5-5-88 3-11-88 9-5-89 10-5-89 12-10-89 3-5-90 5-10-90 13-3-91 (84)	23-2-92 (85)	19-2-92 को हुए राज्य विधान सभा के चुनाव के पश्चात् श्री बेअंत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) सरकार ने 23-2-92 को पदभार संभाला। (85)

69. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 6-10-83
70. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1983-84, पृष्ठ 4
71. लोक सभा वाद-विवाद, 15-11-83, कॉलम 398
72. राज्य सभा वाद-विवाद, 15-11-83, कॉलम 205-209
73. लोक सभा वाद-विवाद, 15-11-83, कॉलम 468-518 और 16-11-83, कॉलम 381-490
74. राज्य सभा वाद-विवाद, 16-11-83, कॉलम 191-203
75. लोक सभा वाद-विवाद, 19-3-84, कॉलम 769-866, 17-8-84, कॉलम 229-230, 23-8-84, कॉलम 366-379, 27-8-84, कॉलम 250
76. राज्य सभा वाद-विवाद, 21-3-84, कॉलम 224-302, 25-8-84, कॉलम 78-160, 28-8-84, कॉलम 58-89
77. आन्तरिक सुरक्षा, राज्य और गृह विभाग, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1985-86, पृष्ठ 5-6
78. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 11-5-87
79. सा॰का॰नि॰ 474 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 11-5-87
80. आन्तरिक सुरक्षा, राज्य और गृह विभाग, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1987-88, पृष्ठ 22
81. लोक सभा वाद-विवाद, 12-5-87, कॉलम 3-5 और 67-133
82. राज्य सभा वाद-विवाद, 12-5-87, कॉलम 5-14 और 123-200
83. लोक सभा वाद-विवाद, 6-11-87, कॉलम 239-262, 9-11-87, 449-536, 2-5-88, कॉलम 436-449, 6-5-88, कॉलम 284-318, 2-11-88, कॉलम 274-297, 3-11-88, कॉलम 327-351, 9-5-89, कॉलम 471-546, 12-10-89, कॉलम 40-87, 2-5-90, कॉलम 463-551, 5-10-90 और 12-3-91
84. राज्य सभा वाद-विवाद, 9-11-87, कॉलम 449-460, 10-11-87, कॉलम 214-285, 5-5-88, कॉलम 155-256, 3-11-88, कॉलम 197-289, 9-5-89, कॉलम 321-380, 10-5-89, कॉलम 227-316, 12-10-89, कॉलम 100-190, 3-5-90, कॉलम 177-286, 5-10-90 और 13-3-91
85. आन्तरिक सुरक्षा, राज्य और गृह विभाग, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1992-93, पृष्ठ 11

20. राजस्थान

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ॰ सम्पूर्णानन्द (1)	श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कांग्रेस) के नेतृत्व में कार्यवाहक सरकार, क्योंकि आम चुनाव 1967 में हुए थे। (2)	13-3-67 (3)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (4)	1962 में आम चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी के नेता श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कांग्रेस) को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए राज्यपाल ने आमंत्रित किया परन्तु उन्होंने मंत्रिमंडल बनाने से इंकार कर दिया, जबकि उन्होंने यह दावा किया था कि उनको विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। (4)

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन का सारांश, दिनांक 12-3-67
2. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1966-67, पृष्ठ 57
3. सा॰का॰नि॰ 345, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 13-3-67
4. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1966-67, पृष्ठ 57

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीखें	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
20-3-67 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 12-3-67 के सारांश की एक प्रति के साथ) (5)	20-3-67 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 12-3-67 के सारांश की एक प्रति के साथ) (6)	18-3-67 20-3-67 मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भिक रूप से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर की गई श्री। प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। (7)	3-4-67 4-4-67 राजस्थान में राष्ट्रपति शासन पर प्रतिसंहरण करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। (8)	–	–	26-4-67 (9)	श्री मोहनलाल सुखाड़िया (कांग्रेस), ने 26-4-67 को नये मंत्रिमंडल का गठन किया। (4)

5. लोक सभा वाद-विवाद, 20-3-67, कॉलम 294-295
6. राज्य सभा वाद-विवाद, 20-3-67, कॉलम 126
7. लोक सभा वाद-विवाद, 18-3-67, कॉलम 109, 130–238 और 20-3-67, कॉलम 309–424
8. राज्य सभा वाद-विवाद, 3-4-67, कॉलम 1937–2020 और 4-4-67, कॉलम 2107–2120
9. सा॰का॰नि॰ 625, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 26-4-67

राजस्थान — जारी

1	2	3	4	5	6
2.	श्री वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक राज्यपाल) (10)	श्री हरिदेव जोशी (कांग्रेस) (10)	30-4-77 (11)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (11)	मार्च, 1977 में हुए लोक सभा चुनावों में कांग्रेस-राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी-राजस्थान से केवल एक सीट जीत सकी। केन्द्र सरकार ने इसका यह अर्थ लगाया कि राज्य सरकार में निर्वाचकों का विश्वास समाप्त हो गया है। (12)
3.	श्री रघुकुल तिलक (17)	श्री भैरोंसिंह शेखावत (जनता पार्टी) (18)	17-2-80 (19)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (19)	केन्द्र सरकार ने यह महसूस किया कि मई, 1980 में हुए लोक सभा चुनावों में भारी हार के कारण सत्तारूढ़ पार्टी अब लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। (20)
4.	श्री बलिराम भगत (27)	श्री भैरोंसिंह शेखावत (भारतीय जनता पार्टी) (27)	15-12-92 (28)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (29)	कार सेवकों ने 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया। राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार, जिसने यह महसूस किया कि प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों के नेतृत्व वाली सरकार को बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, की सिफारिश पर सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। (29)

10. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 30-4-77
11. सा॰का॰नि॰ 211 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 30-4-77
12. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 9-10
13. लोक सभा वाद-विवाद 11-6-67, कॉलम 6
14. राज्य सभा वाद-विवाद 11-6-67, कॉलम 4-5
15. सा॰का॰नि॰ 390(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 22-6-77
16. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 10
17. दि स्टेट्समैन, (नई दिल्ली), दिनांक 15-3-80
18. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 18-2-80
19. सा॰का॰नि॰ 36(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 17-2-80
20. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 199-200 (**देखिए** केन्द्रीय गृह मंत्री का भाषण)
21. लोक सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 197–201
22. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 121–172
23. लोक सभा वाद-विवाद, 22-3-80, कॉलम 196–306 और 26-3-80, कॉलम 321–410

7	8	9	10	11	12	13	14
11-6-77 (13)	11-6-77 (14)	–	–	–	–	22-6-77 (15)	जून, 1977 में राज्य विधान सभा के लिए नये चुनाव कराये गऐ। श्री भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने 22-6-77 को पदभार संभाला। (16)
11-3-80 (21)	11-3-80 (22)	23-3-80 26-3-80 (23)	27-3-80 (24)	–	–	5-6-80 (25)	मई, 1980 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव कराये गये। श्री जगन्नाथ पहाड़िया के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) सरकार ने 6-6-80 को पदभार संभाला। (26)
18-12-92 (30)	18-12-92 (31)	22-12-92 23-12-92 (32)	19-12-92 (33)	12-5-93 (34)	13-5-93 (35)	4-12-93 (36)	11-11-93 को राज्य विधान सभा के चुनाव कराए गये। श्री भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4-12-1993 को शपथ दिलाई गई। (37)

24. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-3-80, कॉलम 196–392
25. सा॰का॰नि॰ 291(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 6-6-80
26. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 7-6-80
27. इंडिया, हूज हू, 1993
28. सा॰का॰नि॰ 930(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 15-12-92
29. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 16-12-1992
30. लोक सभा वाद-विवाद, 18-12-1992
31. राज्य सभा वाद-विवाद, 18-12-1992
32. लोक सभा वाद-विवाद, 22-12-1992 और 23-12-1992
33. राज्य सभा वाद-विवाद, 19-12-1992
34. लोक सभा वाद-विवाद, 12-5-1993
35. राज्य सभा वाद-विवाद, 13-5-1993
36. सा॰का॰नि॰ 731(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 4-12-93
37. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 5-12-93

21. सिक्किम*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बी॰बी॰ लाल (1)	श्री काजी लैंदुप दोरजी (जनता पार्टी) (1)	18-8-79 (2)	13-8-79 को विधान सभा भंग कर दी गई (1)	मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल ने 13-8-79 को विधान सभा भंग कर दी। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया जो 17-8-79 को स्वीकार कर लिया गया और राज्य में 18-8-79 से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। (3)
2.	श्री एच॰जे॰एच॰ तलयार खां (7)	श्री भीम बहादुर गुरुंग (कांग्रेस) (7)	25-5-84 (8)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (8)	सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के 17 विधायकों द्वारा दल-परिवर्तन कर लेने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती थी। (7)

*26-4-75 को सिक्किम संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत भारतीय संघ का 22वां राज्य बना।

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट, दिनांक 15-8-79
2. सा॰का॰नि॰ 497(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 18-8-79
3. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट,1979-80, पृ॰ 67
4. लोक सभा वाद-विवाद 23-1-80, कॉलम 38-40
5. राज्य सभा वाद-विवाद 23-1-80, कॉलम 25
6. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1979-80, पृ॰ 68
7. राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट, दिनांक 25-5-84
8. सा॰का॰नि॰ 397(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 25-5-84

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीखें	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
23-1-80 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 15-8-79 की एक प्रति के साथ) (4)	23-1-80 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 15-8-79 की एक प्रति के साथ) (5)	–	–	–	–	17-10-79 (6)	अक्तूबर, 1979 में राज्य विधान सभा के लिए चुनावों के बाद सिक्किम जनता परिषद् के श्री नर बहादुर भंडारी ने 18-10-79 को नया मंत्रिमंडल बनाया। (6)
23-7-84 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 25-5-84 की एक प्रति के साथ) (9)	23-7-84 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 25-5-84 की एक प्रति के साथ) (10)	23-7-84 (9)	23-7-84 (10)	27-8-84 (11)	28-8-84 (12)	8-3-85 (13)	विधान सभा के लिए 5 मार्च, 1985 को हुए चुनावों के पश्चात् सिक्किम संग्राम परिषद् के श्री नर बहादुर भंडारी ने 8-3-85 को सरकार बनाई। (13)

9. लोक सभा वाद-विवाद, 23-7-84, कॉलम 383-85
10. राज्य सभा वाद-विवाद, 23-7-84, कॉलम 259-61
11. लोक सभा वाद-विवाद, 27-8-84, कॉलम 246-47
12. राज्य सभा वाद-विवाद, 28-8-84, कॉलम 19-58
13. आन्तरिक सुरक्षा, राज्य और गृह विभाग, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1985-86

22. तमिलनाडु*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री के॰के॰ शाह (1)	श्री एम॰ करूणानिधि (द्रविड़ मुनेत्र कषगम) (2)	31-1-76 (3)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (3)	राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम मंत्रिमंडल ने कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के अनेक कार्य किये हैं और सत्ता का दुरुपयोग किया है और न्याय और समानता के सभी सामान्य नियम नकार दिये हैं। द्र॰मु॰क॰ मंत्रिमंडल के कुप्रशासन का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया: (क) सरकार द्वारा बरती गई प्रशासनिक तथा वित्तीय अनियमितायें; (ख) पार्टी के हितों के लिए प्राधिकार का घोर दुरुपयोग तथा ज्यादती; और (ग) राष्ट्रीय नीति के मूलभूत उद्देश्यों को विफल करने के लिये जानबूझकर किये गये प्रयास, आपात स्थिति के सम्बन्ध में जारी किये गये केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों की अवहेलना तथा आपातकालीन शक्तियों को दुरुपयोग।

*संसद द्वारा पारित एक अधिनियम ''मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1968'' द्वारा 14-1-69 से मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कर दिया गया।

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 29-1-76
2. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली) दिनांक 1-2-1976
3. सा॰का॰नि॰ 55 (ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 31-1-76

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीखें	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
2-2-76 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 29-1-76 की एक प्रति के साथ) (4)	2-2-76 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 29-1-76 की एक प्रति के साथ) (5)	9-3-76 10-3-76 (6)	8-3-76 (7)	20-8-76 23-8-76 5-4-77 (8)	17-8-76 1-3-77 (9)	30-6-77 (10)	जून, 1977 में हुए चुनावों में अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम को पूर्ण बहुमत मिला तथा श्री एम॰ जी॰ रामचन्द्रन के नेतृत्व में 30-6-77 को नये मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। (10)

4. लोक सभा वाद-विवाद, 2-2-1976, कॉलम 3-5
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 2-2-1976, कॉलम 1-4
6. लोक सभा वाद-विवाद, 9-3-76, कॉलम 95-250 तथा 10-3-76, कॉलम 139-240
7. राज्य सभा वाद-विवाद, 8-3-76, कॉलम 111-115 और 117-198
8. लोक सभा वाद-विवाद, 20-8-1976, कॉलम 194-97, 23-8-76, कॉलम 160-212 और 5-4-77, कॉलम 175-228
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 17-8-76, कॉलम 226-236 और 1-3-77, कॉलम 70-154
10. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 9

तमिलनाडु — जारी

1	2	3	4	5	6
2.	श्री प्रभुदास पटवारी (11)	श्री एम॰जी॰ रामचन्द्रन (अ॰भा॰अ॰द्र॰मु॰क॰) (11)	17-2-80 (12)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (12)	केन्द्र सरकार ने महसूस किया कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा चुनाव में भारी हार के कारण राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी अब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। (13)

11. दि डेकन हेराल्ड, (बंगलौर) दिनांक 19-2-80
12. सा॰का॰नि॰ 42 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 17-2-80
13. लोक सभा वाद-विवाद, 23-3-80, कॉलम 199-200 (**देखिए** केन्द्रीय गृह मंत्री का भाषण)

7	8	9	10	11	12	13	14
11-3-80 (14)	11-3-80 (15)	25-3-80 26-3-80 (16)	27-3-80 (17)	–	–	9-6-80 (18)	मई, 1980 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव हुए। श्री एम॰जी॰ रामचन्द्रन के नेतृत्व में अ॰भा॰अ॰द्र॰मु॰क॰ सरकार ने 9-6-80 को पदभार संभाला। (19)

14. लोक सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 197-201
15. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 121-192
16. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 196–306 और 26-3-80, कॉलम 321–410
17. लोक सभा वाद-विवाद, 27-3-80, कॉलम 196-392
18. सा॰का॰नि॰ 308 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 9-6-80
19. दि हिन्दू, (मद्रास), दिनांक 10-6-80

तमिलनाडु — जारी

1	2	3	4	5	6
3.	श्री एस॰ एल॰ खुराना (20)	श्रीमती जानकी रामचन्द्रन (अ॰भा॰अ॰द्र॰मु॰क॰) (20)	30-1-88 (21)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (21)	तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एम॰जी॰ रामचन्द्रन के निधन से राज्य में राजनैतिक गतिरोध पैदा हो गया और विधान सभा में हो रही अनुचित गतिविधियों के कारण राज्य सरकार को चलाने वाला संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। (20)
4.	श्री एस॰एस॰ बरनाला (28)	श्री एम॰ करुणानिधि (द्र॰मु॰क॰) (28)	30-1-91 (29)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (29)	राज्य में 'लिट्टे' की बढ़ती हुई गतिविधियों के फलस्वरूप कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और राज्य सरकार इन गतिविधियों को नहीं रोक पा रहीं थी। (28)

20. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 29-1-88
21. सा॰का॰नि॰ 66 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 30-1-88
22. लोक सभा वाद-विवाद, 23-2-88, कॉलम 440-41 और 471-547
23. राज्य सभा वाद-विवाद, 23-2-88, कॉलम 174
24. राज्य सभा वाद-विवाद, 8-3-88, कॉलम 209-309
25. लोक सभा वाद-विवाद, 27-7-88, कॉलम 258-350
26. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-7-88, कॉलम 317-22, 364-369 और 28-7-88, कॉलम 147-300
27. आंतरिक सुरक्षा, राज्य और गृह विभाग, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1988-89, पृष्ठ 26

7	8	9	10	11	12	13	14
23-2-88 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 29-1-88 की एक प्रति के साथ) (22)	23-2-88 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 29-1-88 की एक प्रति के साथ) (23)	23-2-88 (22)	23-2-88 (23) 8-3-88 (24)	27-7-88 (25)	27-7-88 28-7-88 (26)	27-1-89 (27)	राज्य विधान सभा के लिए 21-1-89 को चुनाव हुए जिसमें द्र॰मु॰क॰ फ्रंट को पूर्ण बहुमत मिला। श्री एम॰ करुणानिधि के नेतृत्व में द्र॰मु॰क॰ सरकार ने 27-1-89 को पदभार संभाला। (27)
21-2-91 (30)	21-2-91 (31)	25-2-91 26-2-91 27-2-91 (32)	26-2-91 (33)	–	–	24-6-91 (34)	जून, 1991 में हुए चुनाव में अ॰भा॰अ॰द्र॰मु॰क॰ को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और सुश्री जे॰ जयललिता ने 24-6-91 को मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। (34)

28. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 31-1-91
29. सा॰का॰नि॰ 54 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 30-1-91
30. लोक सभा वाद-विवाद, 21-2-91
31. राज्य सभा वाद-विवाद, 21-2-91
32. लोक सभा वाद-विवाद, 25-2-91, 26-2-91 और 27-2-91
33. राज्य सभा वाद-विवाद, 26-2-91
34. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 25-6-91

23. तेलंगाना*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ई॰ एस॰एल॰ नरसिंहन (1)	श्री एन॰ किरन कुमार रेड्डी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) (2)	01-03-14 (3) 28-04-14 (4)	विधानसभा निलंबित कर दी गई (5) 28-04-14 को सभा भंग कर दी गई। (6)	लोक सभा में आन्ध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के कारण मुख्य मंत्री श्री एन॰ किरन कुमार रेड्डी ने 19-02-14 को मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। (7)

*2 जून 2014 को आन्ध्र प्रदेश में से अलग होकर तेलंगाना संघ का 29वां राज्य बना।

1. राष्ट्रपति के राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक, 20-02-2014
2. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, (नई दिल्ली), 01 मार्च, 2014
3. सा॰का॰नि॰ 133 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 01-03-2014
4. सा॰का॰नि॰ 298 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 28-04-2014
5. दि टाइम्स ऑफ इण्डिया (नई दिल्ली), 01 मार्च, 2014
6. सा॰का॰नि॰ 298 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 28-04-2014

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीखें	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
09-06-14 (8)	10-06-14 (9)	–	–	–	–	01-06-14 (10)	राज्य विधान सभा के चुनाव अप्रैल 2014 में हुये थे। चुनाव के पश्चात् श्री के॰ चन्द्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टी॰ आर॰ एस॰) के नेता ने 02-06-2014 को मुख्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। (11)

7. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 20-02-2014
8. लोक सभा समाचार, भाग-एक, 09-06-2014
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 10-06-2014, पृष्ठ-4
10. सा॰का॰नि॰ 373 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 01-06-2014
11. दि टाइम्स ऑफ इंडिया (नई दिल्ली), 3 जून, 2014

24. त्रिपुरा*

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बी॰ के॰ नेहरू (1)	–	21-1-72 (2)	–	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अधीन 21-1-72 को नया राज्य त्रिपुरा बनाया गया। इस नये राज्य को विधान सभा के चुनाव होने तथा सरकार बनने तक, संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य प्रशासन चलाना संभव नहीं था। इसलिए 21-1-72 को इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। (3)

*पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के द्वारा 21-1-72 को त्रिपुरा राज्य बना।

1. इंडिया 1977 रेफरेंस मैनुअल, पृ॰ 402
2. सा॰का॰नि॰ 49(ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 21-1-72
3. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1971-72, पृष्ठ 36

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीखें	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
13-3-72 (4)	13-3-72 (5)	–	–	–	–	20-3-72 (6)	त्रिपुरा विधान सभा के चुनाव 11-3-72 को हुए जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता टी॰ सुखमय सेनगुप्त ने 20-3-72 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (7)

4. लोक सभा वाद-विवाद, 13-3-72, कॉलम 36

5. राज्य सभा वाद-विवाद, 13-3-72, कॉलम 27

6. सा॰का॰नि॰ 373(ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 20-3-72

त्रिपुरा — जारी

1	2	3	4	5	6
2.	श्री एल॰पी॰ सिंह (7)	श्री राधिका रंजन गुप्त [जनता पार्टी तथा सी॰पी॰ आई॰ (एम॰) का मिला-जुला मंत्रिमंडल]	5-11-77 (8)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (8)	28-10-77 को सी॰पी॰आई॰ (एम॰) ने मिले-जुले मंत्रिमंडल से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की। 3-11-77 को मुख्यमंत्री ने अपना तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का त्यागपत्र दे दिया। चूंकि कोई भी पार्टी मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति में नहीं थी, अत: राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सिफारिश की कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी करें। (9)
3.	श्री रघुनाथ रेड्डी (12)	श्री समीर रंजन बर्मन कांग्रेस (आई॰) (12)	11-3-93 (13)	साथ ही साथ विधान सभा भंग की दी गई (12)	राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कारण काम चलाऊ कांग्रेस टी॰यू॰जे॰एस॰ सरकार ने इस्तीफा दे दिया तथा राज्यपाल की सिफारिश पर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। (12)

7. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 2-11-2077
8. सा॰का॰नि॰ 679 (ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3(एक)], 5-11-77
9. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृ॰11-12
10. लोक सभा वाद-विवाद, 19-11-77, कॉलम 278
11. राज्य सभा वाद-विवाद, 14-11-77, कॉलम 104-105

7	8	9	10	11	12	13	14
19-11-77 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 2-11-77 तथा 3-11-77) की एक प्रति के साथ (10)	14-11-77 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 2-11-77 तथा 3-11-77) की एक प्रति के साथ (11)	–	–	–	–	4-1-78	दिसम्बर, 1977 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव हुए। सी॰पी॰आई॰(एम॰) पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला तथा तद्नुसार श्री नृपेन चक्रवर्ती के नेतृत्व में सी॰पी॰आई॰(एम॰) मंत्रिमंडल ने 5-1-78 को पदभार संभाला। (9)
12-3-93 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 10-3-93 की एक प्रति के साथ) (14)	12-3-93 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 10-3-93 की एक प्रति के साथ) (15)	–	–	–	–	10-4-93 (16)	राज्य विधान सभा के लिए दिनांक 3-4-93 को चुनाव हुए। श्री दशरथ देव के नेतृत्व में वाम मोर्चा सरकार को 10-4-93 को शपथ दिलाई गई। (17)

12. दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली 12-3-1993
13. सा॰का॰नि॰ 273(ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 11-3-1993
14. लोक सभा वाद-विवाद, 12-3-1993
15. राज्य सभा वाद-विवाद, 12-3-1993
16. सा॰का॰नि॰ 370(ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 10-4-93
17. दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली 11-4-93

25. उत्तर प्रदेश

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	डॉ॰ बी॰ गोपाल रेड्डी (1)	श्री चरण सिंह (संयुक्त विधायक दल) (1)	25-2-68 (बाद में 15-4-68 को बदल दी गई) (2) और (3)	विधान सभा निलम्बित कर दी गई तथा बाद में 15-4-68 को भंग कर दी गई (4)	श्री चरण सिंह ने 17-2-68 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। संयुक्त विधायक दल तथा कांग्रेस पार्टी दोनों में से कोई भी स्थायी मंत्रिमंडल का गठन करने की स्थिति में नहीं थे। (5)
2.	डॉ॰ बी॰ गोपाल रेड्डी (16)	श्री चरण सिंह (भा॰क्रां॰द॰ तथा कांग्रेस की मिली-जुली सरकार (16)	1-10-70 (17)	विधान सभा निलम्बित कर दी गई (18)	भा॰क्रां॰द॰ तथा कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से भा॰क्रां॰द॰-कांग्रेस के मिले-जुले मंत्रिमंडल से 13 कांग्रेसी मंत्रियों को हटाने की प्रार्थना की। तत्पश्चात् मंत्रिमंडल में एक बड़े भागीदार कांग्रेस ने मिले-जुले मंत्रिमंडल से अपना समर्थन वापस ले लिया। (19)

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 22-2-68
2. सा॰का॰नि॰ 367, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 25-2-68
3. सा॰का॰नि॰ 715, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 15-4-68
4. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1968-69, पृष्ठ 67
5. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1968-69, पृष्ठ 66
6. लोक सभा वाद-विवाद, 27-2-68, कॉलम 196
7. लोक सभा वाद-विवाद, 16-4-68, कॉलम 898
8. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-2-68, कॉलम 2142
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 29-4-68, कॉलम 107-108
10. लोक सभा वाद-विवाद, 23-3-68, कॉलम 2668-2692, 25-3-68, कॉलम 3040-3138 और 18-4-68, कॉलम 1433-1568
11. राज्य सभा वाद-विवाद, 13-3-68, कॉलम 4551-4593, 4594-4624, 4629-4635, 4644-4658, 8-5-68, कॉलम 1840-1850 और 9-5-68, कॉलम 1960-1993 और 2012-2040
12. लोक सभा वाद-विवाद, 27-8-68, कॉलम 2215-2296
13. राज्य सभा वाद-विवाद, 14-8-68, कॉलम 3366-3404 और 19-8-68, कॉलम 3525-3564 और 3566-3588
14. सा॰का॰नि॰ 502, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 26-2-69

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीखें	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
27-2-68 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 22-2-68 की एक प्रति के साथ) (6)	27-2-68 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 22-2-68 की एक प्रति के साथ) (8)	22-3-68 25-3-68 18-4-68 (10)	13-3-68 8-5-68 9-5-68 (11)	27-8-68 (12)	14-8-68 19-8-68 (13)	26-2-69 (14)	फरवरी, 1969 में नये चुनावों के बाद श्री सी॰बी॰ गुप्त (कांग्रेस) ने 26-2-69 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (15)
16-4-68 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 10-4-68 की एक प्रति के साथ) (7)	29-4-68 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 10-4-68 की एक प्रति के साथ) (9)						
9-11-70 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 29-9-70 की एक प्रति के साथ) (20)	9-11-70 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 29-9-70 की एक प्रति के साथ) (21)	–	–	–	–	18-10-70 (22)	संयुक्त विधायक दल के नेता श्री टी॰एन॰ सिंह ने 18-10-70 को नये मंत्रिमंडल का गठन किया। (18)

15. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1968-69, पृष्ठ 68
16. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 29-9-70
17. सा॰का॰नि॰ 1756, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 1-10-70
18. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1970-71, पृष्ठ 30
19. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1970-71, पृष्ठ 29
20. लोक सभा वाद-विवाद, 9-11-70, कॉलम 229-230
21. राज्य सभा वाद-विवाद, 9-11-70, कॉलम 149-150
22. सा॰का॰नि॰ 1799, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 18-10-70

उत्तर प्रदेश — जारी

1	2	3	4	5	6
3.	श्री अकबर अली खां (23)	श्री कमलापति त्रिपाठी (कांग्रेस) (23)	13-6-73 (24)	विधान सभा निलम्बित कर दी गई (25)	पी॰ए॰सी॰ की कुछ कम्पनियों में अनुशासनहीनता की घटनाओं के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई और मुख्यमंत्री ने यह अनुभव किया कि केन्द्र सरकार को सीधे ही हस्तक्षेप करना चाहिए। परिणामस्वरूप विधान सभा में पूर्ण बहुमत होने पर भी मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। (23)
4.	डॉ॰ एम॰ चेन्ना रेड्डी (32)	श्री एच॰एन॰ बहुगुणा (कांग्रेस) (32)	30-11-75 (33)	विधान सभा निलम्बित कर दी गई (34)	कांग्रेस पार्टी, जिसको राज्य विधान सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त था, के मुख्यमंत्री श्री बहुगुणा ने 29-11-75 को त्यागपत्र दे दिया। अन्य कोई पार्टी मंत्रिमंडल बनाने की स्थिति में नहीं थी। (32)

23. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 12-6-73
24. सा॰का॰नि॰ 316(ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 13-6-73
25. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1973-74, पृष्ठ 7
26. लोक सभा वाद-विवाद, 23-7-73, कॉलम 254-255
27. राज्य सभा वाद-विवाद, 23-7-73, कॉलम 95
28. लोक सभा वाद-विवाद, 7-8-73, कॉलम 310-342, 8-8-73, कॉलम 278-93 और 9-8-73, कॉलम 203-265
29. राज्य सभा वाद-विवाद, 24-7-73, कॉलम 159-274
30. सा॰का॰नि॰ 492 (ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 8-11-73

7	8	9	10	11	12	13	14
23-7-73 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 12-6-73 की एक प्रति के साथ) (26)	23-7-73 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 12-6-73 की एक प्रति के साथ) (27)	7-8-73 8-8-73 9-8-73 (28)	24-7-73 (29)	-	-	8-11-73 (30)	कांग्रेस विधान मंडल दल ने श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा को अपना नेता चुना जिन्होंने 8-11-73 को मंत्रिमंडल का गठन किया (31)
5-1-76 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 29-11-75 की एक प्रति के साथ) (35)	5-1-76 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 29-11-75 की एक प्रति के साथ) (36)	-	-	-	-	21-1-76 (37)	कांग्रेस विधान मंडल दल ने श्री नारायण दत्त तिवारी को अपना नेता चुना और उन्होंने 21 जनवरी, 1976 को नये मंत्रिमंडल का गठन किया। (38)

31. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1973-74, पृष्ठ 8
32. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 29-11-75
33. सा॰का॰नि॰ 597 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 30-11-75
34. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1975-76, पृष्ठ 4
35. लोक सभा वाद-विवाद, 5-1-76, कॉलम 66
36. राज्य सभा वाद-विवाद, 5-1-76, कॉलम 24-25
37. सा॰का॰नि॰ 30 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 21-1-76
38. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1975-76, पृष्ठ 4

उत्तर प्रदेश — जारी

1	2	3	4	5	6
5.	डॉ॰एम॰ चेन्ना रेड्डी (39)	श्री नारायण दत्त तिवारी (कांग्रेस) (40)	30-4-77 (47)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (41)	मार्च, 1977 में लोक सभा चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई भी स्थान नहीं जीत पाई। केन्द्र सरकार ने इसका यह अर्थ लगाया कि निर्वाचकों का राज्य सरकार पर से विश्वास उठ गया है। (42)
6.	श्री जी॰डी॰ तपासे (47)	श्री बनारसी दास (लोक दल) (48)	17-2-80 (49)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (49)	केन्द्र सरकार ने महसूस किया कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा चुनावों में भारी हार के कारण राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी अब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। (50)
7.	श्री सत्यनारायण रेड्डी (57)	श्री कल्याण सिंह (भा॰ज॰पा॰) (57)	6-12-92 (58)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (57)	6-12-92 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने के बाद तथा विवादित ढांचे को हुए नुकसान की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद उत्पन्न स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिश किए जाने पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 को प्रतिसंहृत करके राज्य विधान सभा को भंग कर दिया। (57)
8.	श्री मोती लाल वोहरा (67)	सुश्री मायावती (बहुजन समाज पार्टी) (67)	18-10-95 (68)	विधान सभा निलम्बित कर दी गई तथा बाद में 27-10-95 को भंग कर दी गई (68)	भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिये जाने पर कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। (67)
9.	श्री रोमेश भंडारी (76)	–	17-10-96 (77)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (76)	सितंबर-अक्तूबर, 1996 में हुए राज्य विधान सभा के चुनावों के बाद कोई भी पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। (76)
10.	श्री विष्णु कांत शास्त्री (85)	–	8-3-2002 (86)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (87)	फरवरी, 2002 में हुए राज्य विधान सभा के चुनावों के बाद कोई भी पार्टी या गठजोड़ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। (85)

39. 'इन्फा' का 'इंडिया हूज हू' - 1976-77, पृष्ठ 146
40. दि स्टेट्समैन, कलकत्ता, दिनांक 1-5-77
41. सा॰का॰नि॰ 213 (ड.), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 30-4-77
42. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृ॰ 9-10, **देखिए** 'प्रस्तावना', पृ॰ 1
43. लोक सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 6
44. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-6-77, कॉलम 5
45. सा॰का॰नि॰ 396 (ड.), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 23-6-77
46. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 10
47. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली) 19-2-80
48. दि टाइम्स ऑफ इंडिया (नई दिल्ली) दिनांक 19-2-80
49. सा॰का॰नि॰ 38 (ड.), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 17-2-80
50. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 199-2000 (**देखिए** केन्द्रीय गृह मंत्री का भाषण)
51. लोक सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 197-201
52. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-3-80, कॉलम 121-172
53. लोक सभा वाद-विवाद, 25-3-80, कॉलम 196-306 और 26-3-80, कॉलम 321-410
54. राज्य सभा वाद-विवाद, 27-3-80, कॉलम 196-392
55. सा॰का॰नि॰ 309 (ड.), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 9-6-80
56. दि टाइम्स आफ इंडिया (नई दिल्ली) दिनांक, 10-6-80
57. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली) 7-12-1992
58. सा॰का॰नि॰ 912 (ड.), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 **(एक)**], दिनांक 6-12-92
59. लोक सभा वाद-विवाद, 16-12-1992
60. राज्य सभा वाद-विवाद, 16-12-1992
61. लोक सभा वाद-विवाद, 22-12-1992 तथा 23-12-1992
62. राज्य सभा वाद-विवाद, 19-12-1992
63. लोक सभा वाद-विवाद, 12-5-1993
64. राज्य सभा वाद-विवाद, 13-5-1993
65. सा॰का॰नि॰ 730 (ड.), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 4-12-93
66. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 5-12-93

7	8	9	10	11	12	13	14
11-6-77 (43)	11-6-77 (44)	–	–	–	–	23-6-77 (45)	जून, 1977 में राज्य विधान सभा के लिये चुनाव कराये गये। श्री राम नरेश यादव के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने 23-6-77 को पदभार संभाला। (46)
11-3-80 (51)	11-3-80 (52)	25-3-80 26-3-80 (53)	27-3-80 (54)	–	-	9-6-80 (55)	मई, 1980 में राज्य विधान सभा के लिये चुनाव कराये गये। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस (आई॰) सरकार ने 9-6-80 को पदभार संभाला। (56)
16-12-92 (59)	16-12-92 (60)	22-12-92 23-12-92 (61)	19-12-92 (62)	12-5-93 (63)	13-5-93 (64)	4-12-93 (65)	उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए 18-11-93 और 21-11-93 को चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी/ बहुजन समाज पार्टी की सरकार को मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 4-12-93 को शपथ दिलाई गई। (66)
28-11-95 (69)	28-11-95 (70)	29-11-95 (71)	15-12-95 (72)	11-3-96 (73)	1-3-96 (74)	17-10-96 (75)	सितम्बर-अक्तूबर, 1996 में हुए राज्य विधान सभा के चुनावों के बाद कोई भी पार्टी अथवा गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। (76)
21-11-96 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 15-10-96 और 16-10-96 की एक प्रति के साथ) (78)	26-11-96 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 15-10-96 और 16-10-96 की एक प्रति के साथ) (79)	3-12-96 4-12-96 5-12-96 (80)	4-12-96 5-12-96 (81)	13-3-97 14-3-97 (82)	–	21-3-97 (83)	सुश्री मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मिले-जुले मंत्रिमंडल ने 21-3-97 को पदभार संभाला। (84)
–	–	–	–	–	–	3-5-2002 (88)	सुश्री मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मिले-जुले मंत्रिमंडल ने 3-5-2002 को पदभार संभाला। (89)

67. यू॰एन॰आई॰ बैंकग्राउन्डर भाग बीस, अंक 44, दिनांक 2.11.95
68. सा॰का॰नि॰ 685 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 18-10-95
69. लोक सभा वाद-विवाद, 28-11-1995
70. राज्य सभा वाद-विवाद, 28-11-1995
71. लोक सभा वाद-विवाद, 29-11-1995
72. राज्य सभा वाद-विवाद, 15-12-1995
73. राज्य सभा वाद-विवाद, 11-3-1996
74. राज्य सभा वाद-विवाद, 1-3-1996
75. सा॰का॰नि॰ 481(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 17-10-96
76. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली) 18-10-1996
77. सा॰का॰नि॰ 912 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 6-12-92
78. लोक सभा वाद-विवाद, 21-11-1996, कॉलम 206
79. राज्य सभा वाद-विवाद, 26-11-1996, कॉलम 225
80. लोक सभा वाद-विवाद, 3-12-1996, कॉलम 334-388, 4-12-96, कॉलम 261-308 और 5-12-96, कॉलम 254-301
81. राज्य सभा वाद-विवाद, 4-12-1996, कॉलम 250-286 और 5-12-96, कॉलम 277-351
82. लोक सभा वाद-विवाद, 13-3-1997, कॉलम 295-318, 14-3-97, कॉलम 281-283
83. सा॰का॰नि॰ 165 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 21-3-97
84. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली) 22-3-1997
85. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 6-3-2002
86. सा॰का॰नि॰ 178(ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 8-3-02
87. दि हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली, 9-3-02
88. सा॰का॰नि॰ 323 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 3-5-02
89. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 4-5-02

26. पश्चिम बंगाल

क्रम सं॰	राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री धर्मवीर (1)	डॉ॰ पी॰ सी॰ घोष (प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट)	20-2-68 (2)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (2)	विभिन्न पार्टियों की सदस्य संख्या के बारे में स्थिति संतोषजनक नहीं थी। डॉ॰ पी॰ सी॰ घोष के मंत्रिमंडल को प्राप्त बहुमत के बारे में संदेह था। अध्यक्ष के विनिर्णय ने विधान सभा का कार्यकरण असंभव बना दिया था। (1)
2.	श्री एस॰ एस॰ धवन (13)	श्री अजय कुमार मुखर्जी (यूनाइटेड फ्रंट) (14)	19-3-70 (15)	विधान सभा निलंबित कर दी गई तथा बाद में 30-7-70 को भंग कर दी गई। (14)	श्री अजय कुमार मुखर्जी, मुख्यमंत्री के 16-3-70 को त्यागपत्र देने के बाद राज्यपाल ने राज्य में वैकल्पिक मंत्रिमंडल बनने की संभावनाओं का पता लगाया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वैकल्पिक मंत्रिमंडल बनाने की कोई संभावना नहीं है तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। (14)

1. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 15-2-68
2. सा॰का॰नि॰ 322, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 20-2-68
3. लोक सभा वाद-विवाद, 20-2-68, कॉलम 2226
4. लोक सभा वाद-विवाद, 20-2-68, कॉलम 2225-2234
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 20-2-68, कॉलम 1323
6. राज्य सभा वाद-विवाद, 20-2-68, कॉलम 1323-1338
7. लोक सभा वाद-विवाद, 21-3-68, कॉलम 2208-2303 और 22-3-68, कॉलम 2611-2634
8. राज्य सभा वाद-विवाद, 12-3-68, कॉलम 4306-4320 और 4321-4401
9. लोक सभा वाद-विवाद, 27-8-68, कॉलम 2296-2302 और 28-8-68, कॉलम 2517-2594
10. राज्य सभा-विवाद, 12-8-68, कॉलम 2828-2951
11. सा॰का॰नि॰ 452, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक, 25-2-69
12. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1968-69, पृष्ठ 66

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीखें	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
20-2-68 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 15-2-68 की एक प्रति के साथ) (3)	20-2-68 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 15-2-68 की एक प्रति के साथ) (5)	21-3-68 22-3-68 (7)	12-3-68 (8)	27-8-68 28-8-68 (9)	12-8-68 (10)	25-2-69 (11)	9-2-69 को नये चुनावों के बाद श्री अजय कुमार मुखर्जी, यूनाइटेड फ्रंट के नेता ने 25-2-69 को नए मंत्रिमंडल का गठन किया। (12)
गृह मंत्री ने उद्घोषणा के बारे में एक वक्तव्य भी दिया। (4)	गृह मंत्री ने उद्घोषणा के बारे में एक वक्तव्य भी दिया। (6)						
24-3-70 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 19-3-79 की के साथ) (16)	20-3-70 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 19-3-70 की के साथ) (17)	30-3-70 (18)	25-3-70 31-3-70 (19)	20-8-70 21-8-70 25-8-70 29-3-71 (20)	31-8-70 30-3-71 (21)	2.4.71 (22)	श्री अजय कुमार मुखर्जी, बंगला कांग्रेस तथा डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें मुख्यत: कांग्रेस जन थे, के नेता ने राज्य में 10-3-71 को आम चुनाव के बाद 2-4-71 को डेमोक्रेटिक मिले-जुले मंत्रिमंडल का गठन किया। (23) और (24)

13. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 19-3-70
14. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1970-71, पृष्ठ 26
15. जी॰एस॰आर॰ 490, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 19-3-70
16. लोक सभा वाद-विवाद, 24-3-70, कॉलम 414-415
17. राज्य सभा वाद-विवाद, 20-3-70, कॉलम 128
18. लोक सभा वाद-विवाद, 30-3-70, कॉलम 217-374
19. राज्य सभा वाद-विवाद, 25-3-70, कॉलम 189-212 और 31-3-70, कॉलम 127-185 और 186-194
20. लोक सभा वाद-विवाद, 20-8-70, कॉलम 247-251, 258-344, 21-8-70, कॉलम 244-259, 25-8-70, कॉलम 234-346 और 29-3-71, कॉलम 233-277
21. राज्य सभा वाद-विवाद, 31-8-70, कॉलम 258-341 और 20-3-71, कॉलम 174-203
22. सा॰का॰नि॰ 493, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 2-4-71
23. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1970-71, पृष्ठ 28
24. राष्ट्रपति को राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 28-6-71

पश्चिम बंगाल—जारी

1	2	3	4	5	6
3.	श्री एस॰ एस॰ धवन (24)	श्री अजय कुमार मुखर्जी (डेमोक्रेटिक फ्रंट) (24)	29-6-71 (25)	25-6-71 को विधान सभा भंग कर दी गई (24)	25-6-71 को मुख्यमंत्री का विधान सभा में पूर्ण बहुमत नहीं था इसलिए उन्होंने पहले तो राज्यपाल को विधान सभा भंग करने का परामर्श दिया तथा बाद में 28-6-71 को अपना तथा मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया। (24)

25. सा॰का॰नि॰ 984, भारत का असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 29-6-71

7	8	9	10	11	12	13	14
29-6-71 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 28-6-71 की एक प्रति के साथ) (26)	19-7-71 (राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन दिनांक 28-6-71 की एक प्रति के साथ) (27)	23-7-71 26-7-71 (28)	21-7-71 22-7-71 (29)	4-12-71 6-12-71 7-12-71 (30)	29-11-71 (31)	20-3-72 (32)	राज्य में 11-3-72 को आम चुनाव हुए तथा कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस विधानमंडल दल ने एस॰ एस॰ रे को अपना नेता चुना जिन्होंने 20-3-72 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (33)

26. लोक सभा वाद-विवाद, 29-6-71, कॉलम 281
27. राज्य सभा वाद-विवाद, 19-7-71, कॉलम 127
28. लोक सभा वाद-विवाद, 23-7-71, कॉलम 171-224 और 26-7-71, कॉलम 119-223
29. राज्य सभा वाद-विवाद, 21-7-71, कॉलम 129-214 और 22-7-71, कॉलम 156-237
30. लोक सभा वाद-विवाद, 4-12-71, कॉलम 160-163, 6-12-71, कॉलम 11-16, 7-12-71, कॉलम 2-40
31. राज्य सभा वाद-विवाद, 29-11-71, कॉलम 152-199
32. सा॰का॰नि॰ 199 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 20-3-72
33. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1971-72, पृष्ठ-34

पश्चिम बंगाल — जारी

1	2	3	4	5	6
4.	श्री एन्थनी लैंसलौट डायस (34)	श्री एस॰ एस॰ रे (कांग्रेस) (35)	30-4-77 (36)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (36)	मार्च, 1977 में हुए लोक सभा चुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल से केवल तीन सीट जीत सकी। केन्द्र सरकार ने इसका यह अर्थ लगाया कि राज्य में निर्वाचकों का सरकार से विश्वास उठ गया है। (37)

34. 'इन्फा' का इंडिया हूज हू, 1976-77, पृ॰ 146
35. दि स्टेट्समैन (कलकत्ता), दिनांक 1-5-77
36. सा॰का॰नि॰ 215 (ड) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (एक)], दिनांक 30.4.77
37. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 9-10 **देखिये** 'प्रस्तावना' (पूर्व) पृ॰ 1

7	8	9	10	11	12	13	14
11-6-77 (38)	11-6-77 (39)	–	–	–	–	21-6-77 (40)	जून, 1977 में राज्य विधान सभा के लिए चुनाव कराये गये। श्री ज्योति बसु के नेतृत्व में वामपंथी मोर्चा सरकार ने 21-6-77 को पदभार संभाला। (41)

38. लोक सभा वाद-विवाद, 11-6-1977, कॉलम 6-7

39. राज्य सभा-विवाद, 11-6-1977, कॉलम 5

40. सा॰का॰नि॰ 388 (ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंण्ड 3(एक)], दिनांक 21-6-77

41. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृ॰ 10

भाग दो

संघ राज्यक्षेत्रों (उन पूर्व संघ राज्यक्षेत्रों सहित, जो अब राज्य बन गए हैं) में राष्ट्रपति शासन

1. अरुणाचल प्रदेश*

क्रम सं॰	उप-राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री आर॰एन॰ हाल्दीपुर (2)	श्री टोमो रीबा (युनाइटेड पीपुल्स पार्टी) (2)	3-11-79 (1)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (1)	सत्तारूढ़ दल से दल-परिवर्तन के परिणामस्वरूप 33 सदस्यों के सदन में युनाइटेड पीपुल्स पार्टी के सदस्यों की संख्या घट कर 15 रह गयी। मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। (2)

* संसद के एक अधिनियम ''पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971'' धारा 9, के द्वारा अरुणाचल प्रदेश 21-1-72 से एक संघ राज्यक्षेत्र बना तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 नामक अधिनियम के द्वारा यह 21-2-87 को एक राज्य बन गया।

1. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1979-80, पृ॰ 23 और एस॰ओ॰ 63 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3(दो)], दिनांक 3-11-79
2. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 4-11-1979

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10
24-1-80 (3)	24-1-80 (4)	18-1-80 (5)	विधान सभा चुनावों के पश्चात् 18-1-80 को श्री गेगोंग अपांग के नेतृत्व में कांग्रेस (आई॰) की सरकार ने पदभार संभाला। (6)

3. लोक सभा वाद-विवाद, 24-1-80, पृष्ठ 18
4. राज्य सभा वाद-विवाद, 24-1-80, पृष्ठ 19
5. एस॰ओ॰ 38 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खण्ड 3(दो)], दिनांक 18-1-1980
6. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1979–80, पृ॰ 23

2. दिल्ली*

क्रम सं॰	उप-राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नजीब जंग (1)	श्री अरविन्द केजरीवाल (आम आदमी पार्टी (1)	16-02-14 (2)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (3)	आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल ने विधान सभा के विचारार्थ जन लोकपाल विधेयक पुर:स्थापित करने में असमर्थ रहने पर अपना त्यागपत्र दे दिया। (4)

* दिल्ली संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा 01-02-1992 से राज्य बन गया।

1. राष्ट्रपति के उप-राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 15-02-2014
2. एस॰ओ॰ 410 (ङ), भारत का राजपत्र, [भाग-2, खंण्ड 3(दो)], दिनांक 16-02-2014
3. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), 17 फरवरी, 2014
4. राष्ट्रपति को उप-राज्यपाल का प्रतिवेदन, दिनांक 15-02-2014
5. लोक सभा वाद-विवाद, 20-02-2014, कॉलम 722
6. राज्य सभा वाद-विवाद, 20-02-2014, पृष्ठ 397

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा को अग्रेतर जारी रखने का अनुमोदन करने के संबंध में चर्चा की तारीख(खें)		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषण के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा	लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10	11	12	13	14
20-02-14 (5)	20-02-14 (6)	20-02-14 (7)	20-02-14 (8) 21-02-14 (9)	–	–	14-02-15 (10)	राज्य विधान सभा के चुनाव फरवरी, 2015 को हुए। चुनाव के पश्चात् आम आदमी पार्टी (आप) के नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने 14-02-2015 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

7. लोक सभा वाद-विवाद, 20-02-2014, कॉलम 723
8. राज्य सभा वाद-विवाद, 20-02-2014 पृष्ठ 397-398
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 21-02-2014 पृष्ठ 332-337
10. एस॰ ओ॰ 507 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंण्ड 3(दो)] दिनांक 13-02-2015
11. दि एशियन एज (नई दिल्ली) 15 फरवरी, 2015

3. गोवा, दमन और दीव*

क्रम सं॰	उप-राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री के॰ आर॰ दामले (1)	श्री दयानन्द बन्दोदकर (महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी) (2)	3-12-66 (2)	साथ-ही-साथ विधान सभा भंग कर दी गई (2)	गोवा का महाराष्ट्र के साथ तथा दमन और दीव का गुजरात के साथ विलय करने के बारे में स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत जानने के लिए इन क्षेत्रों को संघ राज्यक्षेत्र बने रहने की भी छूट थी। (2)
2.	श्री पी॰ एस॰ गिल (3)	श्रीमती शशिकला जी॰ काकोदकर (महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी) (3)	27-4-79 (4)	साथ-ही-साथ विधान सभा भंग कर दी गई (4)	सत्तारूढ़ दल से दल-परिवर्तन के कारण 23-4-79 को शक्ति परीक्षण में सरकार के हार जाने के पश्चात् मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया और कोई अन्य दल स्थायी सरकार बना सकने की स्थिति में नहीं था। (3)

* संसद के एक अधिनियम ''संविधान (बारहवां संशोधन), अधिनियम 1962'', धारा 2 के द्वारा 16-12-1961 से गोवा, दमन और दीव एक संघ राज्यक्षेत्र बना और गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा 30-5-87 से गोवा राज्य बना।

1. इण्डिया रेफरेंस एनुअल, 1966
2. एस॰ ओ॰ 3669, भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (दो)] दिनांक 3-12-66
3. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली) दिनांक 29-4-79
4. एस॰ओ॰ 23 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंण्ड 3(दो)] दिनांक 28-04-79

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10
3-12-66 (5)	3-12-66 (6)	5-4-67	विधान सभा के लिए फरवरी, 1967 में चुनावों के पश्चात् श्री दयानन्द बी॰ बंदोदकर की अध्यक्षता में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 5-4-67 को सरकार बनायी। (7)
30-4-79 (8)	30-4-79 (9)	16-1-80 (16-1-80 को उद्घोषणा लागू नहीं रही तथा 27-4-79 के आदेशों को समाप्त करने वाला आदेश जारी नहीं किया गया (10)	विधान सभा के लिए चुनावों के पश्चात् श्री प्रताप सिंह रावजी राणे ने कांग्रेस (आई॰) दल के नेता के रूप में 16-1-80 को मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। (10)

5. लोक सभा वाद-विवाद 3-12-66, पृष्ठ 7334-7335
6. राज्य सभा वाद-विवाद 3-12-66, पृष्ठ 3993-3995
7. केसिंग्स कान्टेम्पोरेरी आर्काइव्स, पृष्ठ 22083
8. लोक सभा वाद-विवाद, 30-4-79, पृष्ठ 294
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 30-4-79, पृष्ठ 149
10. गृह मंत्रालय

4. मणिपुर*

क्रम सं॰	उप-राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बालेश्वर प्रसाद (1)	श्री लोंगजाम थम्बू सिंह (यूनाइटेड फ्रंट) (2)	25-10-67 (2)	विधान सभा निलंबित कर दी गई (2)	विधान सभा में 32 सीटें पर कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट दोनों की समान रूप से भागीदारी थी। यूनाइटेड फ्रंट के एक सदस्य द्वारा कांग्रेस पार्टी में जाने और बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का अपने पद से त्यागपत्र देने से दोनों ही दलों ने अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार मनोनीत करने से इंकार कर दिया क्योंकि उसके चुनाव से स्वत: ही दूसरे पक्ष को बहुमत मिल जाता। इसलिए राष्ट्रपति शासन आवश्यक हो गया था। (2)
2.	श्री बालेश्वर प्रसाद (4)	श्री एम॰ कोरेंग सिंह (कांग्रेस) (4)	16-10-69 (5)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (5)	कुछ सदस्यों द्वारा बार-बार दल परिवर्तन के कारण 23-9-69 को विधान सभा ने एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। तदनुसार मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया और कोई भी दल स्थायी सरकार बना सकने की स्थिति में नहीं था (5)

* राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र बना और 21-1-1972 से संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा यह एक पूर्ण राज्य बन गया।

1.एशियन रिकार्डर, 1968

2.लोक सभा वाद-विवाद, 6-12-67, कॉलम 4899-4909

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10
–	–	19-2-68 (3)	दल-परिवर्तन और पुन:दल परिवर्तन से कांग्रेस दल एक बार फिर बहुमत में आ गया और श्री एम॰ कोरेंग सिंह ने 19-2-68 को मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। (3)
–	–	21-1-72 (1969 में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मणिपुर को 21-1-72 से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नयी विधान सभा के लिए चुनाव होने और निर्वाचित सरकार के बनने तक राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उसी दिन एक उद्घोषणा जारी की।) (6)	

3. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 20-2-68
4. एशियन रिकार्डर, 1969
5. वार्षिक प्रतिवेदन, 1969-70, गृह मंत्रालय, पृष्ठ 77 और 95
6. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 22-1-1972

5. मिजोरम*

क्रम सं॰	उप-राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एस॰ के॰ छिब्बर (1)	श्री सी॰एच छुंगा (कांग्रेस) (1)	11-5-77 (2)	11-5-77 को सामान्य अवधि समाप्त हो जाने के बाद विधान सभा भंग हो गई (2क)	विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे दिया और नये चुनावों की मांग की। (2)
2.	श्री एन॰पी॰ माथुर (3)	श्री टी॰ सैलो (मिजो पीपल्स कांफ्रेंस (3)	11-11-78 (4)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (4)	सत्तारूढ़ दल में विभाजन हो जाने के कारण मुख्यमंत्री ने विधान सभा भंग करने तथा नये चुनाव कराये जाने की सिफारिश की। (3)

* संसद के एक अधिनियम "पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971" की धारा 9 के द्वारा 21-1-72 से मिजोरम एक संघ राज्यक्षेत्र बना और मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप 20-2-87 से राज्य बना।

1. दि हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), दिनांक 11-5-77
2. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977–78, पृष्ठ 36

2क. गृह मंत्रालय

3. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 12-11-78
4. एस॰ ओ॰ 644 (ङ) भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (दो)], दिनांक 11-11-78

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10
–	–	2-6-78 (5)	विधान सभा चुनावों के पश्चात् ब्रिगेडियर टी॰ सैलो के नेतृत्व में मिजोरम पीपल्स कान्फ्रेंस ने 2-6-78 को सरकार का गठन किया। (6)
20-11-78 (7)	20-11-78 (8)	8-5-79 (9)	विधान सभा चुनावों के पश्चात् मिजोरम पीपल्स कान्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष ब्रिगेडियर टी॰ सैलों ने 8-5-79 को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। (9)

5. एस॰ओ॰ 368 (ङ), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2 खंड 3(दो)], दिनांक 2-6-78
6. दि हिंदुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली), दिनांक 3-6-78
7. लोक सभा वाद-विवाद, 20-11-78, पृष्ठ 303
8. राज्य सभा वाद-विवाद, 20-11-78, पृष्ठ 162
9. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1979–80, पृष्ठ 20

6. पुडुचेरी*

क्रम सं॰	उप-राज्यपाल	उद्घोषणा के समय मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ दल	उद्घोषणा की तारीख	विधान सभा भंग हुई अथवा निलम्बित हुई	उद्घोषणा जारी करने की कारणभूत परिस्थितियां
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एस॰एल॰ सिलम (2)	श्री वी॰ वेंकटसुभा रेड्डियार (कांग्रेस) (1)	18-9-68 (1)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (2)	दल-परिवर्तन के कारण विधान सभा में बहुमत खोने के बाद मुख्यमंत्री ने 11-9-68 को त्याग-पत्र दे दिया और कोई अन्य दल स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। (2)
2.	श्री छेदी लाल (3)	श्री एम॰ ओ॰ एच॰ फारूक (द्रमुक) (3)	3-1-74 (3क)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (3क)	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा समर्थन वापस लिये जाने और मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र दिये जाने पर मुख्यमंत्री ने 30-12-73 को त्याग-पत्र दे दिया और कोई अन्य दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। (3)
3.	श्री छेदी लाल (4)	श्री एस॰ रामास्वामी (अन्नाद्रमुक) (4)	28-3-74 (5)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (4)	शक्ति परीक्षण में विधान सभा में सरकार 14 के मुकाबले 15 मतों से हार गई और इसके परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री ने त्याग-पत्र दे दिया। (4)

* संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 5 और 7 के द्वारा 16-8-62 से पाण्डिचेरी एक संघ राज्यक्षेत्र बना और पाण्डिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 के द्वारा 13-9-06 से पाण्डिचेरी का नाम बदलकर पुंडुचेरी कर दिया गया।

1. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1968–69, पृष्ठ 90
2. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 19-9-68
3. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 4-1-74

3क. एस॰ओ॰ 10(ङ); भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग–2, खंड 3(दो)], दिनांक 3-1-74

4. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), दिनांक 29-3-74
5. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपार्ट, 1973-74, पृष्ठ 3

उद्घोषणा को पटल पर रखने की तारीख		उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की तारीख	उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के पश्चात् गठित मंत्रिमंडल
लोक सभा	राज्य सभा		
7	8	9	10
–	–	17-3-69 (6)	विधान सभा के मध्यावधि चुनावों के बाद श्री फारूक के नेतृत्व में 17-3-69 को द्रमुक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मिली-जुली सरकार बनी। (6)
–	–	6-3-74 (7)	विधान सभा के लिए फरवरी, 1974 में चुनाव हुए जिसमें अन्नाद्रमुक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन सबसे बड़ा ग्रुप रहा किन्तु इसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। श्री एस॰ रामास्वामी के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक ने 6-3-74 को सरकार बनाई। (7)
28-3-74 (8)	22-4-74 (9)	2-7-77 (10)	विधान सभा के लिये चुनावों के बाद अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक के श्री एस॰ रामास्वामी के नेतृत्व में 2-7-77 को अल्पमत सरकार बनी। (10)

6. एशियन रिकॉर्डर, 1969
7. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1973-74, पृष्ठ 29
8. लोक सभा वाद-विवाद, 28-3-74, पृष्ठ 312-13
9. राज्य सभा वाद-विवाद, 22-4-74, पृष्ठ 76
10. गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78, पृष्ठ 36

पुडुचेरी–जारी

1	2	3	4	5	6
4.	श्री बी॰टी॰ कुलकर्णी (11)	श्री एस॰ रामास्वामी (अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक) (11)	12-11-78 (12)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (12)	कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के एकमात्र सदस्य के समर्थन से अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक सरकार बनी। चार सदस्यों द्वारा सत्तारूढ़ दल से दल-परिवर्तन किये जाने के बाद सरकार शक्ति परीक्षण में हार गई। चूंकि कोई अन्य दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। (11)
5.	श्री के॰एम॰ चण्डी (13)	श्री डी॰ रामचन्द्रन (द्रमुक)	24-6-83 (14)	साथ ही साथ विधान सभा भंग कर दी गई (14)	कांग्रेस (आई॰) द्वारा द्रमुक के नेतृत्व वाली मिली-जुली सराकार से अपना समर्थन वापस ले लिए जाने पर राष्ट्रपति शासन आवश्यक हो गया। (13)

11. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली) दिनांक 13-11-78
12. एस॰ओ॰ 645 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (दो)], दिनांक 12-11-78
13. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली) दिनांक 25-6-83
14. एस॰ओ॰ 473 (ड), भारत का राजपत्र, असाधारण [भाग-2, खंड 3 (दो)], दिनांक 24-6-83 और गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 1983-84, पृष्ठ 44

7	8	9	10
20-11-78 (15)	20-11-78 (16)	16-1-80 (17)	विधान सभा चुनावों के बाद, 16-1-80 को श्री डी॰ रामचन्द्रन के नेतृत्व में द्रमुक-कांग्रेस की मिली-जुली सरकार बनी। (17)
26-7-78 (20)	25-7-78 (18)	16-3-85 (19)	विधान सभा के लिए मार्च, 1985 में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी को 15 स्थान प्राप्त हुए, जो 30 सदस्यीय सदन में सबसे बड़ा दल था। 16 मार्च, 1985 को श्री एम॰ ओ॰ एच॰ फारूक के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। (19)

15. लोक सभा वाद-विवाद, 20-11-78,कॉ 303
16. राज्य सभा वाद-विवाद, 20-11-78, कॉ 162
17. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली) दिनांक 17-1-80
18. राज्य सभा वाद-विवाद, 25-7-83, कॉ 275
19. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली) दिनांक 17-3-85
20. लोक सभा वाद-विवाद, 26-7-83, कॉ 728

पुडुचेरी—जारी

1	2	3	4	5	6
6.	श्री हर स्वरूप सिंह (21)	श्री डी॰ रामचन्द्रन (23)	12-1-91 (21)	विधान सभा निलंबित कर दी गई परन्तु बाद में 4-3-91 को भंग कर दी गई। (22)	तीन जनता दल विधायकों द्वारा समर्थन वापस ले लिए जाने के परिणामस्वरूप द्रमुक के नेतृत्व वाली मिली-जुली सरकार अल्पमत में आ गई थी। उप-राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए तारीख निर्धारित की थी। फलस्वरूप मुख्यमंत्री ने 27-12-90 को अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र दे दिया। चूंकि, कोई भी दल स्थायी सरकार बना सकने की स्थिति में नहीं था। अत: राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। (22)

21. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली) दिनांक 13-1-91

22. लोक सभा वाद-विवाद, 4-3-91, **देखिए** राज्य मंत्री द्वारा स्वप्रेरणा से दिया गया वक्तव्य।

7	8	9	10
4-3-91 (22)	–	4-7-91 (23)	जून, 1991 में विधान सभा चुनावों के बाद कांग्रेस (आई॰) ने मुख्यमंत्री, श्री वी॰ वैद्यलिंगम के मुख्यमंत्रित्व में 4-7-91 को मंत्रिमंडल का गठन किया। (24)

23. एस॰ ओ॰ 155 (ड.) भारत का राजपत्र, असाधारण, [भाग-2, खण्ड 3 (एक)], दिनांक 4-7-91
24. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, (नई दिल्ली), 5-7-91

परिशिष्ट एक

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 तथा 357 का पाठ

[संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984 तक यथा संशोधित]

356. राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबन्ध:—

(1) यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल[1] से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा–

(क) उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल[2] में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा;

(ख) यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी;

(ग) राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णत: या भागत: निलंबित करने के लिए उपबन्धों सहित ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा, जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों:

परन्तु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालयों से सम्बन्धित इस संविधान के किसी उपबन्ध के प्रवर्तन को पूर्णत: या भागत: निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

(2) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चात्वर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है:

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है) उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।

(4) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, [ऐसी उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से छह मास][3] की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी[3]:

परन्तु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार वह उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, [छह मास][4] की और अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, किन्तु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी:

---

[1]संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 'या राजप्रमुख' शब्दों का लोप कर दिया गया।

[2]तदेव धारा 29 तथा अनुसूची के द्वारा यथाविधि "अथवा राजप्रमुख" शब्दों का लोप कर दिया गया।

[3]बाद में संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 38 द्वारा (20-6-1979 से) खण्ड (3) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित हो जाने की तारीख से एक वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 50 द्वारा (3-1-77 से) मूल शब्द "छह मास" के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किये गए थे।

[4]तद्नुसार 'एक वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये गए।

परन्तु यह और कि यदि लोक सभा का विघटन [छह मास][4] की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषण उस तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।

[परन्तु यह भी कि पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई, 1987 को खंड (1) के अन्तर्गत की गई उद्घोषणा के मामले में इस खंड के पहले परन्तुक में दिये गये ''3 वर्ष'' को ''5 वर्ष'' माना जायेगा।][5]

(5) खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी, खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा, जब—

(क) ऐसे संकल्प के पारित किये जाने के समय आपात की उद्घोषणा, यथास्थिति, संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में है; और

(ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना संबंधित राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण आवश्यक है।[6]

[परन्तु इस खंड का कोई भी भाग पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई, 1987 को खंड (1) के अन्तर्गत की गई उद्घोषणा पर लागू नहीं होगा।][7]

357. अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग:—

(1) जहां अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी वहां—

(क) राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने की और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें राष्ट्रपति अधिरोपित करना ठीक समझे, प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद को,

(ख) संघ या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने या उन पर कर्त्तव्य अधिरोपित करने के लिए अथवा शक्तियों का प्रदान किया जाना या कर्त्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करने के लिए, विधि बनाने की संसद को अथवा राष्ट्रपति को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जिसमें ऐसी विधि बनाने की शक्ति उपखंड(क) के अधीन निहित है,

(ग) जब लोक सभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए, संसद की मंजूरी लम्बित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को,

क्षमता होगी।

[(2) राज्य के विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा, अथवा राष्ट्रपति या खंड (1) के उपखंड(क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाई गई, ऐसी विधि, जिससे संसद अथवा राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होता, उद्घोषणा के प्रवर्त्तन में न रहने के पश्चात् तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी तब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है।][8]

---

[4]तद्नुसार 'एक वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये गए।

[5] संविधान (अड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

[6] संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 38 द्वारा (20-6-1979 से) खंड 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 6 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से खण्ड (5) अन्त:स्थापित किया गया था।

[7]संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।

[8]संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 51 द्वारा (3-1-1977 से) खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परिशिष्ट दो

जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 का पाठ

92. राज्य के सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की अवस्था में उपबंध:—

(1) यदि किसी समय राज्यपाल* का यह समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कि राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राज्यपाल उद्घोषणा द्वारा:—

(क) राज्य सरकार के सब या कोई कृत्य तथा राज्य में किसी निकाय या प्रधिकारी में निहित या एतद्द्वारा प्रयोक्तव्य सब या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा,

(ख) राज्य में किसी निकाय या प्राधिकारी से संबद्ध इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णत: या अशंत: निलंबित करने के लिए उपबंध सहित ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबंध बना सकेगा जैसे कि राज्यपाल* को उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिये आवश्यक या वांछनीय दिखाई दे:

परन्तु इस धारा की किसी बात से राज्यपाल* को यह प्राधिकार न होगा कि वह उच्च न्यायालयों में निहित या एतद् द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों में से किसी को अपने हाथ में ले अथवा इस संविधान के उच्च न्यायालयों से संबद्ध किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णत: या अंशत: निलंबित कर दे।

(2) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहृत या परिवर्तित की जा सकेगी।

(3) ऐसी कोई उद्घोषणा चाहे वह उपधारा (2) के अन्तर्गत परिवर्तित की गई हो अथवा नहीं, जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली उद्घोषणा नहीं है, वहां उसके पहली बार जारी होने की तिथि से छह महीने की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

(4) यदि राज्यपाल* इस धारा के अन्तर्गत उद्घोषणा द्वारा विधानमंडल की विधि बनाने की कोई शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है तो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा निर्मित कोई विधि, उसकी शर्तों के अधीन रहते हुए जब तक विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा पहले निरसित अथवा पुन: अधिनियमित न कर दी जाये, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने तक प्रवर्तन में रहेगी और इस संविधान में विधान द्वारा बनाये गये किन्हीं अधिनियमों अथवा विधियों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि उसके अन्तर्गत ऐसी विधि के प्रति निर्देश भी है।

(5) उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई उद्घोषणा, भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना जारी नहीं की जायेगी।

(6) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा, जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली उद्घोषणा नहीं है, विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जैसे ही बैठक बुलाई जाती है, रखी जायेगी।

---

* जम्मू और कश्मीर का संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1965, धारा 2, द्वारा ''सदर-ए-रियासत'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परिशिष्ट तीन

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 का पाठ

51. यदि राष्ट्रपति का किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि:—

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; या

(ख) संघ राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिये ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है; तो

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इस अधिनियम के सभी उपबंधों का या उनमें से किसी का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिये, जैसा वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगा और ऐसे आनुषंगिक तथा पारिणामिक उपबन्ध कर सकेगा, जो उसे अनुच्छेद 239 के उपबन्धों के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

परिशिष्ट चार

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन की सारांश—सारणी

क्र सं॰	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया	राष्ट्रपति शासन की अवधि	
			से	तक
1	2	3	4	5
एक. राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	15-11-54	28-3-55
			18-1-73	10-12-73
			01-03-14	08-06-14
2.	असम	4	12-12-79	6-12-80
			30-6-81	13-1-82
			19-3-82	27-2-83
			27-11-90	30-6-91
3.	बिहार	8	29-6-68	26-2-69
			4-7-69	16-2-70
			9-1-72	19-3-72
			30-4-77	24-6-77
			17-2-80	8-6-80
			28-3-95	4-4-95
			12-2-99	8-3-99
			07-03-05	24-11-05
4.	गोवा	3	14-12-90	25-1-91
			10-2-99	09-06-99
			04-03-05	07-06-05
5.	गुजरात	5	13-5-71	17-3-72
			9-2-74	18-6-75
			12-3-76	24-12-76
			17-2-80	7-6-80
			19-9-96	23-10-96
6.	हरियाणा	3	21-11-67	21-5-68
			30-4-77	21-6-77
			6-4-91	23-6-91
7.	हिमाचल प्रदेश	2	30-4-77	22-6-77
			15-12-92	3-12-93

1	2	3	4	5
8.	जम्मू और कश्मीर [13]	3	7-9-86	6-11-86
			18-07-90	09-10-96
			10-07-08	5-01-09
9.	झारखंड	3	19-01-09	30-12-09
			01-06-10	11-09-10
			18-01-13	13-07-13
10.	कर्नाटक	6	23-3-71	20-3-72
			31-12-77	27-2-78
			21-4-89	30-11-89
			10-10-90	17-10-90
			09-10-07	12-11-07
11.	केरल	9	20-11-07	30-05-08
			23-3-56	1-11-56
			1-11-56	5-4-57
			31-7-59	22-2-60
			10-9-64	24-3-65
			24-3-65	6-3-67
			4-8-70	3-10-70
			5-12-79	25-1-80
			21-10-81	28-12-81
			17-3-82	24-5-82
12.	मध्य प्रदेश	3	30-4-77	23-6-77
			17-2-80	9-6-80
			15-12-92	7-12-93
13.	महाराष्ट्र	2	17-2-80	9-6-80
			28-09-14	31-10-14
14.	मणिपुर	8	21-1-72	20-3-72
			28-3-73	4-3-74
			06-05-77	29-6-77
			14-11-79	13-1-80
			28-2-81	19-6-81
			7-1-92	8-4-92
			31-12-93	13-12-94
			2-6-01	5-3-02
15.	मेघालय	2	11-10-91	5-2-92
			19-03-09	04-06-10
16.	मिजोरम	1	7-9-88	24-1-89

[13] 7-3-86 से 6-9-86 तक और 19-1-90 से 18-7-90 के दौरान जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अधीन लागू किये गये राज्यपाल के शासन के 6 महीनों की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इससे पूर्व राज्य में राज्यपाल का शासन 27-3-77 से 9-7-77 तक रहा था।

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	4	22-3-75	25-11-77
			7-8-88	25-1-89
			2-4-92	22-2-93
			03-01-08	12-03-08
18.	उड़ीसा	6	25-2-61	23-6-61
			11-1-71	3-4-71
			3-3-73	6-3-74
			16-12-76	29-12-76
			30-4-77	26-6-77
			17-2-80	9-6-80
19.	पंजाब	9	20-6-51	17-4-52
			4-3-53	7-3-54
			5-7-66	1-11-66
			23-8-68	17-2-69
			15-6-71	17-3-72
			30-4-77	20-6-77
			17-2-80	7-6-80
			6-10-83	29-9-85
			11-5-87	23-2-92
20.	राजस्थान	4	13-3-67	26-4-67
			30-4-77	22-6-77
			17-2-80	6-6-80
			15-12-92	4-12-93
21.	सिक्किम	2	18-8-79	17-10-79
			25-5-84	8-3-85
22.	तमिलनाडु	4	31-1-76	30-6-77
			17-2-80	9-6-80
			30-1-88	27-1-89
			30-1-91	24-6-91
23.	तेलंगाना[£]	1	01-03-14	01-06-14
24.	त्रिपुरा	3	21-1-72	20-3-72
			5-11-77	4-1-78
			11-3-93	10-4-93
25.	उत्तर प्रदेश	10	25-2-68	26-2-69
			1-10-70	18-10-70
			13-6-73	8-11-73

[£] जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तब तेलंगाना आन्ध्र प्रदेश का हिस्सा था।

1	2	3	4	5
			30-11-75	21-1-76
			30-4-77	23-6-77
			17-2-80	9-6-80
			6-12-92	4-12-93
			18-10-95	17-10-96
			17-10-96	21-3-97
			8-3-02	3-5-02
26.	पश्चिम बंगाल	4	20-2-68	25-2-69
			19-3-70	2-4-71
			29-6-71	20-3-72
			30-4-77	21-6-77
दो. संघ राज्यक्षेत्र* (उन अद्यपूर्व संघ राज्यक्षेत्रों सहित जो अब राज्य बन गये हैं)				
1. अरुणाचल प्रदेश**		1	3-11-79	18-1-80
2. दिल्ली[ff]		1	16-02-14	14-02-15
3. गोवा***दमन और दीव		2	3-12-66	5-4-67
			27-4-79	16-1-80
4. मणिपुर****		2	25-10-67	19-2-68
			16-10-69	21-1-72
5. मिजोरम *****		2	11-5-77	2-6-78
			11-11-78	8-5-79
6. पुडुचेरी ******		6	18-9-68	17-3-69
			3-1-74	6-3-74
			28-3-74	2-7-77
			12-11-78	16-1-80
			24-6-83	16-3-85
			12-1-91	4-7-91

* संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।

**अरुणाचल प्रदेश 20-7-87 से राज्य बना।

[ff]दिल्ली 01-02-92 से राज्य बना।

***गोवा 30-5-87 से राज्य बना ।

****मणिपुर 21-1-72 से राज्य बना।

*****मिजोरम 20-2-87 से राज्य बना।

******पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 के द्वारा 13-9-2006 से पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया।

GMGIPMRND—4290LS(S3)—01-06-2016.